Vol. 5, No. 3
July -September, 2017
ISSN : 2321-5607

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES

A Quarterly Refereed Journal

CITE THIS "VOLUME AS 5, NO. 3
SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES"

(July to September, 2017)

@Publishers

The "Socio-Economic Perspectives" Journal is published quarterly. Contributions to the Journal are invited in the form of articles, notes and case comments. Contributions to the Journal should be sent as an attachment to this mail id: **socioecopj2015 @gmail.com**

Akhil Bhartiya Samajik Vikas Evam Kalyan Samiti shall be the sole copyright owner of all the published material. Apart from fair dealing for the purposes of research, private study or criticism, none of the part of this Journal may be used in any form whatsoever without prior written permission from the publisher.

The editors, publishers and printers shall not be responsible, in any case, for the views/research papers/articles/book reviews given by the contributors. Contributors are completely responsible for any type of plagiarism or errors, if found.

Published by

Prof. A.N. Singh
Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
An Official publication of
Akhil Bhartiya Samajik Arthik Vikas Samiti
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010, India
e-mail: socioecopj2015 @gmail.com

Printed By

Shivam Printers
C-165, Nirala Nagar, Lucknow.

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Editorial Board

Patron
Prof. R.P. Singh
Former Vice-Chancellor, University of Lucknow, Lucknow

Editor-in-Chief
Prof. A.N. Singh

Managing Editor
Dr. Vivek Kumar Singh

Executive Editor
Dr. Muhammad Nayim
Dr. Ashish Ranjan

Assistant Executive Editors
Dr. Archana Singh
Dr. Chet Narayan Patel
Dr. Leena Singh
Dr. Shikha Singh
Dr. Santosh Kumar

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Article Review & Advisory Board

Prof. Balraj Chauhan
Former Vice Chancellor,
Ram Manohar Lohia,
National Law University, Lucknow

Prof. A.K. Singh
Vice-Chancellor,
Shri Ram Swaroop Memorial University,
Lucknow.

Prof. A.B. Singh
Department of Sociology &
Social Work,
Banaras Hindu University, Varanasi

Prof. R.B.S. Verma
Ex-Head,
Department of Social Work,
University of Lucknow

Prof. Sanjay Bhatt
Ex-Head, School of Social Work
Delhi University, Delhi

Prof. A.N. Singh
Ex-Dean, Faculty of Social Work,
M.G. Kashi Vidyapeeth, Varanasi

Prof D.K. Singh
Head,
Department of Social Work
University of Lucknow

Dr. Shailja Singh
Head,
Department of Sociology & Social Work
D.S.M.N.R. University, Lucknow

Prof. Ankur Saxena
Faculty of Social Work
The Maharaja Sayajirao
University, Baroda, Gujrat

Dr. Mridul Srivastava
Assistant Registrar,
R.M.L. National Law University,
Lucknow

Prof. Pratibha J. Mishra
Head, Department of Social Work
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,
Bilaspur

Dr. Durgesh Kumar Srivastava
Assistant Professor,
Department of AIH & Archaelogy,
University of Lucknow

Dr. P.N. Pathak
Administrative Officer,
University of Lucknow, Lucknow

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Volume 5, No. 3 (July to September, 2017)

Membership Fees

Membership	Individual	Institutional	Foreign
Annual	Rs. 1200/-	Rs. 2500/-	$100
Life Membership (Up to 10 Years)	Rs. 5000/-	Rs. 10,000/-	$200

* The draft or Cheque for member should be sent in favour of:

The Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010

** The membership fees can also be deposited directly or through NEFT favour of :

The Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
Bank: Indian Overseas Bank
Branch: BSIP (1873), University Road, Lucknow- 226007
SB Account Number: 187301000003252
IFSC: IOBA0001873
MICR: 226020021

Editorial correspondence should be addressed to:

Prof. A.N. Singh
Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010, India
e-mail: socioecopj2015 @gmail.com

CONTENT

S. No.	Title of the Paper	Author	Page No.
1.	A Study On The Effect Of Income Changes On Consumer Choices	Dr. Shilpa Mishra Ms. Shilpi Verma	1
2.	Dilemma Of Change And Development	Dr. Anil Kumar Srivastava	16
3.	Shift of Pendulum Theory-Hypothetical Proposed Theory and Model of Media Effects	Dr. Kaushal Tripathi	26
4.	National Drought Management Guidelines And Community Resilience Through Gender Lens: A Critical Study	Shivani Agarwal Dr. Rupesh Kumar Singh	37
5.	सामाजिक कल्याण में स्वैच्छिक–सामाजिक कार्य की भूमिका	डा0 मुहम्मद नईम डा0 विवेक कुमार सिंह	54
6.	वर्तमान परिवेश में गाँधी और अम्बेडकर का सम–विधान	डा0 संजय अग्रवाल	83
7.	मानव कल्याण में अथर्ववेद का योगदान	डा0 अम्बरीश कुमार शास्त्री	93
8.	महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव	डा0 कृष्णकान्त चन्द्रा	100
9.	21वीं सदी के भारत में लोकतंत्र और सामाजिक–आर्थिक गैर बराबरी	डा0 बृजेन्द्र सिंह बौद्ध	105

S. No.	Title of the Paper	Author	Page No.
10.	माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन	डा0 रश्मि सिंह उमेश सिंह	113

A STUDY ON THE EFFECT OF INCOME CHANGES ON CONSUMER CHOICES

Dr. Shilpa Mishra*, Ms. Shilpi Verma**

Introduction

Consumers are the basic economic entities of an economy. All the consumers consume goods and services directly and indirectly to maximize satisfaction and utility. They have limited income and by which they want to satisfy their maximum utility. However, consumers will consist of a particular individual, a group of individuals, institutions etc.Various factors are there which affects consumer choice such as

- Situational Factors pertain to the consumer's level of involvement in a buying task and the market offerings that are available.
- Personal Factors are individual characteristics and traits such as age, life stage, economic situation, and personality.
- Psychological Factors relate to the consumer's motivation, learning, socialization, attitudes, and beliefs.
- Social Factors pertain to the influence of culture, social class, family, and reference groups.

The theory of consumer choices is the branch of microeconomics that relates preferences to consumption expenditures and to consumer and to consumer demand curve. It analyzes how consumer maximizes the desirability of their consumption as measured by their preferences subject to limitation on their expenditures, by maximizing utility subject to budget constraint.

* *Assistant Professor, Department of Banking, Economics and Finance, Bundelkhand University, Jhansi*

** *Department of Banking, Economics and Finance, Bundelkhand University, Jhansi*

Consumer choice refers to the decisions that consumers make with regard to products and services. When we study consumer choices behavior, we examine how consumers decide which products to purchase or consume over time.we are going to understand about the consumer, different kinds of consumer, their importance, choices or their preferences, consumer behavior and most importantly the factors which are going to affect their choices. A consumer is a person or a group who intends to order, or uses purchased goods, products, or services primarily for personal, social, family, households and similar needs, not directly related to entrepreneurial or business activities.

Factor influencing a purchasing decision.

While the decision-making process itself appears quite standardized, no two people make a decision in exactly the same way. People have many beliefs and behavioral tendencies-some controllable, some beyond our control. How all these factors interact with each other ensures that each of us is unique in our consumer actions and choices. Although it isn't feasible for marketers to react to the complex, individual profiles of every single consumer, it is possible to identify factors that tend to influence most consumers in predictable ways. The factors that influence the consumer problem-solving process are many and complex. For example, as groups, men and women express very different needs and behaviors regarding personal-care products. Families with young children tend to make different dining-out choices than single and married people with no children. A consumer with a lot of prior purchasing experience in a product category might approach the decision differently from someone with no experience. As marketers gain a better understanding of these influencing factors, they can draw more accurate conclusions about consumer behavior.

Review of Literature

(TullioJappelli, 2010) in their study "the Consumption

Response to income Changes" in which he states about how consumption respond to income changes. In his study he reviewed empirical approaches to two different questions. First, does household consumption respond to change in income that are attempted? Second, does consumption respond to unexpected income changes? His study was totally based on theoretical work. The study shows that consumption is affected by income changes as well as various other factors such as Income shocks, Marginal propensity to consume, Marginal propensity to save, Growth of incomes etc.(W.K.O'riordan, 1975) in their study " Consumer Behavior to Price and Income Changes" in which he states about the reaction of consumers to price and income changes for this he used published time series data and currently accepted models of consumer behavior. He found deficiency of data while doing his research. Apart from this, he provided as much as possible information or results about his study.(M.Ali-ud-din khan) in their study "An Empirical Study into the relation of Income and Consumption Using Cross-sectional Data" they talked about how consumption is related to the income. The main objective of the research is to find out the relationship between income and consumption. For this purpose, they use both primary as well as secondary data sets. Primary data were collected by the public sector universities and secondary data was collected by the lottery method. The findings say that there is a positive relationship between income and consumption. The study also recommended, in order to enhance the purchasing power of the people, increase in salaries, wages, reduction in personal taxes and subsidy on basic necessities to be provided. (Jr., April 2006) in his study "The Consumption Response to Predictable Changes in Discretionary Income: Evidence from the Repayment of Vehicle Loans" Used life cycle hypothesis and permanent income hypothesis for understanding how households formulate consumption and saving decisions. Study found that a 10 percent increase in discretionary income due to the final repayment of a vehicle loan increases non-durable

consumption by 2 to 3 percent.(Emsina, 2010) in her study "Impact of income Changes on Private Consumption Expenditure and Its Structure" Study shows that income have significant impact on overall consumption and saving process and it affects the structure of consumption expenditure. The result of study shows as the household disposable income increases, the household expenditure per member had also increased. Data was collected from data bureau. Results also show impact of income changes are different amid expenditure groups.(Ellinger, 2007) in his study "Effect Of changes in Income on Changes in Consumption: An Empirical Investigation for Illusion Farm Households" uses repeated cross-sectional data which shows how change in income (defined over different ranges of income changes) after change of farm households' consumption. OLS regression confirms that the number of members within a farm household positively affects changes of consumption at the 1 percent significance level. (Staehle, 1934) in his study "The Reaction of Consumers to Change in Prices and Income: A quantitative Study in Immigrants Behavior" which shows if prices or the income of the group change, the composition of their food budgets will change in a characteristic's way. A comparison between the food budgets of working men families with the food budgets of the immigrants which shows slight difference as immigrants suffer more with the change in prices or income as compared to the working men families.(Yousif, june 2014) in his study "Effects of High Food Prices on Consumption Pattern of Saudi Consumers: A Case Study of Al Riyadh city" which shows that the consumption pattern is one the most important drivers of the development pattern of industrialized world. A cross sectional study was conducted to study the effects of higher food prices on consumption pattern of households. Random sampling method was used to select the respondents as study was based on the primary data in which structured questionnaires was used. The result shows that there many socio-economic factors that affect consumption pattern and consumer

behavior of individuals and their responses to the change in commodity prices such as family sizes, marital status, income level and job descriptions, which are considered as the part of the analysis. The results also showed that the consumption quantities of major food commodities decrease due to high prices and at the same time expenditure increases, which leads to erosion of some of the consumer.

Significance of the study

This study would be helpful in understanding consumer behavior and the demand pattern of consumers for goods and services. It will help all the policy makers, businessman and manufacturers to make a pricing strategy as well as to take supply decision. It would suggest future demand pattern and various investment and financial decision as well.

Objectives of the Study

- To study the factor affecting consumer behavior.
- To analyze the factors affecting the consumer behavior.

Research Methodology

This study is descriptive in nature where survey method is used. Survey is done through forming a self-constructed questionnaire considering a research objective. The study is based on primary source for which data has been collected by almost 100 respondents.

A Likertfive-point scale ranging from strongly agree to neutral has been used to collect a quick response from the respondents.

Respondents belonging from different age group, students, service holders, businessmen and the homemaker with huge experience in their variable choices due to change in income were taken as respondents. The area of study is Jhansi.

In order to analyze and taking out findings for both of the objectives of this research Pie charts are used. Following are the justification of objective of the study.

1. Study of factors affecting consumer choices

The study contains responses of about 100 respondents with different gender having differences in their income, age, educational level, monthly income, and occupation.

Respondents Gender Data

Gender	Percentages
Male	**20%**
Female	**80%**
Prefer to say	**0%**

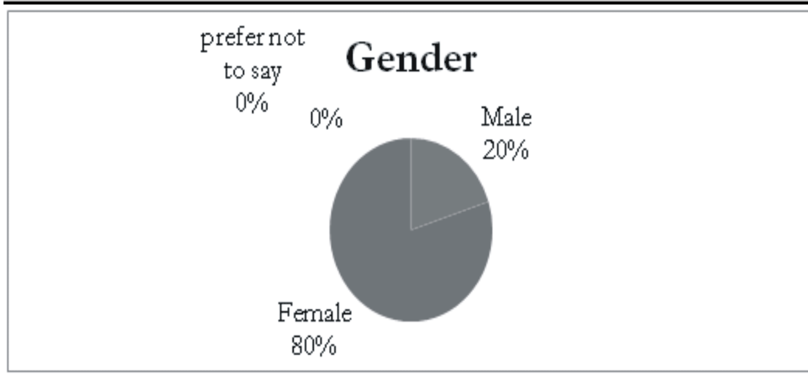

The following chart showing the different age group of the respondents:

Age group	Percentages
15-20	**2%**
20-25	**72%**
25-30	**22%**
30-35	**4%**
35-more	**0%**

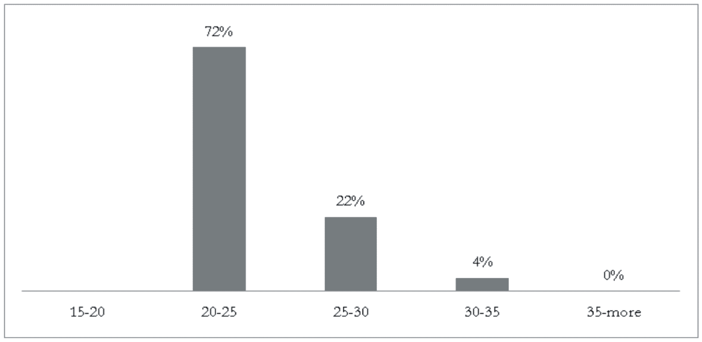

Respondents Education level:

Educational level	Percentages
Secondary Education	**6%**
Undergraduate	**33%**
Post-Graduation	**61%**
Ph.D.	**0**

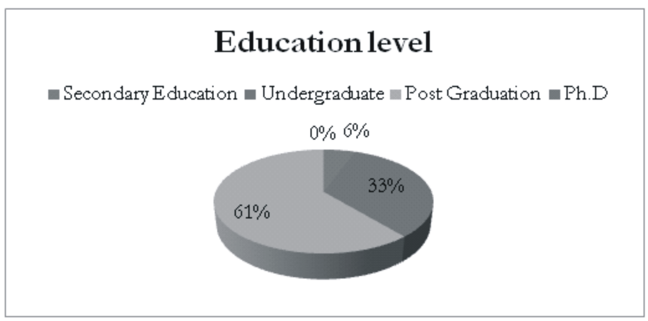

The following chart showing the monthly income of the respondents:

Monthly Income	Percentages
Less than 20000	**27%**
20000-40000	**16.7%**
More than 40000	**27%**
Prefer not to say	**27%**

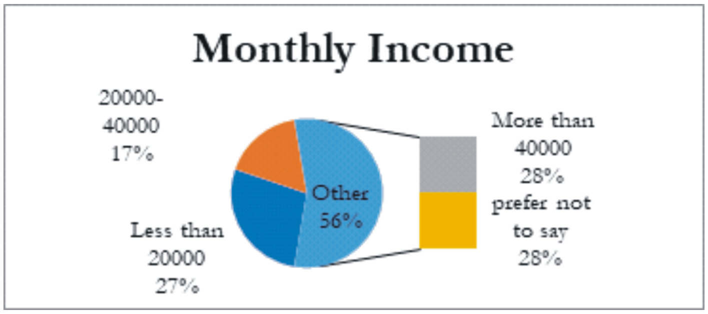

The following Chart showing the occupation of the respondents:

Occupation	Percentages
Assistant professor	**10%**
IT professional	**50%**
Student	**35%**
Teaching	**5%**

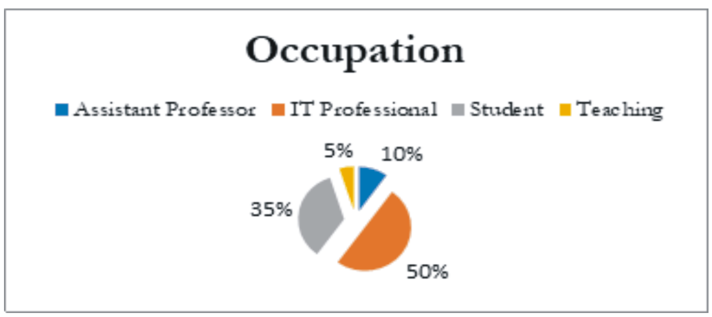

The following chart showing the consumer expenditure:

Expenditure	Percentages
Food	**34%**
Clothing & Accessories	**39%**
Electronics & Gadgets	**21%**
Travel	**3%**
Fees	**3%**

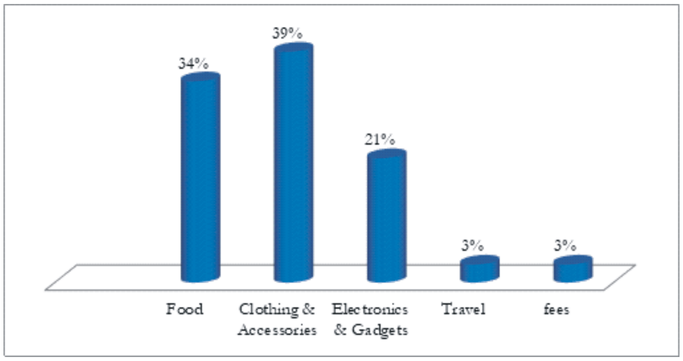

The study found that 39% of consumer expenditure is on clothing and accessories, almost 34% 0n food, 21% on electronics and gadgets, 3% on travel and 3% on fees.

Study on the change in income, that affects the consumer choices

The study shows that about 61% people strongly agree that their consumption behavior and choices. About 38 % people agree that change in income leads to change in their choices. Nearly 1% people disagree and said that their choices do not affect by change in income.

Strongly Disagree	**0%**
Disagree	5%
Strongly agree	58%
Agree	37%
Neutral	0%

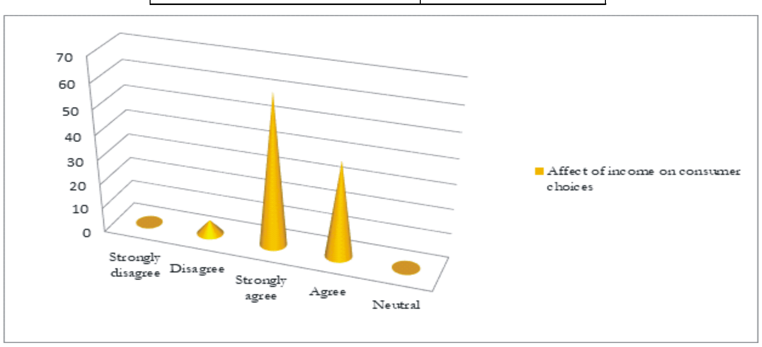

2) To analyze the factors affecting the consumer behavior

Other than income there are various factors which affects the consumer behavior such as-

i) Financial condition of the person: The study found that the financial condition of the respondents do affects their behavior regarding their consumption. About 39% people strongly agree that their financial condition affect their income and for the same nearly 50% people agree to this. About 11% people disagree and said that their consumption behavior does not affect by their financial condition.

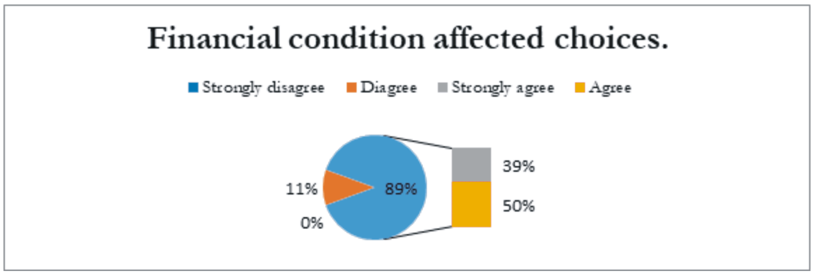

a) In case of Change in income (Increases or Decreases): The study concludes that as the income of the consumer changes whether increases or decreases this will lead to change in their buying behavior. Nearly 55% people strongly agree and about 39 % people agree and about 6% people disagree to the statement that there buying behavior change due to increases or decreases in their income.

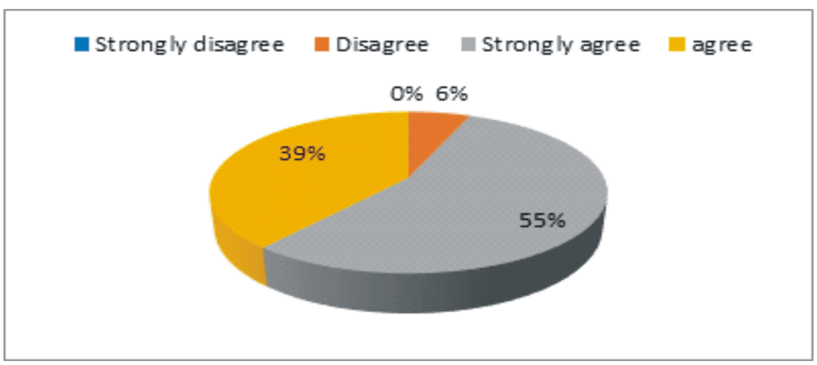

As their income increases their consumption pattern changes as they start spending more on accessories and on an electronic and gadgets and less on food & basic necessities.

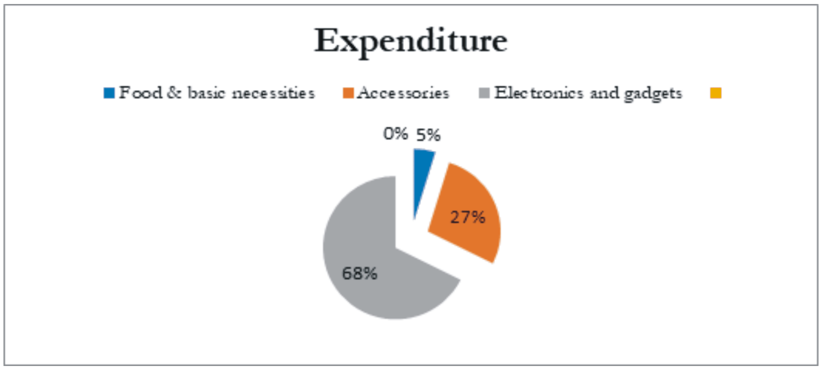

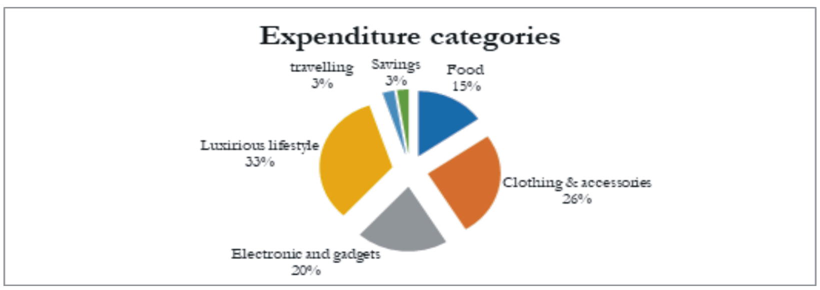

The study also found that as the income of the consumer increases their choices goes for the environmentally friendly goods. Nearly, 27 people strongly agree to this and about 73% people agree that as their income increases their choices shift to the environmentally friendly goods.

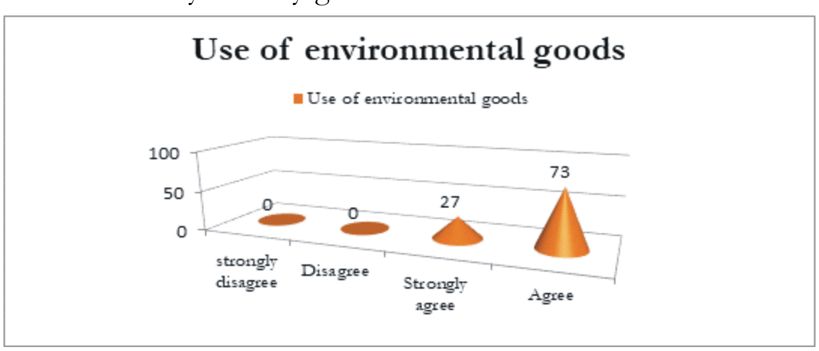

The study found as the income decreases, will lead to change in the choices of the consumer as they used to reduce their consumption. Nearly 73% people reduce the consumption of an electronic and gadgets and about 27 % people reduce their consumption on accessories and about 7% people reduces their consumption on food and on basic necessities.

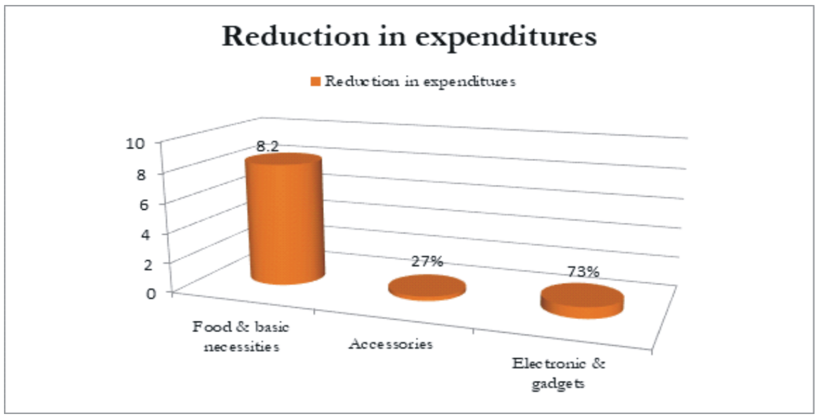

Findings

1. The study shows that about 99% agree that their consumption behavior or choices are affected by the change in income and remaining 1% said that their consumer choices do not affect by the change in income.
2. The financial condition of the respondents does affect their behavior regarding consumption.
3. As the income of the consumers changes whether increases or decreases, this will change in their buying behavior.
4. When consumers income increases their consumption pattern changes as they start spending more on luxury goods.
5. Consumer starts preferring environmental goods when their income rises, as they are become more concerned about the environment.
6. When their income decreases, consumer reduces their consumption level and does not spend on luxurious goods.

7. Consumer choices are affected by the social factors, situational factors, personal factors and psychological factors.
8. There are various perceptions of consumers which do affect the choices and consumption pattern apart from income and other factors.

Suggestion

The new or emerging factors which are influencing the consumer choices. Further research should be conducted with future or upcoming circumstances, which can affect the choices of an individual.Firms should make products which can be easily preferred by the consumers. Products should be made with respect to the factors which influencing the consumer choices and their pricing should be set with an efficient manner, so that consumers' will not be affective by other factors.

Conclusion

Consumer choices are affected by incomes. When income of the consumer increases, their choices shift towards the luxurious goods. When consumer income increases, they start making choices for environmentally friendly goods. When the income of the consumer decreases, their choices shift from luxurious goods to necessity goods. Most of the consumer spend large portion of their income on consumer goods. Consumer choices are affected by the social factors. Various situational factors do affect the choices of consumer. Consumer make choices by taking into consider all the personal factors. There are some various psychological factors which do affect the choices of consumer apart from income. Family is one of the most affecting factors of social factor, which influences the consumer most. A market offering is one of the factors of situational factor affecting the choices of consumer other than income. Apart from all the factor of personal factors, personality is the main factor which influences the consumer most other than

income. Socialization is one of the factors of psychological factor, which affect the consumer most as compared to the other psychological factors and income. Understanding how consumers respond to their choices with respect to change in income as well as other factors is an important topic of research, in particular for understanding how consumers would respond to income changes, which is the key for the formulation of effective choice making. In this project we have reviewed empirical approaches to two distinct questions. First, how the change in income affects the consumer choices? Second, what are the other factors, which affect the consumer choices apart from income? Both the questions analyzed through the primary method with the help of the questionnaire. It is clear that change in income affects the consumer choices. There are various other factors such as personal, situational, psychological and social factors which do affects the consumer while making choices. There are a variety of approaches that can be fruitfully explored to analyze these issues. The main challenge for empirical work is to find out which factor affect the consumer choices the most. The study examined how consumer behavior varies over income level, how they change their preference according to their income level.

References

- *Staehle, H. (1934). The reaction of consumers to changes in prices and income : A Quantitative Study in immigrants behavior.*
- *W.K.O'RIORDAN. (6'March'1975). Consumer Response to Price and Income Changes.*
- *Alderman, H. (may,1986). The effect of food prices and income changes on the acquisition of food by low income households. International food policy research institute.*
- *Siow, J. G. (may 1987). Testing the response of consumption to income changes with (noisy) panel data. The quaterly journal of economics.*
- *Jr., M. S. (April 2006). The Consumption Response to predictable changes in discretionary income: Evidence from the repayment of vehicle loans.*
- *Ellinger, P. N. (2007). Effects of Change in Income on Change in Consumption : An Empirical Investigation For Illusion Farm Households.*

- *Emsina, A. A. (2010). Impact of income changes on private consumption expenditure and its structure.*
- *TullioJappelli. (september 2010). The consumption response to income changes.*
- *Yousif, I. E. (june 2014). Effect of high food prices on consumption pattern of Saudi consumers: A case study of Al Riyadh city. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences , 169-173.*
- *M. Ali-ud-din khan, P. I. (n.d.). An empirical study into the relation of income and consumption using cross sectional data.*

DILEMMA OF CHANGE AND DEVELOPMENT

Dr. Anil Kumar Srivastava*

Abstract

Change and Development is a must for alleviation of poverty. The characterization of dilemma dimensions is important to systematically capture the variety of challenges society encounter in the path of development. This characterization guides the focus of the analysis towards the problematic aspects of dilemmas and emphasizes the potential for change. The issues neglected by the conventional approach must be addressed if true development is to occur. Conventional development programmes have put the pressures on the rural poor and unknowingly destroyed the environment as well. However, it is necessary for traditional societies to adopt modern practices for change and development. But modernization process is not accepted readily. There is always a resistance to change. There is a dilemma to persist with their own traditional ways or to accept modern changes for development. This dilemma exists in all fields whether it be social, economic, cultural or environmental. People's vulnerability make them hesitant to accept and adopt or not, the modernization process for change, development and better quality of life. To understand dilemmas, the contradictions and vulnerability as sources of change and development needs to be explored. In this paper we review the literature around conceptual, social, economic, cultural, and political dilemmas. It is necessary to understand the socio-economic dynamics underlying this paradox and suggest better ways along which development can and must proceed.

Introduction :

The world is changing rapidly. Development and change is

* *Associate Professor, Department of Sociology, J.N.M.P.G. College, Barabanki.*

universal phenomenon. But universalism should ensure that all groups and section of society have equality of opportunity. Millions of poor and disadvantaged people are vulnerable to change and development. Development should not only be to improve things, but it should also enhance humans. Food, shelter, clothing and education are the basic needs human beings. Any process of growth that does not lead to their fulfillment or worse still, causes their disruption. It is a travesty of the very concept of development. Social contexts generates discriminatory behaviours and creates structural barriers for people and groups to exercise their rights and choices, perpetuating their deprivations. The irreversible disruption of traditional societies and lifestyles, and the spread of a uniform materialistic mass culture, which may lead to cultural shallowness, loss of meaning and spirituality and to the increasing exploitation of people as a result of the spread of capitalist market relations. Sometimes it is suggested that people are happier in traditional societies than in modern societies. They would be more in tune with their natural environment, and their needs and wishes would balance their potentialities. If there was ever a choice in whether or not to strive for development. the 'choice' has already been made in the past. Traditional self-sufficient societies have been disrupted. Present-day societies have no choice but to strive for socio-economic development. Given the rapid rates of population growth the alternative would be to sink deeper and deeper into a situation of poverty, misery and starvation. When the immediate results of development are slow in materialising, disenchantment sets in again. The greater the involvement, the harder it is to distinguish between desirability and reality, and the greater the disappointment that follows when the real world proves less manageable than one had hoped.

A dilemma offers two possibilities for a problem, neither of which is unambiguously acceptable or preferable. One is position that has been traditionally acceptable way of life and other is accepting new modes to improve the quality of life, undergoing

developmental process. The problem is whether every section of our society is ready accept the new modes of living. Here lies the vulnerable group, which is most effected by developmental process. If he doesn't accepts change and development process, he will fall behind and if he enters the process he is likely to face not only uphill task but will always be under threat to sustain their living. This section is most unprepared or under prepared. Dilemma is directly related to vulnerability. Those section of human society which is most vulnerable, faces the dilemma most.

The human vulnerability describes the prospects of eroding people's capabilities and choices. Human vulnerability is not new, but it is increasing due to financial instability and mounting environmental pressures such as climate change, which have a growing potential to undermine progress in human development. Looking at vulnerability through a development lens, we draw attention to the risk of future deterioration in individual, community and national circumstances and achievements. There is a need to put forward policies and other measures to prepare against threats and make human development progress more robust going forward.

Development in terms of the provision of basic human needs - life expectancy, infant mortality and literacy indicators, must reflect the quality of life of the bulk of the population, not just a narrow elite. Development is a process of enlarging people's choices. Real development, is not only a matter of enlarging people's critical choices and their ability to be educated, be healthy, have a reasonable standard of living and feel safe. It is also a matter of how secure these achievements are and whether conditions are sufficient for sustained development. Development should pay attention to changes in family structures, attitudes and mentalities, cultural changes, demographic developments, political changes and nation building, the transformation of rural societies and processes of urbanisation. Sustainable development is another way of looking

at how a country or region is progressing over time; this considers not only economic and social factors but also the impacts on the natural environment.

The 'structurally vulnerable' groups of people are more vulnerable than others by virtue of their history or of their unequal treatment by the rest of society. The poor-along with women, immigrants, indigenous groups and older people-are structurally vulnerable. These vulnerabilities or insecurity have often evolved and persisted over long periods of time to create divisions and may be associated with gender, ethnicity, race, job type, social status, indigeneity or geographic location-to name just a few factors, that are not easily overcome. People who are structurally vulnerable may be as capable as others but may still face additional barriers to overcoming adverse conditions. Many of the most vulnerable people and groups face numerous and overlapping constraints on their ability to cope with setbacks.

Three-quarters of the world's poor live in rural areas, where agricultural workers suffer the highest prevalence of poverty. They are caught in intractable cycles of low productivity, seasonal unemployment and low wages and are particularly vulnerable to changing weather patterns. Disenfranchised ethnic and religious minorities are vulnerable to discriminatory practices, have limited access to formal justice systems and suffer from the legacy of past repression and prejudice. And while indigenous peoples make up about 5 percent of the world's population, they account for some 15 percent of the world's poor, with as many as a third of them in extreme rural poverty. Worldwide, more than 46 percent of people ages 60 and older live with a disability, facing severe challenges to full participation in society, further heightened by discriminatory social attitudes.

The challenge is not just to keep vulnerable populations from falling back into extreme difficulty and deprivation. It is to create

an enabling environment for their continuing development in the decades to come. This calls for understanding poverty and deprivation as multi dimensional phenomena requiring universal policies for extending rights and services to all, with special attention to equal opportunities, life cycle capabilities and access for those who are excluded. Such mutually reinforcing interventions can build societal resilience and strengthen human agency. Progress has taken place in a context of growing uncertainty due to deeper and more-frequent shocks. From greater financial instability to high and volatile commodity prices, from recurrent natural disasters to widespread social and political discontent, human development achievements are more exposed to adverse events. Hundreds of millions of poor, marginalized or otherwise disadvantaged people remain unusually vulnerable to economic shocks, rights violations, natural disasters, disease, conflict and environmental hazards. If not systematically identified and reduced, these chronic vulnerabilities could jeopardize the sustainability of human development progress for decades to come. Shocks from multiple causes are inevitable and often unpredictable, but human vulnerability can be reduced with more-responsive states, better public policies and changes in social norms. Vulnerability embedded in social contexts generates discriminatory behaviours and creates structural barriers for people and groups to exercise their rights and choices, perpetuating their deprivations. And fear for physical security in daily life has deeper ramifications for securing or sustaining progress. Most people everywhere are vulnerable to shocks to some degree-natural disasters, financial crises, armed conflicts-as well as to long-term social, economic and environmental changes. Economic weaknesses are undermining the social contract even in advanced industrialized societies, and no country anywhere will be immune to the long-term effects of climate change. More frequent and intense environmental disasters are destroying lives, livelihoods, physical infrastructure and fragile ecosystems. They can impair human

capabilities and threaten human development in all countries-especially in the poorest and most vulnerable. Higher income and socio economic status are associated with greater ability to absorb losses and higher resilience. Women, people with disabilities and racial and ethnic minorities may face greater barriers to recovering from disasters, partly because they have fewer personal assets and unequal access to support. Children, women and the elderly are particularly vulnerable the much greater incidence of hydrological and meteorological disasters. Although fatalities from natural disasters appear to be declining, the number of people affected is increasing. The frequency and severity of heat waves, floods, droughts and heavy precipitation have been linked to climate change. These extremes inflict exceptionally high economic and social costs.

Moreover, there is growing scientific evidence that human action is responsible for warming the atmosphere and oceans, rising sea levels and some climate extremes. Global warming increases the likelihood of severe, pervasive and irreversible impacts. So, some of these weather extremes could be potentially prevented, or at least lessened. Climate change and environmental degradation are major threats to human development. Action to reduce these vulnerabilities, including a global agreement on climate change negotiations, will be fundamental to securing and sustaining human development.

The intersecting or overlapping vulnerabilities arising from economic, environmental, physical, health and other insecurities magnify the adverse impact on freedoms and functions. This makes it much more difficult for individuals and societies to recover from shocks. Recovery pathways and public policies must incorporate measures that build resilience and stabilizers to respond to and cope with future challenges Building resilience thus requires boosting the capacity of individuals, societies and countries to respond to setbacks. People with insufficient core capabilities, as

in education and health, are less able to exercise their agency to live lives they value. Further, their choices may be restricted or held back by social barriers and other exclusionary practices, which can further embed social prejudice in public institutions and policies. Responsive institutions and effective policy interventions can create a sustainable dynamic to bolster individual capabilities and social conditions that strengthen human agency-making individuals and societies more resilient.

A person (or community or country) is vulnerable (dilemma) when there is a high risk of future deterioration in circumstances and achievements. Of course, we all live in an uncertain world, and it may never be possible to reduce such risks to zero. Everyone, rich or poor, is vulnerable to some extent. The possibility of major deterioration in conditions, may take people down to unacceptably bad conditions-poverty and destitution-or worsen the conditions of those already suffering low human development. How far shocks translate into reduced human development depends on people's ability to cope with shocks as well as on the assistance that they may receive. People's ability to cope and adjust is referred to here as human resilience. Most people can adjust to minor shocks, for example. But how far they can adjust to large or persistent shocks without a major sacrifice and of development varies according to their circumstances. The required adjustment depends on the nature of the shock and the circumstances of those affected. Those who are better placed and find it easier to adjust are more resilient. One of the main drags on development is deep and chronic inequality, which restricts choices and erodes the social fabric. Large disparities in income, wealth, education, health and other dimensions of human development persist across the world, heightening the vulnerability of marginalized groups and undermining their ability to recover from shocks. People clustered at the bottom of the socio economic distribution are not there randomly. They lack a sufficient range of capabilities to enable them to live a fulfilling life, and they typically are the most

vulnerable to health risks, environmental calamities and economic shocks.

Economic, social and environmental shocks have a major impact on people's lives and are a key challenge to sustaining and advancing human development. Unpredictable changes in market conditions, the environment and social perceptions can have dramatic destabilizing effects-restricting current and future choices of individuals and households and hampering the progress of entire societies Over the past few decades the world has suffered deeper and more frequent financial crises that have spread rapidly to other economic sectors, creating uncertainty, affecting livelihoods and threatening social stability. Economic shocks can have long-term negative consequences, especially if they trigger a vicious cycle of low human development and conflict. Natural disasters and political shocks-such as droughts and coups d'état-usually have strong negative impacts on human development Although the poorest countries were more insulated from the initial financial shock-due to their limited integration in global capital markets-they were extremely vulnerable to secondary transmission channels, such as declining external demand for their exports and lower foreign investment. Developing countries traditionally are less able to cope with large economic shocks and usually take longer to recover from crises. Economic crises often generate unemployment and hardship, but economic booms can enhance inequality-which may contribute to the next crisis. Indeed, inequality can be both a cause and a consequence of macroeconomic instability. A more equitable distribution income can boost economic growth and promote greater social and political stability. Low income inequality has been associated with longer growth spells and thus greater economic sustainability.

Many rural peripheries of developing countries are stuck in a poverty cycle, which is extremely difficult for them to break out of. Achieving sustainable development therefore becomes a

problem for these areas. Large schemes that focus on national needs (often the economic needs) may overlook the rural poor and do little to improve the lives of people living a long way from the core. Small-scale schemes, on the other hand, may be more appropriate - and more sustainable.

Universalism is a powerful way of directly addressing the uncertain nature of vulnerability. If social policies have a universal aim, not only do they protect those who currently experience poverty, poor health or a bout of unemployment, but they also protect individuals and households who are doing well but may find themselves struggling if things go wrong. Further, they secure certain basic core capabilities of future generations Human dilemma is about the prospect of eroding human development achievements and their sustainability. The gap between development institutions and local social institutions must be bridged. The reforms focussed development efforts should be socially connected to local communities, thereby ensuring that basic human needs are served.

References

- *Singh,Yogendra : Modernization of Indian Tradition, Penguin Books Ltd.,1986.*
- *Harrison, David : The Sociology of Modernization and Development , Routledge, 1988.*
- *Nagendra,S.P., 1994. "Development And Change: Emerging Perspectives". Neha Publishers,New Delhi.*
- *Kartic C. Roy (Ed.), Cal Clark (Ed.): Technological Change and Rural Development in Poor Countries: Neglected Issues 1995*
- *Parasuraman,S.: The Development Dilemma: Displacement in India, Palgrave Macmillan.1999*
- *Anand, S., and A. Sen. 2000. : "Human Development and Economic Sustainability." World Development 28(12): 2029-49.*
- *Pradhan H. Prasad : India Dilemma of Development, Mittal Publications, 2000.*
- *Mkandawire, T. 2001. "Social Policy in a Development Context." Social Policy and Development Programme Paper 7. United Nations Research Institute for Social Development, Geneva.*
- *Melvin Ayogu, Don Ross, 2004 "Development Dilemmas". Routledge.*
- *Paul Collier. 2007 : "The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It". Oxford University Press, USA*

- *Cannon, T., and D. Muller-Mahn. 2010. : "Vulnerability, Resilience and Development Discourses in Context of Climate Change." Natural Hazards 55(3): 621?35.*
- *Davidson, D.J. 2010. : "The Applicability of the Concept of Resilience to Social Systems: Some Sources of Optimism and Nagging Doubts." Society and Natural Resources 23(12): 1135-49.*
- *Conceição, P., S. Mukherjee, and S. Nayyar. 2011. : "Impacts of the Economic Crisis on Human Development and the MDGs in Africa." African Development Review 23(4): 439-60.*
- *Jonathan Rigg 2012. : "Unplanned Development: Tracking Change in Asia". Zed Books.*
- *McMichael Philip.2012. Development and Social Change: A Global Perspective,Sage Publication,New Delhi.*
- *Sipra Tenhunen and Minna Saavala 2012. : An Introduction to Changing India: Culture, Politics and Development . Anthem Press.N.Delhi.*
- *Fitoussi, J.P., and K. Malik. 2013. : "Choices, Capabilities and Sustainability." Occasional Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.*
- *Sen, A. 2013. : "The Ends and Means of Sustainability."Journal of Human Development and Capabilities 14(1): 6-20.*
- *World Bank. 2013. : World Development Report 2014: Risk and Opportunity-Managing Risk for Development. Washington, DC.*
- *Sachs Jeffrey D. 2014 : The Age of Sustainable Development. Columbia University Press,New York.*
- *UNDP 2014. : HDR 2014, "Sustaining Human Progress", New York.*

"SHIFT OF PENDULUM THEORY- HYPOTHETICAL PROPOSED THEORY AND MODEL OF MEDIA EFFECTS"

Dr. Kaushal Tripathi*

Abstract

There are three main paradigms in media effects: hypodermic needle (i.e., direct, or strong effects), limited effects and the minimal/negligible effects. Even the history of media studies is written in four phases. The four phase division of media effects research studies have already been discussed briefly in the first chapter.

There are numerous theories(some of them were briefly discussed in the chapter first of this research work) put forwarded by communication scientists, sociologists, psychologists and others interested in the cause and effect relationship between the society and the mass media. Each theory is supported by one amongst the three available paradigms.

Keywords: *Media Effects, Communication Theory, Media Effects Research*

Introduction

Now, what researcher consider, or his generalization about media effects is, that-

> 'All the three (strong/direct, limited and minimal) paradigms of media effects work in the society one by one and following a pendulum process. In the first stage the effect of the media is strong enough because people are less exposed to them. They have fantasies and curiosities to the medium or the content of the media but as there interaction

* *Assistant Professor, BIMCJ, Bundelkhand University, Jhansi. Mob:8353973918, Email.ID: k.tripathi29@gmail.com*

increases and they become familiar with them, media effect becomes limited and after a saturation stage they reduce to a minimal effect status. At this stage media change over its content or form and bounce back on the media user's with something new. Again the user's dependency on the media increases and the process repeats on and on.'

The whole process is to be explained by a new theoretical concept of -'shift of pendulum' among media and society.

The whole concept can be explained in the three steps

Step I - Pendulum is on the Media Side

Nature of the Media

This step corresponds to the situation when the media is new in either technology or form or content. There is neither much availability of this technology nor access to many users. There is novelty factor in it. It's possession is prestigious and adds a reputation in the personality of the user. Many prospective users have fantasies and curiosity about this new media technology or its content. They are eager to gratify their ever changing needs.

For example, in respect of the popularity of the social networking sites, we all are aware about the reform that took place from 'Orkut' to 'Whatsapp'. Few years back there was a trend to have an Orkut account. But as the time passes technology gets better and we switch over to the new one. Let's take another example of content in the media. Until the arrival of Reality shows, soap operas were quite popular among Indian middle class viewers. As 'Kaun Banega Crorepati' completely changed the mindset of viewers. After the emergence of reality based serials and programs gradually the popularity of daily soaps declined.

At times media behaves in a hostile manner. It is not known much to the people. They want to explore all of it. Media dominate the scene up to that stage when it is able to gratify the needs of the society.

Nature of the Users

In media effect studies the user are generally categorised as active and passive users. Many scholars and academicians of the mass media effect studies define these two in their own manner with their valuable work. Daniel Lerner in his well recognised work of 'Passing of Traditional society' confers the role of media in society as an 'Empathy' generator. Media raises their aspiration by introducing new way of life by adopting certain kind of behaviour or practising certain technologies. Similarly Evertts M. Rogers in his 'Diffusion of Innovation' work out that in every

Shift of Pendulum Model

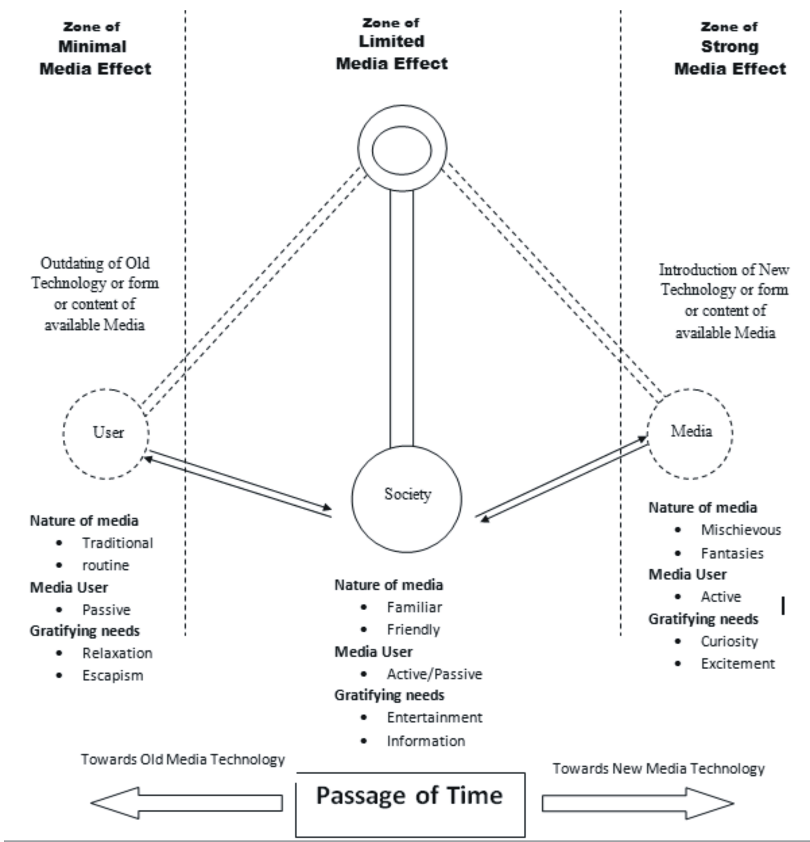

Society people adopted new practices not simultaneously but in a manner here some active individual, whom he described as an early adopter will initiate the process and which later on following five stages and end on laggards.

Similarly, whenever a new media technology or its content modified or appears in a just new attire it appeals the active media users of the society who were already ready to explore the new thing. Who are these active users? In our research we find that mostly the young generation who is quite technology friendly or worshiper of innovation are leading the race than all other users. Young generation with modern education and high purchasing power is always ready to open up the Pandora box. They don`t believe in the results but always want themselves in finishing the race first.

Gratifying Needs

The active users of this stage have following gratifying needs:

- **Curiosity-** The user want to 'know how' of the new media technology. What it is? How it is working? What new it has than the available technology? Is it able to add some novelty factor in my personality? And many such questions. As there are users as are there curiosities. Everyone has its own.
- **Excitement-** Young generation gets easily bored with the available media content and technology. There are always excited about the new thing available to them. The Indian film industry is a best example. The main targets of the film producer are the young population and that is why with every new release they come up with something to excite the users in one or the other way.
- **Prestige, Identity, and Novelty-** The use of the new technology can lift anyone higher or one can stand out of the mob. Even it can add a novelty factor in someone's image. This can become someone's identity.

Role of Society

The Society remains as silent player until or unless norms are not challenged but established. Hence in this stage when only a few aspirants' users are innovating or defining the new uses of new media technology or its content media remains neutral.

Effect of media

As in this step user is curious and excited about the form or content of media because of its novelty and innovative nature. He is active and focused and all this results in the strong effect. Many of the famous people in the world were affected in such similar manner when they experience the media in their first encounter. Mahatma Gandhi when for the first time saw the 'Satyawadi Harish Chandra' play. Its effect on him was for life and he became a synonymous person for truth and ahimsa in all over the world. Satyajeet Ray when saw the Italian classic film 'Bicycle thieves' in London underwent through the same charismatic effect of the cinema. Media in its initial interface to the user, who is not much aware about it or unknown to him effects in a much stronger way, then when it is known. The success of the first 'Jurassic park' film is never repeated by its sequels.

Step II - Pendulum is on the Society Side

Nature of the Media

If media has to last long and want to reach the majority of the media users than it has to mould itself according to the need of the users. So that it utilises its full potential. At this step media became familiar and friendly with the user. It tries to follows the established norms of the society. It became responsible to the society and to its users alike. Like fourth pillar of the democracy.

Nature of the Users

At this step media user uses media as surveillance to the society. He may be sometime active on the part of using media or

some time as passive. Media at this step is like extension to his sense organs as described by Marshall Mc Luhan in his famous concept about media as 'extension to man' .Media user at this step is many a time selecting only those messages which corresponds to their personality or some time mould the message according to his needs. And some time crumble to the messages of the media. In India at the time of election the messages read by the different users from the opinion polls are different.

Gratifying Needs

The active/passive users of this stage have following gratifying needs:

- **Information-** In the drama of the society everyone has its role. And to perform a role in a better way one must remember his lines or dialogue in a very well manner. And for this one need information. This information is may be about the drama that society is playing or the major characters of the society. What else information is?
- **Entertainment-** As information is required for others, entertainment is for himself. After performing his role in a well manner he wants his rewards in the form of entertainment. Just as to relax his physical and mental nerves. Entertainment is like a battery charger for him. It charges him for his next performance in the drama of the society.

Role of Society

Role of Society is like a head in a combined family. Have an eye on every member of the family without notifying him. It has nothing to say unless everyone is performing with in its frame. As the activities of one or other is challenging the head or encroach the life of others, it appears strictly on the scene and imposes some restriction or defined the arena under which the victim has to perform. That is demarcating the lines.

Development of films all over the world starts up as new fantasies and excitement. People watched the films and entertain themselves. Society has nothing to say unless people are enjoying and entertaining. But as excessive of crime and sex were becoming the main subjects of the films and society was effected by it a lot. It harshly comes on with strict impositions, censors and marking films in different categories. Now films have to perform within the guidelines set by the society. Hence media and user both are under the supremacy of society and society playing the dominant role in this step.

Effect of media

Suspicious and mischievous nature of media ends in step one and now the user of the media is well aware about the various aspects of the media. At this step user uses the media according to the gratifying need as discussed earlier. As use of the media is selective and hence its effect is also limited. Media is playing the helping hand role in solving the various day to day problems. It answers the queries. The Pandora box of the first step is now converted into a first aid box. The medicine you will need you will get. Media is not injecting messages but laid down various opinions in front of you to pick up your choice. Hence media has a limited effect on the users at this step.

Step III - Pendulum is on the User Side

Nature of the Media

Media is fighting for its survival. Because of its new competitors, it is focussing on the best it has. At this time it is just a replica of its glorifying years. This is not the time for experiment. It is time to do, what you can do the best. A label of traditionalism is pasted on it. It is just like the experience of Asrani playing as jailor in the cult classic film 'sholey' where he says, "Hum angrejonn ke jamane ke jailor hain...............Aur hum jante hain aajkal hamari batein pasand nahin ki jaati hain". (I am the jailor of British era

.........and I know very well that presently my talking's were not liked). Media is repeating itself in a routine manner. It is present to be only present there.

Nature of the Users

Users are generally passive and less in numbers in using media at this step. Passiveness doesn't mean that he is not aware about it. But he doesn't have interest in the media. Media is much traditional to him. It doesn't have anything to surprise the user. User and media both are very well known to each other.

Gratifying Needs

The passive users of this stage have following gratifying needs:

- **Time pass-** Just waiting for the favourite programme to come unless watching passively another programme just for time pass. While travelling many of us buy a magazine, a newspaper, or a book not because of gaining knowledge but as to time pass. There may be some serious readers but generally they read to cut of themselves from the mob or to ignore the crowd. Watching advertisement in between the television programmes is also such another instance.
- **Companionship-** As society is escalating towards a metro culture, families are splitting from combined to nuclear and from nuclear to single. People are leaving their families for education and jobs. The one leaving the family is bound to live alone and the one left at home is also destined to live alone. Media at this juncture plays the role of a companion. While travelling or at home. Like a good friend it is always there when you need it. A friend in need is a friend indeed!
- **Relaxation-** When one is tired enough after doing a hard work for the full day or just wanted to relax after a herculean task or just simply want to relax without any reason, one takes the help of gadget for listening the same old music,

watching the same movie which we have watched many a times before.

- **Escapism-** Whenever one feels cut off, frustrated, ignored or has been insulted by someone, want to hide oneself from the real world. When nothing seems to be good. Then again one needs some space from the outer world and one takes the help of gadgets and wants to escape from this world. Media interaction is highly passive. Media is not used for opinions or views, what is wrong or right or for answers or questions. But just to disengage ourselves from every one or reality.

Role of Society

Society respects the rising sun, with those who are dominating the scene. It always went with the masses and with those who are still within the race. People with fading faces and diminishing energy are left on their own. Hence society again becomes neutral and leaves the media and the user to decide their fate themselves.

Effect of Media

Media is just left on the mercy of its user. It doesn't have anything charismatic for them. Only a bond of attachment is left between the user and the media. At this stage not the content and technology of media is important but its presence is necessary for the users. Hence the effect of the media is minimal at this step.

Conclusion

Media dominate the scene up to that stage when it is able to gratify the needs of the society (pendulum is on the media side).In this material world needs or gratification level changes with passage of time and as the existing media fails to gratify their ever increasing needs they shift over to other media or media content or other forms of activities. At this stage media have subtle effect on the users of the media (i.e. pendulum shift towards the media users).

Media swiftly adapted to the changing environment and reappear with new forms or content to gratify the changed need of the users (again pendulum shift towards the media side).

References

- *McLuhan, Marshall. (1969). Understanding Media: The Extensions of Man, Penguin*
- *Katz, E., Gurevitch, M.,&Haas, H. (1973). On the use of the mass media for important things. American Sociological Review, 38, 164-181.*
- *Blumler, J., & Katz, E. (1974). The Uses of Mass Communications. Beverly Hills, CA: Sage Publications.*
- *Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). Ulilization of mass communication by the individual. In J. G. Blumler, & E. Katz (Eds.), The uses of mass communications: Current perspectives on gratifications research (pp. 19-32). Beverly Hills: Sage.*
- *Katz, E., Blumler, J., & Gurevitch, M. (1974a). Utilization of mass communication by the individual. In J. G. Blumler, & E. Katz (Eds.), The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research. Beverly Hills & London: Sage Publications.*
- *Katz, E., Blumler, J., & Gurevitch, M. (1974b). Uses of mass communication by the individual. In W.P. Davison, & F.T.C. Yu (Eds.), Mass communication research: Major issues and future directions (pp. 11-35). New York: Praeger.*
- *Elihu Katz, Jay G. Blumler, and Michael Gurevitch, "Utilization of Mass Communication by the Individual," in The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifi cations Research , Jay G. Blumler and Elihu Katz (eds.), Sage, Beverly Hills, CA, 1974, p. 21.*
- *Seth Finn, "Origins of Media Exposure: Linking Personality Traits to TV, Radio, Print, and Film Use," Communication Research , Vol. 24, 1997, pp. 507-529*
- *Glenn G. Sparks and Cheri W. Sparks, "Violence, Mayhem and Horror," in Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal , Dolf Zillmann and Peter Vorderer (eds.), Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, 2000, pp. 73-91.*
- *Zizi Papacharissi and Alan M. Rubin, "Predictors of Internet Use," Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 44, 2000, pp. 175-196.*
- *Introduction to communication, JMC-01. Introduction to Journalism and Mass Communication. (2004), IGNOU. pp. 16*
- *Introduction to communication, JMC-01. Introduction to Journalism and Mass Communication. (2004), IGNOU. pp. 16*
- *Origin and development of Mass Media in India, JMC-01. Introduction to Journalism and Mass Communication. (2004), IGNOU. pp. 58-59*
- *Kumar, Keval J. (2007). Mass Communication in India, Jaico Publishing House. pp. 32-34*

- *The core ideas of the theory detailed here are presented in Alan M. Rubin, "Uses and Gratifi cations: An Evolving Perspective of Media Effects," in The Sage Handbook of Media Processes and Effects, Robin L. Nabi and Mary Beth Oliver (eds.), Sage, Los Angeles, CA, 2009, pp. 147-159.*
- *"The uses of mass media", mass media effects and uses-330*
- *Http:/zimmer.csufresno.edu/~johnca/spch100/7-4-uses.htm*
- *http://matei.org/ithink/2010/07/29/what-can-uses-and-gratifications-theory-tell-us-about-social-media/*
- *http://matei.org/ithink/2010/07/29/what-can-uses-and-gratifications-theory-tell-us-about-social-media/*
- *http:/www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Communication%20and%20Information%20Technology/Uses_And_Gratification_Approach-1/*

NATIONAL DROUGHT MANAGEMENT GUIDELINES AND COMMUNITY RESILIENCE THROUGH GENDER LENS: A CRITICAL STUDY

Shivani Agarwal*, Dr. Rupesh Kumar Singh**

Abstract

Disaster in India is a common phenomenon and there has been a paradigm shift in the Disaster Management (DM) in the recent past. Vast number of casualties, heavy economic loss and social distortion in the country has led to the realization that we need integrated development where disaster management is prioritized in the mainstream development work. Following this, the government of India has adopted a holistic approach in managing the natural and manmade disasters by proactively formulating various laws and policies on disaster management. Of all the kinds of natural disasters like flood, earthquake, tsunamis, hurricanes etc, the drought is the one whose onset and end can't be demarcated easily. Moreover, it is still under the debate of its classification as natural or manmade disaster. Thus, drought is often studied as a product of insufficient rainfall and poor water management practice of the community. Since, rainfall is a natural phenomenon and beyond human control, so the government after the enactment of DM Act, 2005 has made efforts in formulating the DM policy in 2009. Keeping disaster management the national priority, the govt. has come out with the drought management guidelines in 2010 and since then, the govt. has put several efforts

* *Junior Research Fellow (Social Work), Department of Sociology, Social Sciences and Social Work, Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.*

** *Assistant Professor, Department of Sociology, Social Sciences and Social Work, Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.*

at International level collating with the various countries under the umbrella of United Nations. The Hyogo framework for action (2005-2015), the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015), Paris agreement on Climate Change, 2015, the Asian Ministerial Conference in India in 2016 and the PM's 10 point agenda are few of glimpses of the actions taken by the government that highlights the Disaster Management as a global issue. In all its policies and actions the govt. has focused on Disaster Risk Reduction (DRR) measures which are detailed in the National Drought Management Guidelines, 2010. The govt. has emphasized on increasing the resilience of the community to adopt and recover from the drought adversity by taking various water management and skill building measures.

Thus, this paper presents the drought issues in India and focuses on the efforts put in by the govt. to manage drought and make community resilient by formulating and implementing drought management plan through its guidelines. The paper is concluded by focusing on the challenges faced by the govt. in fulfilling that plan from top to bottom that is from National to local level and the gaps in the guideline in addressing various cross cutting issues.

Keywords- *Community Resilience, Disaster Management, Drought, Disaster Risk Reduction, Integrated Development.*

Introduction

The human civilizations have witnessed disasters of all types and varied intensity. Disasters are a global issue and have gained the definite attention at the international scale. Between 2006-2015 total 6,090 disasters were reported across the world. (World report on disaster, 2016). Of all the kind of disasters such as flood, earthquake, tsunami, hurricanes etc. that causes instant toll on people and economic or infrastructural loss, it is difficult to measure the losses incurred due to drought. The droughts in India are hard to assess due to its debatable and varied features. However, the

drought is categorized as a natural calamity but the modern viewpoint sees it as "Mismanagement of Water".

The disasters after independence have been handled indirectly by the way of allocating funds through various plans and development schemes of the government. Fund utilized in the community in the form of Food for Work, Cash for Work etc, has provided immediate relief to the community. Although not finding any special mention about disaster management in any legal frameworks or the constitution. Independent India had a long history of providing relief to the community during disasters from the funds under five year plans. Few schemes of the government for drinking water, employment generation and inputs for agriculture such as Drought Prone Area Program (DPAP), Flood Control Programme (FCP), National Afforestation and Eco Development Programme(NA & ED), Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP), Crop Insurance, Sampurna Grameen Rojgar Yojana (SGRY) and Food for Work Programme helped in reducing the vulnerability of the community to disaster. On the legal front before 2000, The Disaster Relief Act, 1982, The National Building Code 1994, Model Town and Country Planning Act, 1960, etc assigned roles and responsibilities to different entities for disaster risk reduction in India. The Department of Agriculture was given the lead role of Disaster Management in India prior to 2003 as the nature of relief basically was the distribution of food grains amongst the affected community.

But it is in past two decades after facing severe consecutive disasters like 1999 cyclone of Orissa, 2001 Bhuj earthquake and Tsunami of 2004, the government of India shifted from relief centric approach to holistic approach focusing on reduced disaster impact. The increased frequency of disasters and severity of droughts leading to large no. of casualties and heavy economic losses led to the realization that development cannot sustain unless the Disaster Management activities are mainstreamed into the

development work as a national priority. With these series of events the govt., enacted the Disaster Management Act of 2005, decentralizing the responsibility at National, State and District level and building strong institutional network to focus on disaster mitigation and preparedness. The govt. of India's mandate to make the community resilient to disaster, further took it to international platform to address the issues pertaining to disaster and chalk out a direction for sustainable and disaster integrated development. In this line of action, Indian govt. participated in series of conferences, seminars etc, and signed agreement on climate change. The Hyogo framework for action (2005-2015), the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015), Paris agreement on Climate Change, 2015, the Asian Ministerial Conference in India in 2016 and the PM's 10 point agenda are few of glimpses of the actions taken by the government that ensures the Disaster Management as a priority issue of the government.

To manage the disasters effectively and in time the government came up with the disaster management policy in 2009 and formulated the disaster management guidelines with reference to specific type of disaster. Pertaining to the climate change and frequent droughts in India the National Disaster Management Authority (NDMA) came up with the drought management guidelines in 2010 that was to be followed by the States and Districts to formulate the action plan and implement it to effectively manage the drought in their areas.

Droughts is no longer thought to be the cause of "mere scarcity of water" but is related to the "inefficient water resource management". Drought is the natural hazard that has a slow onset, evolve over months, causes little structural damage but affects up to a large extent. The drought affects the economy, environment and several social sectors and can be reduced through mitigation and preparedness. Indian agriculture is largely rain-fed and very few large farmers have their own irrigation system. Over 80-90%

drinking water and 50% irrigation is met from groundwater. Water is being exploited which demands for stringent action on water harvesting techniques. The analysis of drought incidences over last two centuries do not show any increase in its frequency but the severity of disasters have increased (National Drought guidelines pg. xvii). The government through the drought management guidelines have stressed upon timely immediate relief with mitigation and preparedness plan for the future hazards. Thus, building community resilience is utmost important from the action point of view.

Community resilience has become a matter of concern in the recent past, after the several institutional structures at different levels did not succeed in the long term measures in reducing the drought impact. Thus, it became the necessity to understand the risk of water shortage and the exposure of the communities to the problems arising thereafter. So, in order to reduce the impact of such consequences on community it is needed to better understand the hazard and the factors that enhances the vulnerability of the community. Based on this understanding only the ground level strategy could be formulated and the community can be prepared to reduce the drought impact and cope up with the adverse impacts of drought. Thus, keeping in mind the diversity and the differentiated impacts the state and district specific guidelines have been given due importance to manage drought through National Drought Management Guidelines, 2010.

Methodology

This paper is based on the secondary review of different Acts and Guidelines that were formulated to manage drought in the country and at International level. The enactment of these acts provides the framework to this paper and the Drought Management Guidelines 2010 by NDMA provides the direction to this paper. Thus, this paper is divided into 4 main sections - Review of Guidelines, Gaps Identified, Challenges and Suggestions.

Guideline has been examined as per its detailed 7 Chapters which also form the parts of the critical analysis. Later to this, review is concluded and the challenges in context to action planned and the action taken in consideration with the gaps identified have been discussed. The last section of the paper is the suggestions based on the review.

Review of Guidelines: A Critical Analysis

After all the horrific experiences of disasters and witnessing the sufferings of the people, the government of India adopted a proactive, multidisciplinary approach and brought a paradigm shift in building disaster resilience into construction of infrastructure to cope with natural and man-made disasters. These guidelines emphasize on risk management rather than following the traditional approach of relief as the crisis management technique.

The Drought Guidelines given by NDMA provides the direction to the central and state team for preparing detailed action plan to manage drought. NDM guideline focuses on management action plan through 7 detailed chapters.

In the First Chapter named Status & Context, the concept of drought and the Indian situation when compared to drought at world level is discussed. It majorly focuses on the drought risk and the vulnerability and on understanding hazard and influencing factors in order to reduce the serious consequences of drought. It also pays stress on comprehensive and integrated drought early warning systems incorporating the monitoring of climate, soil, water supply factors such as precipitation, soil moisture, snow pack, reservoir and lake level, ground water level and stream flows.

In the Second Chapter on Institutional Framework & Financial Arrangements the Guideline focuses on the various committees formed and their roles. NDMA formed under the Disaster Management Act, constitutes an extended and core group of experts including representatives of Department of Agriculture

and Cooperation, Indian Council of Agricultural Research, National Remote Sensing Centre along with the other stakeholders for the preparation of the Drought Management Guidelines. Along with this it discusses about the setup of Finance Commission and arrangement of funds during disaster and the committee responsible.

In Chapter Three on Assessment and Early Warning, the guideline expects SDMAs to create separate drought monitoring cells with adequate administrative, technical and data maintenance staff. It also discusses the survival strategies of the people affected by drought. Guidelines also focuses on preparing state specific vulnerability maps based on following variables- Metrological, soil, surface water use, ground water availability, crop and socio-economic dimensions of the area. This mapping provides critical information on who is at risk, the nature of risk and reasons for such risk. According to Hanumatha Rao Committee, these multiple criteria should be used to define the drought vulnerability in an area rather than following the metrological drought as only the unit for defining the drought and chronic drought prone area as defined by the Irrigation Commission setup in 1972.

DAC, Ministry of Agriculture in association with NIDM came up with the Drought manual that says deficiency in rainfall, extent of area sown, normalized difference vegetation index and soil moisture index be used as four standard monitoring tools in the declaration of drought. DAC had also formulated the Crisis Management Plan (CMP) to timely address the drought situation.

The guidelines given by the government aim at i) having a resource centre based on contemporary knowledge , practices and collected information and roadmap drawn ii) Multiple observation based intense periodic drought assessment iii) Standard Operating Procedures (SOPs) is evolved and practiced in the declaration of drought including the time of declaration of drought iv) Indian Drought Management Centre (IDMC) is established v) Central &

State level data base related to drought intensity assessment vi) Control Room for drought management is established and DM division in Department of Agriculture & Cooperation is strengthened.

In Chapter Four on prevention, preparedness and mitigation NDM guideline stresses that the Drought prevention and preparedness involves water supply augmentation and conservation such as rain water harvesting techniques, expansion of irrigation facilities, effective dealing with drought, and public awareness and education. To successfully manage the drought situation, community awareness on the mitigation strategy insurance schemes for farmer and crop contingency plan are must. The guideline also talks of micro level management- to delineate the drought prone area, gradation of drought prone area on high, moderate and low scale. Monitoring the drought on the basis of rainfall and other associated parameters, health (satellite derived & field reports) , variation in ground water lable & surface water resources, migration and impact on community and to monitor all these should have good observational network. To achieve this, NDMG expects the state government to establish automatic weather stations and rain- guage to enable micro level analysis and forecasting. Later it talks about climate change & drought and discusses National Action Plan on Climate Change formulated in 2008. With the question of "how resilient will the society be in its response" the plan "identifies measures that promote our development objectives while also yielding co-benefit for addressing climate change effectively" and outlining existing and future policies and programmes addressing climate change mitigation and adaptation".

The guideline aims at long- term drought management policy goals & objectives. Thus, it further talks about mitigation measures to reduce the magnitude of risk to human life, property & productive capacity. These mitigation measures are important for

adapting to climate change, restoring ecological balance and bringing development benefits to people. Nutritional aspect of food security during drought to be ensured through ICDS and Mid-Day Meal scheme for drop out students. Scarce water during drought has to be managed optimally by promoting water budgeting models at water shed levels and community at PRI level has to be provided with information on availability, demand & management/ conservation. Farmers will be encouraged to apportion at least 1% of their landholding for digging farm ponds, which would help in tiding over the drought period. Cropping plan will be designed for late sown crops with short duration varieties.

Further in Chapter Fifth, the guideline emphasizes on the capacity development of the people responsible for drought intervention. Human Resource development, need based training, education and capacity development are thought to be the effective strategy to enhance the knowledge, skills and integrate the attitude and culture and available resources. Training institutions such as administrative training institutes Training of trainers, scientific assessment of the training needs in drought management for all the professional, governmental officials from top to bottom. PRIs and ULBs will ensure the capacity building of their officers and employees. NIDM will provide specialized training to the training faculty of ATIs and to strengthen them further the Ministry of Agriculture will establish a dedicated faculty in selected ATIs/ organizations for research training in Drought Management by instituting chair positions. At school level also the drought management will be introduced in the subjects like Social Sciences and Environmental Science. Most importantly, the community will be made to understand the importance of drought preparedness and mitigation and will be acknowledged with alternate livelihood options, supplementing income, creating awareness about the govt. schemes for them. Community Based Disaster Management

(CBDM) will be focused by disseminating information through PRIs and local bodies and involving the participation of community and timely financing for the activities to be included in CBDM plans. The state departments will prepare/revise/ update the existing drought manuals. Community participation is a must and so is the involvement of community centric organizations and NGOs. Rain water harvesting holds the key to drought mitigation policies and women SHGs play an important role in large no. of activities targeted for drought mitigation such as - rainwater harvesting, running PDS and day care centres and overseeing water distribution and utilization in their community and promote greater equity and efficiency in natural resource management.

In Chapter Sixth on Relief and Response the Guidelines takes into consideration the fact that every year some part of India is affected by drought. Therefore, the GoI has to help the States to focus on understanding the nature of drought, modifying the perception and response to drought, changing the approach from relief to mitigation of drought. Strategies for mitigation should take into account the livelihood opportunities and support system both in irrigated and rain-fed parts of drought prone areas and Indigenous Technical Knowledge in relation to drought. Relief assistance should include relief employments with cash assistance and release of food grains and the focus on convergence of national employment schemes and improved access to institutional finance for better management of drought. Sampoorna Gram Rojgar Yojana (SGRY) of 2002 and Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Scheme (MGNREGS) of 2006, should address the problem of seasonal unemployment with special component of drought and create substantial employment to tide over the hardships and deprivation caused due to drought. It should be featured during drought as - including non - manual labour, increased no. of days, bio fuels and nurseries are developed on waste-land for continuous employment generation, wages in cash along with

food basket. Agencies involved should build assets such as tanks and wells. Different schemes should be merged to maximize employment generation.

At State level, the drought management requires coordination with agriculture, animal husbandry, water conservation, irrigation and finance department. State govt. requires to have effective contingency plan in place, short duration seeds varieties available on subsidy, create awareness amongst farmers on management practices like- intercropping, mulching, weed control, intercultural operations and encourage farmers to have crop insurance irrespective of whether indebted or not. Provide financial accessibility to farmers through credit systems so that they can invest in seeds, livestock, and irrigation equipment and storage facilities for seed and fodder. Supporting the community with the marketing techniques to get the best market returns in good and bad years. In-kind insurance through community seed banks and fodder banks. Diesel subsidy introduced by DAC in 2009 enables farmers to provide supplementary irrigation through diesel pumps in drought and deficient rainfall years to protect the standing crops. Consumption loans to farmers during drought will bring them into the net of social security. Nutrition deficiency among vulnerable groups in pockets of acute distress due to shortage of food grains. Therefore, corporate sector dealing with health segment will be tapped for contribution. State govt. is required to formulate fodder policy as existing in Tamilnadu. Fodder, cattle feed and mineral mixture will be supplied to all productive animals to prevent distress sale of cattle. In case of Rajasthan, these camps were established along the Indira Gandhi Canal where water for drinking and growing fodder is more easily available. Thus, guidelines suggest for the assistance of railways ministry in transport of fodder, raising of fodder in govt. as well as farmers land etc.

In the last Chapter that is Seventh named Implementation of Guidelines - Preparation of Drought Management Plans, the

guideline further directs the States to form the Drought Management Plan (DMP) based on drought management guidelines by NDMA. Based on State plans the National DMP will be prepared by NEC. The National Plan will comprise of National Response Plan (prepared by NEC) Mitigation and Preparedness plan (prepared by different central ministries& different disaster covering agencies), National Human Resource and Capacity building plan (prepared by NIDM). This plan will be approved by NDMA and will focus on warning and information dissemination to the affected communities in far-flung areas in simple language. The DAC will be the nodal agency and will oversee the coordination of activities related to drought mitigation and monitor the occurrence of drought anywhere in India with the assistance of various central and state govt. departments. Crisis Management Plan prepared by DAC defines the responsibilities of various responders and put together the communication process for timely notifying the public in the event of crisis. State govt. will stress on preparation of community preparedness plan to address the special feature of community and outline the govt. and community resources available for the same. State plans will encourage horizontal partnership through well-recognized techniques like participatory rural appraisal, focused group discussions etc by involving DDMAs, ULBs, NGOs. SHGs, CBOs and the most vulnerable groups. Historical knowledge, lessons learnt and traditional coping mechanisms and existing skills needs to be incorporated in these plans. The agriculture department will prepare the drought management plans for entire season in the month of May, based on the season forecast issued by IMD in April and the previous season rainfall.

The implementation of the disaster plan will be coordinated effort by NDMA, NEC and DAC as the nodal agency. NGOs, CBOs and PRIs will be involved for better information dissemination. The central and state ministries will ensure

mainstreaming of disaster management efforts in the developmental plan.

Conclusion

After critically analyzing the National Drought Management Guidelines it can be concluded that the major emphasis is on the systematic approach towards drought management which is holistic, integrated with the development efforts. It stresses on bottom to top approach where the problems of the community in context to region and geographical and hydrological feature is taken into consideration and these then incorporated into a district and state plan which collaboratively forms the National plan. In line with this it is found that the guideline recommends the state for few urgent actions - Separate drought monitoring cells (DMCs), state vulnerability maps, control room in DAC for drought management, water shed development approach , automatic weather stations, generate employment in drought affected areas and build assets such as tanks and wells, prepare contingency plan during late monsoon or dry spell, subsidized short duration seeds, stock quality seeds, awareness among farmers on management practices like - intercropping, mulching, weed control, intercultural operation, controlling of sucking pests, insurance irrespective of whether indebted or not, social security for labors through loan access, fodder, cattle feed and mineral mixture for all productive animals to prevent their distress sale, assessment of fodder need and fulfilling the same, use of tank bunds for fodder cultivation, establishment of fodder banks, ministry of railway assistance for transport of fodder and drinking water , intensification of water conservation in villages, preparation of National DMP incorporating the DMP by state, modify the existing plans streamlining DRR measures, convergence of development schemes for better resource management and employment opportunities during drought, relief activities in time, implementing drought management plan as per timeline etc. Thus, it can be said that the

guidelines by NDMA is very robust and community centric as it directs the drought management plan formulation following bottom up approach where the region specific issues and vulnerability are taken into account. Also, it talks about strengthening community resources with major emphasis on water management techniques and using drought resistant varieties and shifting to cash crops.

However, the guideline nowhere stresses on analyzing the communities capability and do not suggest drought management initiatives through Gender lens. We cannot forget the women farmers who are equal partners (as labours) in fighting the stress of drought both in field and at home. Gender concept should be included in the drought management plans of the state- since, water management is emphasized and the women's domestic usage of water if well managed could to a certain extent help in alternative source of income such as growing vegetables, flowering etc. SHGs as source of credit could be well strengthened through the govt. schemes and NGOs intervention and should be made to learn various other employment generation opportunities, market linkages etc and managing finances. The drought management guideline came in 2010 and we still could not see much work done at ground level in building the communities resilience at ground as per the guidelines. Moreover, the implementation of schemes like MGNREGA during drought is quite challenging since the water is already deficient. Govt. should also provide increased ration through PDS during distress.

Thus, the govt. representatives responsible from state to district should ensure timely implementation of the action plan formulated under the direction of the drought management guidelines by the NDMA incorporating holistic disaster mitigation and preparedness from gender perspective.

Challenges

1. The primary duty of managing drought lies with the state. Thus, managing finances at the time of relief and the

insufficient disaster contingency fund may be a barrier in effectively fulfilling the responsibility; moreover, there is no time limit for drought declaration.

2. Drought assessment still is done on the basis of rainfall deficiency.
3. Involvement of various ministries/dept./org. in short or long term relief activities results in delay of implementation and timely coordination.
4. Lack of community based drought management approach and poor or no involvement of SHGs and corporate sector reduces the overall value of the effort.
5. Guidelines seek for the timely declaration of drought but the cumbersome procedure of impact analysis and scattered data in a local format delay its analysis and quick decision - making.
6. Grievance Management systems are in place so that the benefits reach the intended beneficiaries. However, the community hardly knows if such access to redressal exists.
7. Diesel subsidy scheme would only help the middle and large farmers. Marginal farmers still have to depend upon rainfall.
8. Online availability of information relating to demand and supply of fodder will earn benefit to only tech-friendly farmers.
9. Various actions directed under guideline are neither taken and nor known to the community.

Suggestive Actions

1. Sufficient disaster contingency fund should be maintained in all the states and special corpus fund for disaster prone states should be established.
2. Flow of fund should be timely done to provide relief and mitigate the drought impacts successfully.

3. One nodal ministry with the trained staff for drought should be appointed to avoid delay in distribution of relief.
4. Coordination amongst the various stakeholders including community people, CBOs/SHGs, implementing organizations, religious institutions, donor agencies and government is very important to avoid the duplication of efforts and wastage of resources.
5. One well researched and tested short format for drought assessment should be used for timely analysis of data.
6. Community should be aware on how to solve their grievances during relief conflicts.
7. The PDS should be strengthened during drought to prevent hunger and the secondary items such as cooking essentials like spices, oil etc should be provided.
8. Community friendly modes of communication should be promoted such as manual awareness through mikes in the villages as all the people are not tech-friendly and also every one do not have TV nor can everyone read the newspaper.
9. Guidelines have good action plans but it needs to be implemented to give meaning to the National Drought Management Guidelines.
10. The community resources for each disaster prone village and the adjacent areas should be mapped in advance for immediate response.
11. Women who are financially also the great contributor in the unorganized sector should be recognized as the asset rather than liability as major chunk of responsibility on utilizing water resources rests with them,

Thus the government presence on ground through CBOs & NGOs is needed to promote the actions under DMG in time and make the community resilient.

References

- *Ministry of Law and Justice, 2005, Disaster Management Act 2005, Legislative Department, Government of India.*
- *NDMA (National Disaster Management Authority), 2009, National Policy on Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India.*
- *NDMA, National Drought Management Guidelines: Management of Drought, 2010.*
- *Das, Pulak, (Jan- June 2012). Disaster Management in India: Policy Review & Institutional Structure, Asia Pacific Journal of Social Sciences, Vol. IV (1).*
- *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World Disaster Report, 2016. Resilience: saving lives today, investing for tomorrow.*

सामाजिक कल्याण में स्वैच्छिक–सामाजिक कार्य की भूमिका

डॉ. मुहम्मद नईम*, डॉ. विवेक कुमार सिंह**

भारत में सामाजिक सेवा और स्वैच्छिक कार्य का बड़ा पुराना इतिहास रहा है, जबकि समाज कार्य व्यवसाय को भारत में अभी व्यवसायिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। प्राचीन काल में सामाजिक सेवा कार्यों के लिए कुछ विशेष सामाजिक संस्थायें होती थी। मध्यकाल में इस तरह की सामाजिक संस्थायें कम संख्या में रहीं, किन्तु तब भी स्वैच्छिक सामाजिक कार्य बन्द नही हुआ। भारत में आजादी के पहले सामाजिक सुधार आन्दोलनों के दौर में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा मिला। 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण से प्रेरित होकर मध्यम वर्ग के प्रगतिशील लोगों ने स्वैच्छिक कार्य को अपनाया और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के कार्य की पहल की गई।

सांस्कृतिक पुर्नजागरण काल में स्वैच्छिक कार्य के तीन तरह के उदाहरण देखने को मिलते है। इनमें से एक समाज के जाने माने लोगों की लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित था। उदाहरण के लिये राजा राममोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ आन्दोलन चलाया और विधवा विवाह के लिए भी कदम उठाये। दूसरी पहल, ईसाई मिशनरियों की ओर से भी की गयी, जिन्होंने सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की ओर ध्यान दिया। इसके अलावा स्वैच्छिक कार्य की दिशा में तीसरे प्रकार की पहल सामाजिक–राजनीतिक प्रकार की थी और राष्ट्रप्रेम की भावना से प्रेरित थी। इस प्रकार के कार्यों की अगुवाई लाला लाजपत राय तथा बाल गंगाधर तिलक जैसे सामाजिक–राजनैतिक नेता कर रहे थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के लिए इन नेताओं ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, किन्तु

*   *सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उत्तर प्रदेश)*
** *सह–आचार्य, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)*

उनके आंदोलनों का असर एक खास क्षेत्र और खास समुदाय तक सीमित रहा।

भारत में कई अन्य क्षेत्रों की भांति स्वयंसेवी प्रयासों के स्वरुप में भी बुनियादी परिवर्तन अंग्रेंजों के आने के बाद आया। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद देश के न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन में भारी परिवर्तन आने लगा। मध्यवर्ग के उदय के नए चिंतनशील और तर्कशील समुदाय को जन्म दिया, जो सभी प्राचीन परम्पराओं तथा मान्यताओं का अंधाधुंध अनुसरण करने को तैयार नहीं था। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने सोचे समझे तरीके से भारतीय समाज के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, जिससे सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यों में गैर सरकारी प्रयासों को बढावा मिला।

स्वयंसेवी प्रयासों को नया मोड देने में ईसाई मिशनरियों की उल्लेखनीय भूमिका रही। इससे पहले धार्मिक संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था। उनकी सबसे बडी सीमा यह थी कि सभी कार्य उच्च जातियों के लिए ही किए जाते थे। वंचित वर्गों की ओर धार्मिक संस्थाऐं प्रायः उदासीन रहती थी। ईसाई मिशनरियों ने गरीबों की भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने, रोगियों का इलाज करने, शिक्षा के प्रसार, अस्पृश्य जातियों के लोगों को अपने साथ बिठाने जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा। उनसे प्रेरणा लेकर पढे–लिखे हिन्दुओं ने भी सामूहिक रुप से सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वयंसेवी प्रयास प्रारम्भ किए। इस नई प्रवृत्ति का सबसे बडा लाभ यह हुआ कि धर्म का एकछत्र वर्चस्व कमजोर होने लगा और सामाजिक मुद्दे भी परोपकारी और धर्मार्थ प्रयासों में शामिल होने लगे। यहीं नहीं, अनेक संस्थाएं एवं संगठन प्राचीन मान्यताओं को चुनौती देने का साहस करने लगे और नई शिक्षा के प्रसार के साथ स्वयंसेवी प्रयासों का दायरा व्यापक होता गया। स्वयंसेवी प्रयासों की प्रेरणा अब धर्म से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण, विश्व कल्याण और मानवोत्थान जैसे भावों से ली जाने लगी। ईश्वर में विश्वास न करने वाले लोग भी जब लोक कल्याण के काम

निःस्वार्थ भाव से करते देखे गए तो स्वयंसेवी प्रयास धर्म के कवच से मुक्त होने लगे। यही कारण रहा कि आर्य समाज, ब्रह्मसमाज, रामकृष्ण मिशन जैसे संप्रदायों और संगठनों ने पूजा पद्धति और सैद्धान्तिक धर्म प्रचार के दायरे से बाहर निकलकर सामान्य जन की सेवा और उन सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का बीडा उठाया, जिन्हें तब तक धार्मिक समर्थन प्राप्त था। राजा राम मोहनराय, केशवचन्द्र सेन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, एम. जी. रानाडे, महात्मा ज्योतिबा फुले, पंडिता रमा बाई, ऐनी बेंसेट, फातिमा शेख जैसे अनेकों महापुरुषों तथा विदुषियों ने सामाजिक सुधार का झंडा उठाते हुए सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह प्रथा, बलि जैसे धर्मसम्मत सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अस्पृश्य जातियों के उद्धार तथा सभी वर्गों को शिक्षित करने जैसे कार्यक्रम हाथ में लिए। इस प्रकार स्वयंसेवी प्रयासों के उद्देश्यों और स्वरुप में आमूल चूल परिवर्तन हो गया।

बिना किसी अपेक्षा के अपने सहयोगियों के साथ भलाई करना, मनुष्य की सामाजिक भावना का एक हिस्सा है। इसी सामाजिकता की भावना के बारे में, फ्रांसीसी दार्शनिक रुसो ने कहा था कि वर्गो में बंटे समाज में यह मानवीय गुण लुप्त होता जा रहा है। रुसो ने उदात्त आदिम मानव की जो कल्पना की है, वह भौतिकवादी सभ्यता की ओर हमारी यात्रा में कहीं पीछे छूट गयी है। अधिक से अधिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के अनवरत् संघर्ष में हमने मूलभूत मानवीय गुणों से अपना नाता तोड़ लिया है। आज ऐसे बहुत ही न्यून व्यक्ति रह गये हैं, जो अपने बीमार पड़ोसी की मदद के लिये स्वेच्छा से तत्पर रहते हों या जो दुर्घटना के शिकार हुये व्यक्ति की सहायता के लिए दौड पडते हैं या फिर किसी नेत्रहीन, दिव्यांग व्यक्ति को सड़क पार कराने में अपना सहयोग देते हों। स्वेच्छा से मद्द करने की भावना बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। आज के बाजारीकरण के युग में भौतिकता की अंधी दौड़ में, अंधाधुंध रुपये कमाने की हवश में, इतने पागल हो गये हैं कि हमें अपने पड़ोसी के दुःख–तकलीफ का ध्यान रखने की ही फुर्सत नहीं रह गयी है। वहीं आज की 'स्वार्थ काज करें, सब प्रीति वाली' दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, जो बिना किसी लाभ की प्रत्याशा

के निःस्वार्थ भाव से असहाय और निर्बल लोगों की भलाई के लिये काम करते रहते हैं। यह बात और है कि इस तरह के लोगों की संख्या बहुत कम है और स्वार्थी लोगों की भीड़भाड़ में वे नजर नहीं आते। ये वे लोग हैं, जो दूसरों की सेवा करके और उनमें अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा भर कर सामाजिक जीवन को और अधिक खूबसूरत व लाभदायक बनाते हैं। इसके अलावा अनेकों ऐसे लोग भी हैं, जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिये बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन केवल संकट की घड़ी में।

भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब अपने विकास मार्ग की रुपरेखा तैयार की तो उसमें विकासशील अर्थव्यवस्था की मांग के अनुरुप सरकारी संरक्षण को अधिक महत्व दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रुप से शासकीय विभागों, संस्थाओं एवं एजेंसियों को सौंपा गया। शिक्षा, उद्योग, रोजगार, विज्ञान एवं तकनीकी, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास जैसी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सरकारी विभागों तथा संस्थाओं का उत्तरदायित्व माना गया, किन्तु दो–तीन दशक बाद ही यह महसूस किया जाने लगा कि नौकरशाही की संवदेनहीनता, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के कारण इन योजनाओं का लाभ जरुरतमंद लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए योजनाकारों ने स्वयंसेवी या स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लेने का निश्चय किया। धीरे–धीरे हमारे विकास संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने में स्वयंसेवी प्रयासों का योगदान बढता गया।

वर्तमान में सामाजिक सेवा एवं स्वैच्छिक कार्य की अवधारणा में काफी बदलाव आया है तथा इस अवधारणा के पीछे केवल परोपकार और सेवा की भावना नहीं रह गयी है। किन्तु यह भी मानना ही होगा कि स्वैच्छिक कार्य के पीछे परोपकार की भावना अब भी बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति है, लेकिन इसका दायरा काफी विस्तृत हो गया है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिये व्यक्तियों और उनके समूहों की

स्वैच्छिक सेवाभावी गतिविधियों को भी, इसके अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न कारणों से, आज जो सामाजिक और आर्थिक विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें दूर करने में भी स्वैच्छिक कार्य का सहारा लिया जा रहा है। पर्यावरणीय संकट, महामारियों तथा प्राकृतिक असंतुलन की वजह से उत्पन्न आपदाओं से निपटने में भी स्वैच्छिक कार्य की मदद ली जा रही है। समसामायिक समाज की जटिल समस्याओं और विकट परिस्थितियों में तत्काल कार्य करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये स्वैच्छिक कार्य के लिये व्यवसायिक कौशल का होना बड़ा जरुरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुये हमारे देश में आपात स्थिति से निपटने के लिये मानव संसाधनों का आवश्यक आधार तैयार करने के अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के मध्य में व्यावसायिक समाज कार्य भी तेजी से अपनी जगह बना रहा है। व्यावसायिक समाज कार्य का भारत में प्रारम्भ आजादी के पूर्व वर्ष 1936 से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई से हुआ, जो शनैः–शनैः समाज में अपनी जडें स्थापित कर चुका है।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में महात्मा गाँधी जी के राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश से देश के सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक वातावरण में परिवर्तन देखने को मिला। गाँधी जी जन–जन को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। देश के आम आदमी तक पहुँचने की गाँधी जी की क्षमता ने लोगों में उत्तरदायित्व की भावना प्रस्फुटित की और वे तत्काल देश को राजनीतिक स्वाधीनता दिलाने के साथ– साथ व्यापक सामाजिक सुधार समाज में करना चाहते थे, इसलिए गाँधी जी के आन्दोलन से लोग जुड़ते चले गये। राष्ट्रीय आन्दोलन के इसी दौर में स्वैच्छिक–सामाजिक कार्य ने समुदाय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघकर सार्वभौम मानवीय आयाम ग्रहण किया। इस नई प्रक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सामाजिक क्षेत्र में महिलायें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। बहुत अधिक वर्जनाओं वाले समाजों को छोड़कर अब लगभग प्रत्येक स्थान पर महिलाओं की इस नई भूमिका को समझा जाने लगा है, स्वैच्छिक सेवा के इस आन्दोलन में महिलायें और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, इसके

लिये प्रयास तेज करने होगें। इस प्रक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्वयंसेवी संस्थायें क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर क्षमता बढ़ाने के प्रयासों पर अधिक जोर दे रही है, ताकि जनसंगठन विकास की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रख सकें।

भारत में स्वैच्छिक कार्य की जड़ें कुछ विशिष्ट सामाजिक–राजनीतिक संदर्भो से जुड़ी हुई है। इतिहास के विभिन्न दौरों में सामाजिक सुधार और राजनीतिक आंदोलनों से इसे प्रेरणा मिली है। महात्मा गांधी ने आजादी से पहले राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जो कार्य प्रारंभ किये, वे ही इस दौर में स्वैच्छिक कार्य का आधार बनी। इस राजनीतिक सक्रियतावादी के ठंड़े पड़ जाने पर 1980 के दशक में रचनात्मक सामाजिक कार्य के फिर से उभर कर सामने आने के लिए माहौल बन गया। इस अवधि के दौरान चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के पेशेवर लोगों के स्वैच्छिक कार्य के क्षेत्र में आने से इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिला।

विश्व स्तर पर 1980 और 1990 के दशकों के बीच की अवधि को ऐतिहासिक पुनर्समायोजन का काल कहा जा सकता है। इस दौरान जहाँ दुनिया में उत्तर के विकसित और दक्षिण के विकासशील देशों के बीच हितों का टकराव दिखाई देता है, तो वहीं समाजवादी विकल्प का पराभव भी एकदम स्पष्ट है। विश्व के विभिन्न भागों में आर्थिक पुनर्समायोजन के परिणामस्वरुप अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य के संघर्ष और कष्ट के प्रति बढ़ती जागरुकता ने दुनिया के अधिसंख्यक लोगों को प्रभावित करने वाली समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। इसी का नतीजा था कि 1980 और 1990 के दशकों में पूरी दुनिया में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई। उस समय, भारत में अनेकानेक सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। झुग्गी–झोपड़ी, बस्तियों में रहने वालों की आवश्यकताओं और उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच की खाई को पाटने के लिए नागरिकों की ओर से हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की गयी। ऊपर से नीचे की ओर विकास पर आधारित नीतियों की विफलता ने विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के विकास को बढ़ावा दिया। इन

संगठनों ने समाज के सबसे निचले स्तर पर जनकेन्द्रित विकास नीतियों के साथ प्रयोग करना शुरु किया। आज स्वैच्छिक संगठन समाज कल्याण, पर्यावरण–संरक्षण, सामाजिक विकास, एड्स के खिलाफ अभियान, नागरिक अधिकार, स्त्री–पुरुष समानता और शांति जैसे विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रहे है। अब छोटे–छोटे समुदायों में भी स्वैच्छिक प्रयास नजर आने लगे है। व्यापक सामाजिक उथल पुथल और अनगिनत संकटों के आज के दौर में स्वैच्छिक कार्य के बिना मानव अस्तित्व को बनाए रखना बड़ा कठिन होता जा रहा है।

वैसे तो, स्वैच्छिक संगठनों के लक्ष्यों, नीतियों और उनके संस्थागत ढांचे का दायरा काफी व्यापक है, मगर इन सब तथ्यों के बावजूद स्वैच्छिक सेवा का महत्व अच्छी तरह से नही आंका गया है। राष्ट्रीय आमदनी और विकास में उनके योगदान को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ों और लेखांकन प्रणाली में उनका कोई उल्लेख नही किया जाता। स्वैच्छिक संगठनों के कार्य का आंकलन मुद्रा में किया जाना चाहिए। असल में ऐसा करना स्वैच्छिक क्षेत्र के सामाजिक योगदान की अवमानना करने जैसा होगा, अर्थात् राष्ट्रीय नीति बनाने वाले नीति नियंता तथा अफसरशाही, स्वैच्छिक क्षेत्र के महत्व को तो स्वीकार करते है, लेकिन उन्होंने अभी निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों को महत्व देना शुरु नहीं किया है।

हमारे समाज में विकास के मुददों पर जो संस्थायें मुख्य रुप से काम कर रही हैं उन्हें अक्सर ''गैर सरकारी संगठन'' के नाम से भी जाना जाता है। उनके लिये ''गैर लाभ संगठन'' का नाम लोकप्रिय नहीं है। यद्यपि निजी क्षेत्र में या व्यापार उद्योग में लगी कम्पनियां भी अपने सांगठनिक प्रकार और स्वरुप में गैर सरकारी यानी सरकार से अलहदा हैं, परन्तु गैर–सरकारी संगठन उनके लिये प्रयुक्त नहीं होता है। साथ ही कई कम्पनियाँ आज अपने निगमित सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) के निर्वहन में समाज में विकास के मुददों पर कार्य करने लगी हैं, पर उनकी यह भूमिका द्वितीयक है, क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य तो लाभ कमाना ही है।

''नागर समाज संगठन'' नाम से एक अन्य नाम, गैर लाभ क्षेत्र में या समाज में विकास के मुददों पर कार्य करने वाले संगठनों के लिये प्रयोग में लाया जाने लगा है, किन्तु यह ''गैर सरकारी संगठन'' जितना सटीक और लोकप्रिय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस प्रकार के संगठन के कई नामों से ''गैर सरकारी संगठन'' नाम को स्वीकार करता है और विशेषकर मानवाधिकार पर कार्य करने वाले संगठनों के लिये इस नाम को सार्थक पाता है, क्योंकि इसमें सरकार के विरोध का भाव निहित तो है ही, प्रखर भी है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप की तैयारी के साथ–साथ योजना आयोग ने भारतवर्ष में कार्य करने वाले स्वैच्छिक क्षेत्र के लिये एक नीति बनाई है। इस नीति के दस्तावेज में समाज में विकास के मुददों पर कार्य करने वाले इस तरह के संगठनों को स्वैच्छिक संगठनों की संज्ञा दी है।

भारत के आजाद होने के बाद स्वैच्छिक प्रयासों से राष्ट्रनिर्माण की चुनौतियों को पूरा करने का प्रयास किया गया। सरकार को ऐसे विभिन्न स्वैच्छिक समूहों और व्यक्तियों से मद्द मिली, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करना चाहते थे। इन प्रगतिशील समूहों ने, जो कार्य हाथ में लिये, उनमें स्वास्थ्य सेवाऐं, कृषि का विकास और समाज के उपेक्षित वर्गो का उत्थान, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता जैसे कार्य शामिल थे। अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने युवाओं को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए संस्थाऐं खोलीं। इन सब प्रयासों के पीछे मूल भावना जरुरतमंद लोगों को मद्द पहुंचाने की थी। इसी तरह स्वैच्छिक कार्य के अन्य प्रयासों में राहत, पुनर्वास, कल्याण और परोपकार पर जोर दिया गया। इसी दौरान ईसाई मिशनरियों ने भी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पूर्वी व मध्य भारत के जनजातीय इलाकों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया।

स्वतंत्रता के पहले दो दशकों में देश में गरीब और अमीर तथा शहरी और ग्रामीण के बीच सामाजिक व आर्थिक असमानताएं और भी अधिक उजागर होने लगीं। परिणामस्वरुप 1960 के दशक के बाद के वर्षों में विकास कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए वैकल्पिक प्रयास शुरु किये। 1960 के दशक में सूखे और बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक

आपदाओं और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के भारी कार्य ने अनेक उत्साही नौजवानों को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कूद पड़ने को प्रेरित किया। इन सब कार्यों के लिए कुछ प्रेरणा देश के बदले हुए राजनीतिक माहौल की भी थी। 1960 के दशक के अंतिम वर्षो में विद्यार्थी आंदोलनों ने देश में प्रगतिशील राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया, किन्तु आन्दोलन की हिंसक प्रवृत्ति के कारण लोगों का उनसे मोहभंग हुआ और वर्ष 1980 के दशक में क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलनों का पराभव शुरु हो गया। क्रांतिकारी आंदोलनों से लोगों के मोहभंग के कारण देश में स्वैच्छिक–सामाजिक कार्य को फिर से तेज करने में अप्रत्यक्ष रुप से मदद मिली। विपक्ष की राजनीति से ऊबे मार्क्सवादियों, माओवादियों और जयप्रकाश आंदोलन के बचे–खुचे लोगों ने अपनी ताकत को एकजुट करने और न्याय पर आधारित सामाज की स्थापना के स्वप्न को पूरा करने के लिए विकास के रचनात्मक विकल्पों की तलाश शुरु कर दी। इसी दौरान स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में बड़ी भारी वृद्धि हुई। इन संगठनों ने विशेष समूहों, जैसे महिलाओं, सीमांत किसानों, जनजातीय लोगों, बच्चों आदि को अपनी गतिविधियों को केन्द्र बिन्दु बनाया। कुछ संगठनों ने विशिष्ट क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, साक्षरता आदि को अपने कार्य के लिए चुना, तो कुछ अन्य ने सामुदायिक विकास के समग्र लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियां प्रारंभ की।

यही वह समय था, जब कुछ स्वैच्छिक संगठन सहायक संगठन के रुप में उभरकर सामने आये और उन्होंने प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन, वकालत (एडवोकेसी) तथा समर्थन जैसी गतिविधियों से अपने आप को जोड़ा, नागरिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों से जुड़े संगठनों ने धीरे–धीरे व्यापक महत्व वाले मुद्दों जैसे सामाजिक समानता, चकबंदी, आवास के अधिकार, कानूनी अधिकार आदि पर ध्यान केन्द्रित करना शुरु किया।

वर्तमान समय की आवश्यकता है कि स्वैच्छिक क्षेत्र में कार्यरत इन संगठनों में और अधिक अच्छे कार्यकर्ताओं की तथा व्यवहार के मानक स्थापित करने की, ताकि इन संगठनों की समुदाय और अन्य हितभागियों के बीच विश्वसनीयता कायम रह सके। कुछ अपवादों को छोड दें, तो

'मेडिकल' शब्द सुनते ही, जैसे एक योग्य, विश्वस्त और कर्मठ व्यक्ति का भान होता है वहीं ''एन.जी.ओ.'' सुनकर नहीं हो पाता, क्योंकि ''मेडिकल डॉक्टर'' में मानकीकरण की लम्बी प्रक्रिया है, जो गैर सरकारी संगठन के क्षेत्र में नहीं है। किन्तु स्थितियाँ बहुत निराशाजनक भी नहीं हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र में आदर्श व्यवहार, बेहतर संस्थान संचालन और अपनी छवि निखार की ललक है। एक ओर इस क्षेत्र में नेटवर्क और सहायता संगठन उभर रहे है, वहीं क्षेत्र में कार्यरत संगठनों की राज–समाज और उद्योग व्यापार जगत में विश्वसनीयता के सम्वर्द्धन के प्रयास भी जारी है।

विगत तीन दशकों में गैर–सरकारी संगठनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यही नहीं, उनके कार्य का दायरा भी विस्तृत हुआ है। आज वह मानवीय आवश्यकताओं और व्यवहार के हर पहलू से जुड चुके हैं। कुछ संगठन विश्व स्तर पर कार्य करते हैं, वहीं कुछ संगठन निश्चित समुदाय या स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं। समाज को विकसित करने और नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार और सेवायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इनका निर्माण किया जाता है। ऐसे नागरिक जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वच्छ पेयजल, भोजन, शिक्षा, रोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य आदि से वंचित हैं और जिन तक सरकार की पहुँच नहीं है, उनको सुविधायें उपलब्ध कराना, इनका मुख्य उद्‌देश्य होता है। गैर सरकारी संगठन काफी लम्बे समय से समाज की समस्याओं को दूर करने और नागरिको की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नये–नये तरीकों की खोज करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये संस्थायें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंधी विषयों और जन–पैरवी के मुद्‌दों जैसे विश्व शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकार, लैंगिक समानता और निर्धनता उन्मूलन, जैसे मुददों पर मुख्य रुप से कार्य कर रही हैं।

गैर सरकारी संगठनों के कार्यों और उनकी संख्या में हुई वृद्धि समाज और उससे जुडे लोगों के वर्तमान और भविष्य के लिये बहुत लाभदायक है। इस सब के बाबजूद भी प्रायः यह देखने में आता है कि इनके कार्य के दायरे और मुख्य रुप से इनको परिभाषित करने के बारे में लोगों के विचारों में बहुत भिन्नता पायी जाती है। कभी–कभी उनकी

भूमिकाओं और कार्यों को लेकर संदेह की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्य, उनका महत्व, उनके सामान्य नियम, उनको प्रभावित करने वाले मुद्दे और वे तरीके, जिनके द्वारा इनके कार्यों ओर इनके प्रभावों को और मजबूती प्रदान की जा सके। इन सभी मुददों को पहचानने और इन पर चर्चा करने के लिये सर्वप्रथम कामनवेल्थ फाउण्डेशन द्वारा गैर–सरकारी संगठनों की एक बैठक 1991 में जिम्बाम्बे में आयोजित की, जिसका संचालन कॉमनवेल्थ फाउण्डेशन ने किया था। इस बैठक में मुख्य रुप से कहा गया है कि – ''.....कॉमनवेल्थ गैर सरकारी संगठन के घोषणा पत्र को तैयार करने में ऐसे तत्व शामिल किये जायें, जो गैर–सरकारी संगठनों के कार्यों और नीतियों की क्षमता और गुणों को भली प्रकार प्रयोग करने का मंसूबा रखते हुए चिंतित हों और साथ ही उन तरीकों को भी शामिल किया जाये, जो सरकार और गैर–सरकारी संगठनों के बीच अच्छे, उपयोगी और आपसी समझ वाले संबंधों को कायम कर सके।.....''

गैर सरकारी संगठनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

गैर–सरकारी संगठनों का उदय 19 वीं शताब्दी में हुआ था और पिछले 40 वर्षों में नई आवश्यकताओं और महत्वों के विकल्पों की खोज के द्वारा इनमें काफी परिवर्तन आया है। वर्तमान में गैर–सरकारी संगठनो की भूमिकाओं और कार्यों को समझने के लिये यह आवश्यक है, कि इनकी ऐतिहासिक जडों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो। अनेकों संगठन ऐसी गतिविधियों से जुडे हुए हैं, जिन्हें ''कल्याणकारी'' नाम से जाना जाता है। इन कार्यों की शुरुआत 19 वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक देशों में परोपकारी कार्यों के फलस्वरुप हुई थी। ऐसे कार्यों को उन संगठनों ने अंजाम दिया, जो मध्यम या उच्च वर्गों के द्वारा बनाये गये थे, जिनका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के लोगो को राहत पहुंचाना था, ताकि ये संगठन उनकी जरुरतों को पूरा कर सके या वे स्वयं अपनी मदद कर सकें। हालांकि यह एक सीमित तरीका था, संसाधनों को अमीरों से गरीबों में स्थानान्तरित करने का। इस प्रकार के कार्य को ''स्वैच्छिक कार्य'' के रुप में परिभाषित किया गया और इनके द्वारा जिस प्रकार के संगठनों का निर्माण हुआ, उन्हें परोपकारी संस्थायें या कल्याणकारी संस्थायें कहा गया।

बहुत से देशों में, इन कार्यों को जो विशेष रुप से वंचित वर्ग से जुडे हुए थे, संस्थागत नीतियों और ढांचों के अंतर्गत नहीं देखा जा रहा था, बल्कि उन संगठनों के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में उनको महत्व दिया गया, जिनका निर्माण आजादी से पहले या बाद में हुआ था।'' लोगों की मद्द करना, जिससे वे स्वयं अपनी मदद कर सकें'' गैर– सरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों के लिये आजकल इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि एक शताब्दी पहले के परोपकारियों ने भी इसी तत्व को पहचाना होगा। आधुनिक परिवेश में गैर सरकारी संगठनों की परिभाषा और कार्यप्रणाली का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है–

''औपनिवेशिक दौर में गैर–सरकारी संगठनों का ध्यान कल्याण कार्यों की ओर था, वहीं आज की स्वैच्छिक संस्थायें कल्याणकारी कार्यों से आगे निकलकर सामाजिक ढांचे में बदलाव लाने का प्रयास कर रहीं हैं, जिससे समाज में अमानवीय तत्वों को हटाया जा सके... गैर सरकारी संगठनों का यह समूह समाज में और समुदाय में ऐसे कारकों को ढूंढता है, जिसके कारण विभिन्न वर्गों में असमानता आती है और उनका शोषण होता है जिससे लोग हाशिये पर आ जाते हैं। इन संगठनों का लक्ष्य वर्तमान में पाये जाने वाले ढांचे, तंत्र और संबंधों में परिवर्तन लाना है, जिससे सामाजिक–आर्थिक रुप से कमजोर और वंचित समूह के लोगों के मानवीय गौरव को और बढाया जा सके। ये संगठन इसके साथ ही बडी संख्या में शोध कार्यों, नागरिक शिक्षा और नागरिक अधिकारों की पैरवी में भी संलग्न है।''

स्वयंसेवी क्षेत्र यानि वालंटियरिज्म अपने मौजूदा रुप में नई अवधारणा है, परन्तु इसका चलन हमारे देश में पहले भी रहा है। स्वैच्छिक प्रयास के इतिहास की खोज से पहले इसके अर्थ, प्रभाव और व्यापकता को स्वैच्छिक प्रयासों के तेजी से बढते हुए महत्व को देखते हुए ही वर्ष 2001 को ''स्वयंसेवी प्रयासों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष'' के रुप में मनाया गया।

जब गैर–सरकारी संगठनों ने कल्याणकारी कार्यों के बारे में और भी व्यापक स्तर पर सोचना शुरु किया तो वे अपने कार्य को जमीनी स्तर पर

ले गये जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती थीं या उस तरह का कार्य करने में सक्षम नहीं थीं। इन कार्यों को करने के लिये आवश्यक मानवीय संसाधनो की उपलब्धता और आर्थिक मदद, सदस्यों, जनता और अन्य एजेंसियों द्वारा की गई, जिससे पहचाने गये जरुरी कार्यों को पूरा किया जा सके, लेकिन कभी–कभार गैर सरकारी संगठन, सरकारों से उन कार्यक्रमों या परियोजनाओं को मांगने का प्रयास करती थी, जो उनके द्वारा शुरु किये गये थे, ताकि वे अपने अवसरों और प्रभावों को और बढा सके। अतः सरकारों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और उन संगठनों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया, साथ ही साथ जिन कार्यक्रमों की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी, उन्हें पूरा करने के लिये गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया। यह सरकारी प्रक्रिया गैर सरकारी संगठनों के लिये बहुत बडी उपलब्धि के रुप में सामने आयी।

उपरोक्त प्रकार के संगठनों को व्यावसायिक समाज कार्य के अन्तर्गत रखा गया। समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में सहायता पर आधारित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान तथा सामाजिक सम्बन्धों में सुधार करके सामाजिक प्रकार्यात्मकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। समाज कार्य में व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदान करने के लिए छह पद्धतियाँ, सामाजिक वैयक्तिक कार्य, सामाजिक सामूहिक कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कार्य अनुसंधान, समाज कल्याण प्रशासन और सामाजिक क्रिया है। सामाजिक वैयक्तिक कार्य के अंतर्गत सेवा प्रदान करने की इकाई व्यक्ति, सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य के अंतर्गत समूह तथा सामुदायिक संगठन के अंतर्गत समुदाय सेवा प्रदान करने की इकाई होता है। वहीं समाज कार्य शोध के अन्तर्गत, सामाजिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारणों एवं निदान की पद्धतियों की खोज की जाती है। समाज कल्याण प्रशासन के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता, समाज कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं के प्रशासन का कार्य करता है, वहीं सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे मुद्दों, पर हडताल, अनशन, भूख हडताल आदि के माध्यम से शासन–प्रशासन पर जनदबाब बनाने का काम करता है।

समाज कार्य, नवीन ज्ञान पर आधारित एक व्यवसाय है। सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं के तत्वाधान में प्रशिक्षित, कुशल और निपुणताओं से परिपूर्ण समाज कार्यकर्ता समाज कार्य की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों की समस्याओं का इस प्रकार से समाधान करता है, जिससे कि वह अपने सामाजिक जीवन में आने वाली समस्याओं तथा अवरोधों को स्वयं दूर करने में सक्षम हो सके।

लिस चेनी (1936) – ''समाज कार्य में वह सब ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित हैं, जिनका सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों से है और जो वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते हैं।

इण्डियन कान्फ्रेन्स ऑफ सोशल वर्क (1957) – ''समाज कार्य एक कल्याणकारी क्रिया है जो मानवता–सेवी (लोक–उपकारी) दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधिक निपुणताओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों या समुदाय की सहायता करना है, जिससे वे एक सुखी एवं सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।''

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क (2014) – ''समाज कार्य एक अभ्यास आधारित व्यवसाय और एक अकादमिक विषय है, जो सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक एकजुटता और सशक्तिकरण तथा लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय के सिद्धान्त, मानवाधिकार, सामूहिक जिम्मेदारी और विविधता के प्रति सम्मान समाज कार्य का केन्द्रीय बिन्दु हैं। समाज कार्य, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और स्वदेशी ज्ञान, समाज कार्य सिद्धांतों के आधार पर जीवन चुनौतियों का समाधान करने और कल्याण बढ़ाने के लिए लोगों और संरचनाओं को सम्मिलित करता है।''

समाज कार्य व्यवसाय और समाज सेवा में अन्तर :–

समाज कार्य व्यवसाय और समाज सेवा दोनों का सम्बन्ध व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने से है, लेकिन सेवा प्रदान करने की विधियों और उद्देश्यों में भिन्नता है, जो निम्नलिखित है–

1. समाज कार्य नवीन व्यवसायिक क्रिया है, जबकि समाज सेवा का उद्भव समाज की उत्पत्ति के साथ ही हुआ है।
2. समाज कार्य में सेवा प्रदान करना एक व्यवसायिक क्रिया है, जबकि समाज सेवा स्वेच्छा आधारित क्रिया है।
3. समाज कार्य में व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने की विशिष्ट विधियाँ है, जबकि समाज सेवा की अपनी कोई भी विशिष्ट विधि नहीं है, यह पूर्णतयः स्वैच्छिक है।
4. समाज कार्य, व्यक्तियों की इस प्रकार से सहायता करता है, जिससे कि व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम हो सके, जबकि समाज सेवा में व्यक्तियों की केवल सहायता की जाती है।
5. समाज कार्य में सेवा प्रदान करने का उद्देश्य, व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाना होता है, जबकि समाज सेवा में सहायता प्राप्त व्यक्ति में परावलम्बन की भावना उत्पन्न होने लगती है।
6. समाज कार्य में सेवा प्रदान करने का उद्देश्य दीर्घकालिक होता है, जबकि समाज सेवा में सेवा प्रदान का उद्देश्य तात्कालिक होता है।
7. समाज कार्य में सेवा प्रदान करने के लिए विशिष्ट ज्ञान, कौशल और निपुणताओं की आवश्यकता होती है, जबकि समाज सेवा में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है।

स्वैच्छिक संगठनों की विशेषतायें–

गैर सरकारी संगठनों की चार प्रमुख विशेषतायें होती हैं, जिनके आधार पर इनको परिभाषित किया जाता है–

1. ये संगठन स्वैच्छिक होते हैं।
2. ये संगठन स्वतंत्र होते हैं।
3. ये संगठन लाभ के लिये नहीं बनाये जाते।
4. ये संगठन स्वार्थ की भावना से परे होते हैं।

मुख्य रुप से देखा जाये तो गैर सरकारी संगठनों की संख्या में हुई वृद्धि उन कारकों और प्रभावों का परिणाम है, जिसको वृहद रुप से

''विकास'' कहा जाता है अर्थात वंचित और गरीब वर्ग के लोगों की स्थितियों और संभावनाओं में खास तौर पर सुधार लाना, जिससे नागरिको और राष्ट्रों को और अधिक सुदृढ बनाया जा सके। सामाजिक और आर्थिक विकास की परम्परागत रणनीतियाँ, जो संस्थागत तरीकों और व्यवस्थाओं पर आधारित है, वाांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकीं है, विशेष रुप से, वे समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन के रहन–सहन और स्तर को बढ़ाने या स्थायी सुधार लाने में सक्षम नहीं हो पायी हैं। इसके बावजूद भी जनता और समुदाय उन पर भरोसा करते हैं। यह बात भी स्पष्ट है कि यदि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के स्थायी प्रयास करने हैं तो लोगों और समुदायों को संवेदित और सशक्त करना होगा। उन्हें मुख्य धारा में लाने का हर प्रयास करना होगा।

स्वैच्छिक संगठनों के कार्य क्षेत्र :–

- बालक एवं किशोर
- युवा नागरिक
- महिलाऐं
- वृद्ध व्यक्ति
- विस्थापित व्यक्ति
- बेरोजगार
- कम क्षमता वाले व्यक्ति
- दिव्यांगजन
- अपराधी व्यक्ति
- आदिवासी, दलित
- अल्पसंख्यक
- बीमार
- भूख से ग्रसित व्यक्ति
- अति गरीब

- श्रमिक
- कृषक, उद्यमी या विपत्ति से भागकर आए लोग या ऐसे भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय जो प्रभावित हैंः
- भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन से
- प्राकृतिक आपदायें
- महामारी
- आर्थिक परिवर्तन
- संसाधनों तक पहुंच न होना
- दूरी के कारण हाशिए पर पहुंचे लोग

ये वे क्षेत्र हैं जिनमें गैर सरकारी संगठन सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हैं। इन वंचितों को विभिन्न परियोजनाओं या कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग करना जैसेः–

- शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधायें; औपचारिक एवं अनौपचारिक,
- कल्याणकारी सेवायें
- आवासीय सुविधायें
- स्वास्थ्य सेवायें
- भोजन उत्पादन एवं वितरण
- उत्पादन करना
- औषधि सेवायें
- परिवहन एवं संचार सेवायें
- रोजगारपरक अवसरों को बढावा देना
- आय वृद्धि के साधन
- ऋण एवं आर्थिक सेवायें

अथवा कुछ माध्यमों से सरकारी या लोक कार्यों के प्रति जागरुकता बढाना, जैसे–

- सूचना एवं जनसंचार माध्यम

- शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
- जन पैरवी करना
- जागरूकता बढाना
- नेटवर्किंग एवं समूह में काम करना

अथवा ऐसे मुददों पर काम करना, जो आम नागरिक की भविष्य की संभावनाओं को या सामाजिक परिस्थितियों को समान रुप से प्रभावित करते हैं। जैसेः–

- मानवाधिकार
- पर्यावरण
- लैंगिक मुद्दे
- आर्थिक विकास

इन सभी मुद्दों पर गैर सरकारी संगठन अप्रत्यक्ष रुप से कार्य करते हैं।

स्वैच्छिक संगठनों के कार्य

1. स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत कार्यकर्ता सुदूर क्षेत्रों में, जहां तक सरकारी नीतियां या योजनायें नहीं पहुंच पाती, वहां जाकर वे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं।
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, मानवाधिकार, बाल अधिकार एवं सशक्तिकरण आदि जैसे अनेक क्षेत्रों में विकास पूर्ण कार्य कर रहे हैं।
3. सरकार ने भी विकास प्रकिया में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को स्वीकार किया है, अनेकों बार स्वैच्छिक संगठन दुर्गम क्षेत्रों और सरकारों के बीच एक पुल के रुप में कार्यरत हैं।
4. स्वैच्छिक संगठन समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिये समय–समय पर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन करती है।
5. स्वयं सहायता समूहों के द्वारा लोगों एवं महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने का कार्य करते हैं।

6. बच्चों के लिये पोषणयुक्त पुष्टाहार एवं उनके स्वास्थ्य के लिये कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।
7. समाज में रहने वाले गरीब, असहाय, निर्बल वर्गों की सहायता तथा उनके भोजन, वस्त्र, आवास, उपचार आदि की व्यवस्था करते हैं।
8. वंचित वर्गों विशेष रुप से अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों को दिलाने का कार्य करते हैं।
9. शासकीय योजनाओं के प्रति समाज में लोगों के मध्य जागरुकता का प्रचार–प्रसार करना।
10. स्थानीय स्वशासन प्रणाली तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कार्य करना तथा महिलाओं की स्थानीय स्वशासन प्रणाली व पंचायतों में भूमिका, उनके कर्तव्य पालन करने एवं उनको अधिकार दिलाने सम्बन्धी कार्य करना।
11. आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा बाढ़, सूखा, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि से लोगों को बचने के लिये उनकी सहायता करते हैं।
12. किसानों के लिये भी स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा अनेकों कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
13. समाज में व्याप्त रुढ़ियों, कुप्रथाओं, अन्धविश्वास इत्यादि से लोगों को बचाने एवं जागरुकता फैलाने के लिये कार्यक्रम।
14. एच.आई.वी., तपेदिक, कुष्ठ रोग जैसे रोगों से बचने एवं उनकी रोकथाम एवं लोगों को जागरुक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

स्वैच्छिक संगठन तथा सामाजिक कार्यकर्ता

समाज कार्यकर्ता प्राचीन काल से ही समाज में रहने वाले गरीब, निर्बल, असहाय, वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों आदि लोगों की सहायता हेतु विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, सामाजिक

कल्याण कार्यक्रमों को गति मिल सके। स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक कार्यकर्ता, सेवार्थी, जो कि व्यक्ति, समूह या समुदाय होता है, जिनकी अनेकानेक समस्यायें होती हैं, उनमें कुछ मनोसामाजिक समस्यायें, समायोजनात्मक एवं सामाजिक क्रिया से भी सम्बन्धित है, सामाजिक कार्यकर्ता उनकी समस्या को देखते हुए ऐसी सेवायें प्रदान करता है जो उनकी समस्या को कम कर सके। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्याओं का समाधान करने के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान उत्पन्न होने वाली अन्तःक्रियाओं को निर्देशित करते हुए समूह में सामूहिक रुप से कार्य करते हुए सामान्य सामूहिक उद्‌देश्यों की प्राप्ति की क्षमता उत्पन्न करता है। जब कार्यकर्ता सामूहिक कार्यकर्ता के रुप में कार्य करता है तो समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ–साथ सामुदायिक एकीकरण का विकास करने का प्रयास करता है।

एक सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय में उपलब्ध संसाधनों एवं समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं के बीच प्राथमिकताओं के आधार पर सामन्जस्य स्थापित करता है और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने के अवसर प्रदान करते हुए सहयोग पूर्ण मनोवृत्तियों, मूल्यों एवं व्यवहारों का विकास करता है। समाज कार्य में संस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सारी सेवायें संस्था के तत्वाधान में ही प्रदान की जाती है। ये सभी संस्थायें सार्वजनिक अथवा निजी हो सकती हैं। संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्य उसके उद्‌देश्यों पर निर्भर रहते हैं। ये संस्थायें सामाजिक कार्यकर्ता की निष्ठा और समर्पण से ही संचालित होती हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता जब समाज में गरीब, असहाय, निर्बल, महिलाओं, बच्चों, बृद्धों, विकलांगों इत्यादि लोगों की सहायता करते हैं तो उनकी मनोसामाजिक स्थिति के आधार पर ही वो ये तय करते हैं कि किस प्रकार से सेवार्थी को सहायता प्रदान की जानी चाहिये। मनोसामाजिक स्थिति के आधार पर ही कार्यकर्ता सेवार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए उन्हें आत्म सहायता करने के योग्य बनाता है।

कार्यकर्ता जब किसी भी सेवार्थी 'व्यक्ति, समूह, समुदाय' की समस्या का समाधान करने के लिये उसे सेवायें प्रदान करता है तो वह उसकी सभी प्रकार की समस्याओं का अध्ययन अपनी मनोसामाजिक ज्ञान के आधार पर करता है और उससे इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित करता है कि सेवार्थी अपनी सभी प्रकार की समस्याऐं निजी एवं सार्वजनिक कार्यकर्ता को भली प्रकार से बता सके और उसकी समस्या का उचित समाधान कार्यकर्ता अपनी सूझबूझ ज्ञान और निपुणताओं के आधार पर करता है, जिससे व्यक्ति की समस्याओं का समाधान हो और वह समाज के साथ समायोजन करने में सक्षम बन सके और आत्मनिर्भर बने। कार्यकर्ता सेवार्थी की सहायता करते समय उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जब मनोसामाजिक समस्याओं का निदान करना होता है तो कार्यकर्ता के उपचार में ध्यान का केन्द्र व्यवहार ही होता है। कार्यकर्ता के लिये मनोसामाजिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है उसी के आधार पर कार्यकर्ता सेवार्थी को उपचार व निदान प्रदान करता है एवं उनके व्यवहारों को परिवर्तित करता है और उन्हें स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाता है।

स्वैच्छिक कार्यकर्ता स्वतंत्र रुप से कार्य करने वाले समाज में रहने वाले गरीब, असहाय, निर्धन एवं वंचित वर्ग के लोगों को सहायता एवं उनकी समस्याओं का समाधान स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से करते हैं, अर्थात समाज के लिये, समाज के लोगों के सहायता, उन्नति एवं उनके अधिकारों के लिये कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ता कहलाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से गांव–गांव में जाकर लोगों की सहायता करते हैं।

आज समाज में सरकार और धार्मिक संस्थाओं के लोक कल्याण समाज सेवा में अनेकों कार्यकर्ता काम करते है। ये सभी संस्थायें समाज के गरीब एवं असहाय लोगों, महिलाओं को जागरुक करने एवं उनके अधि ाकार उन्हें दिलाने का कार्य करते हैं।

स्वैच्छिक जगत में कार्यरत कार्यकर्ताओं द्वारा लम्बे समय से इस क्षेत्र में बने रहने और सफल क्रियान्वयन के लिये उन्हें तकनीकी ज्ञान,

वैज्ञानिक ज्ञान एवं नये कार्यकर्ताओं को सफलता पाने के लिये इन सभी का ज्ञान हो अति आवश्यक होता है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की निपुणतायें

1. सामाजिक कार्यकर्ता को व्यावसायिक समाज कार्य की उपाधि लेना आवश्यक है तथा उसे समाज कार्य की प्रविधियों, प्रविधियों एवं सिद्धान्तों का ज्ञान होना आवश्यक है।
2. सामाजिक कार्यकर्ता को प्रत्येक स्थिति में गोपनीयता के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए।
3. सामाजिक कार्यकर्ता का स्वभाव समायोजनपूर्ण तथा खुशनुमा होना चाहिये।
4. सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाने सम्बन्धी प्रविधियों में निपुण होना चाहिए।
5. सामाजिक कार्यकर्ता को उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का ज्ञान एवं निपुणता होना चाहिए।
6. उसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय की परिस्थिति का विश्लेषण करने की निपुणता होनी चाहिए।
7. संस्था के साधनों और सामुदायिक साधनों का उपयोग करने की निपुणता।
8. सामाजिक कार्यकर्ता को कार्यक्रम को विकसित करने एवं अच्छा बनाने का ज्ञान होना चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य–

सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा निम्न कार्यों का सम्पादन किया जाता है–

1. सामाजिक कार्यकर्ता समाज में जागरुकता फैलाने का काम करते हैं।
2. सामाजिक कार्यकर्ता सुदूर क्षेत्रों, जहां पर सरकारी योजनायें नहीं पहुंच पाती वहां जाकर लोगों को उन योजनाओं के बारे में बताते हैं।
3. महिला सशक्तिकरण के लिये पंचायतों से मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करते हैं।

4. बच्चों की शिक्षा के लिये गांव–गांव जाकर उचित प्रबन्ध करते हैं।
5. स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाने का कार्य करते हैं।
6. महिलाओं, बच्चों और जन–जन को स्वास्थ्य सेवायें पहुंचाने का कार्य करते हैं।
7. किसानों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करते हैं।
8. मानवाधिकार, बाल अधिकार एवं लोगों को उनके अधिकार दिलाने का कार्य करते हैं।
9. समाज के गरीब, असहाय, निर्बल लोगों की सहायता करना।
10. अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोडने का कार्य।
11. जाति–पांति के भेद को मिटाने पर विशेष कार्य।
12. आपातकालीन स्थिति में, जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकम्प, सूखा, बाढ में लोगों की सहायता करना।
13. समाज में व्याप्त रुढियों, कुप्रथाओं, अन्धविश्वासों से लोगों को निकालना।
14. लिंग आधारित मुददे पर कार्य।
15. शिक्षा एवं महिलाओं के लिये रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने का कार्य।
16. बच्चों एवं महिलाओं के लिये पुष्टाहार का उचित प्रबन्ध।
17. लोगों को एच.आई.वी. से बचाने और उसकी रोकधाम के लिये जागरुकता देने का कार्य।
18. समाज के लोगों को मताधिकार के विषय मे जागरुक करने का कार्य।
19. लोगों की परामर्शन का कार्य करना।
20. मतदाताओं को उपर्युक्त प्रत्याशी के चयन के लिये प्रोत्साहित करना।
21. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध कराना।

22. महिलाओं और उपेक्षित वर्गों को पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करना।

23. महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अपनी सहभागिता दोनों ही रुप में मतदाता और प्रत्याशी के रुप में सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित करना।

24. स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य चेतना एवं महिला सशक्तिकरण के मुददों आदि पर कार्य।

25. लोगों में सामुदायिक सदभावना का विकास करना।

स्वैच्छिक कार्य से जहां इस तरह का काम करने वाले को व्यक्तिगत रुप से संतोष होता है, वहीं विभिन्न प्रकार की सामाजिक उपेक्षा झेल रहे लोगों को भी इससे लाभ होता है। शारीरिक और सामाजिक अक्षमताओं का सामना करने में स्वैच्छिक कार्य काफी सहायक साबित हो सकता है। इससे सामाजिक समन्वय में बड़ी मदद मिलती है। इसके जरिए बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है और उनके लिए रोजगार की संभावनाऐं बढ़ायी जा सकती है। युवाओं की स्वैच्छिक कार्य में भागीदारी से उनके व्यक्तित्व के विकास, उनमें जोखिम उठाने की भावना जगाने और उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में मदद मिल सकती है। वृद्धजन लोग स्वैच्छिक कार्य को अपनाकर सेवानिवृत्त जीवन में अपने आप को बेहतर तरीके से समायोजित कर सकते है।

दूसरी ओर समाज के उपेक्षित वर्गो के ऐसे लोग जो दो जून की रोटी भी ठीक से नही जुटा पाते, उनके लिए स्वैच्छिक कार्य एक क्रूर मजाक साबित हो सकता है। असल में इस समय स्वैच्छिक रुप से कार्य करने वालों की संख्या में जो कमी आ रही है, उसका एक कारण जहां युवाओं में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, निराशा और हताशा है, वहीं इसका एक अन्य कारण संगठन संबंधी कमजोरियां भी है। अधिकतर लोगों के पास तो रोज के जीवन संघर्ष के बाद स्वैच्छिक कार्य के लिए समय या शक्ति ही नही बच पाती। कुछ आलोचकों का तो यहां तक कहना है कि स्वैच्छिक कार्य गरीबों पर, खास तौर पर उन महिलाओं पर एक तरह का टैक्स है

जो काम काज के बोझ से पहले से दबी रहती है। इन लोगों का यह भी मत है कि स्वैच्छिक कार्य में भाग लेने वाले को कौशल में वृद्धि और कार्य अनुभव जैसे लाभ मिलने चाहिए और इसे नियमित रोजगार की तैयारी माना जाना चाहिए।

स्वैच्छिक कार्य सामाजिक और कल्याण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने का किफायती तरीका भी है। लेकिन यह एकदम मुफ्त नही है। इसके फलने–फूलने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और संस्थागत प्रणाली का होना जरुरी है। तभी ऐसे कार्य के लिऐ आम आदमी का समर्थन मिल सकेगा और स्वयंसेवकों को उपयुक्त कार्य तथा दायित्व सौपे जा सकेंगें। सरकार संस्थागत प्रणाली स्थापित करने में बुनियादी ढांचे संबंधी सहायता देकर बड़ी मददगार बन सकती है। समाज सेवा के प्रति युवाओं की दिलचस्पी जिस तरह घट रही है, उससे देश में स्वैच्छिक कार्य के भविष्य को लेकर आशंकाएं उत्पन्न होने लगी है। ऐसे में जरुरी हो जाता है कि युवाओं को नागरिकता के मूल्यों के बारे में जागरुक बनाया जाय। स्वैच्छिक कार्य करने वालों की अलग पहचान न बन पाना भी एक ऐसी समस्या है जिससे इस तरह के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जहाँ बड़ी संस्थाओं से जुड़े स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की ओर आसानी से लोगों का ध्यान आकृष्ट हो जाता है, वहीं स्थानीय स्वैच्छिक कार्यकर्ता समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी मेहनत तो करते है मगर उनको कोई नही जान पाता है।

स्वैच्छिक संस्थाओं के वित्तीय स्त्रोत

जैसे–जैसे स्वयंसेवी संगठन औपचारिक और व्यवस्थित होते गए, वैसे वैसे इनके आर्थिक स्त्रोत भी बदलने लगे। व्यक्तियों से प्राप्त दान–चंदे के साथ–साथ स्वयंसेवी संगठनों को सरकारी अनुदान मिलने लगा। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाएं अपनी विभिन्न समाजोत्थान योजनाओं के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देती हैं। इस अनुदान से स्वयंसेवी संस्थाओं की दानकर्ताओं पर निर्भरता कम हो गई और वे अधिक स्वतंत्रता के साथ काम करने लगीं।

इसका एक लाभ यह भी हुआ कि समाज या राष्ट्र के विकास की राष्ट्रीय नीति लागू करने में भी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग मिलने लगा। कल्याणकारी शासन की अवधारणा को क्रियान्वित करने में स्वयंसेवी प्रयासों के लिए सरकरी अनुदान बहुत कारगर सिद्ध हुए। अनेक सार्वजनिक उपक्रम भी स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने लगे। वर्ष 1970 के दशक के प्रारम्भ में सरकार की ओर से अनेकों कार्यक्रम चलाए गए जो स्वयंसेवी आधार पर चलते थे और जिनका उद्देश्य युवकों में स्वयंसेवा की चेतना पैदा करना था। इनमें राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरु युवा केन्द्र का नाम उल्लेखनीय है। इनकी विभिन्न योजनाओं में स्कूलों, कॉलेजों के छात्र –छात्राओं को अवैतनिक रुप से समाजापयोगी कार्यों में लगाया जाता है।

सरकरी अनुदान से आगे बढकर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र की अनेक एजेंसियां भी स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता देती है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में उदारीकरण और वैश्वीकरण की हवा बहने के बाद निगमित क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी स्वयंसेवी प्रयासों में सहयोग देने लगीं। आज के स्वयंसेवी प्रयासों का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इनमें महिलाएं अग्रणी एवं व्यापक भूमिका निभा रही हैं। महानगरों से लेकर छोटी–छोटी बस्तियों तक पहुंचकर महिला कार्यकर्ता आम लोगों का जीवन बदलने वाली गतिविधियां चला रही हैं। मामूली वेतन लेकर या बिना वेतन लिए ये महिलायें वर्षों सेवा कार्य करती रहती हैं।

कुछ स्वयंसेवी संगठन विभिन्न गतिविधियां चलाकर, चैरिटी शो आयोजित करके, बधाई पत्र, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मिठाई डिब्बे, दोना आदि बेचकर तथा इसी तरह की अन्य गतिविधियों से धन प्राप्त करते हैं और उससे अपने कार्यक्रम चलाते हैं। कुछ स्वयंसेवी संगठन बहुत व्यापक स्तर पर कार्य करते हैं। देश भर में उनकी शाखाएं हैं और वे अपनी तरह के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से तालमेल भी रखते हैं। स्वयंसेवी प्रयासों का भी वैश्वीकरण हो गया है। गुजरात में आए भूकम्प पीड़ित लोगों की सहायता तथा पुनर्वास में सरकार से अधिक रचनात्मक काम स्वयंसेवी संगठनों ने किया और इनमें विदेशी संगठन भी शामिल थे।

स्वैच्छिक–सामाजिक संगठनों की चुनौतियाँ

स्वैच्छिक–सामाजिक क्षेत्र की भूमिका और स्वरुप में विश्वभर में व्यापक बदलाव आ रहा है। स्वयंसेवी प्रयास अब व्यवस्थित और पेशेवर पद्धति से चलाए जाते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी भी हैं, जिनकी शाखाएं अनेक देशों में हैं। ये संस्थाएं युद्ध, प्राकृतिक आपदा, दंगें, आंतकवादी हिंसा जैसी परिस्थितियों के अलावा पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, बाल एवं महिला कल्याण, एड्स जैसे घातक रोगों की रोकथाम, मानवाधिकारों की रक्षा जैसे स्थाई महत्व के मसलों पर भी ध्यान देती हैं। इनका संचालन बहुराष्ट्रीय कंपनियों या एजेंन्सियों द्वारा होता है। इनके पास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, अपार वित्तीय स्त्रोत, प्रशिक्षित अधिकारी, अत्याधुनिक सूचना तंत्र और वैज्ञानिक कार्यपद्धति होने के कारण इनके कार्य तीव्र गति और व्यवस्थित ढंग से चलते हैं। व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से इनका नाम और काम सभी दिशाओं में पहुंच जाता है, किन्तु कभी–कभी इन संस्थाओं के जरिए विकासशील और निर्धन देशों की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों और राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रभावित करने की चेष्टाएं भी की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी प्रयासों के बहाने किसी देश या क्षेत्र विशेष के हितों को आगे बढ़ाने के भी कुछ मामले सामने आए हैं। अतः तथाकथित बडी बडी स्वयंसेवी संस्थाओं के मूल उद्‌देश्यों को समझकर उनसे सहयोग या सहायता लेने अथवा उनसे भागीदारी करने का फैसला किया जाना चाहिए। इस दिशा में सरकारी खुफिया एजेंसियों की ओर से भी समय समय पर लोगों को आगाह किया जाना चाहिए।

बदलती परिस्थितियों में देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सामाजिक तथा स्वयंसेवी प्रयासों का योगदान और तेजी से बढेगा। आवश्यकता इस बात की है कि ये क्षेत्र समुचित सावधानी बरतते हुए तथा नई और आधुनिक कार्यपद्धति अपनाते हुए दूसरों की सेवा के अपने मूल उद्‌देश्य की पूर्ति की दिशा में सत्‌त प्रयासरत रहे, तभी उन्हें आज की पीढत्र्टी की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सकता है।

आज वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से स्वैच्छिक–सामाजिक क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गयी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

जो व्यापक समायोजन किये जा रहे हैं उनकी वजह से सामाजिक गड़बड़ियां उत्पन्न हो रही है। वित्तीय घाटे को कम करने के नाम पर विकास खर्च में जबरन कटौती की जा रही है और राज्य सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारियों से अपना हाथ पीछे खींच रहा है। इससे बडी संख्या में लोग हाशिये पर पहुंचते जा रहे है तथा आधारभूत सेवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। यही नही, इससे समाज के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले स्वैच्छिक–सामाजिक संगठनों, सामुदायिक समूहों और सहकारी संगठनों के कंधों पर भारी बोझ आ रहा है। स्वैच्छिक–सामाजिक क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन उपेक्षित लोगों की मद्द की है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे लोगों को विभिन्न स्तरों पर समाज से उपेक्षित होने से बचाना भी आवश्यक है।

वर्तमान में, आर्थिक और सामाजिक निर्णयों की समीक्षा का कार्य धीरे–धीरे राष्ट्रीय सीमाओं के दायरे से बाहर, विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संगठनों के पास पहुंच गया है। इन संगठनों की कार्यवाही का असर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण जैसे तमाम क्षेत्रों पर पड़ता है। गैर–व्यापारिक प्रतिबंधो और कृषि संबंधी समझौतों आदि से राष्ट्रीय योजनायें बनाने वालों के सामने कई तरह की समस्यायें उत्पन्न हो रहीं हैं और उनके हाथ बंधे से लगते हैं। इन नयी समस्याओं के कारण स्वैच्छिक नागरिक संगठनों और देश में उनके सक्रिय नेटवर्क को अपनी आवाज बुलंद करने की तरफ ध्यान देना होगा। समान विचारधारा वाले स्वैच्छिक–सामाजिक संगठनों और विश्व स्तर के गठबंधनों के साथ तालमेल कायम करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। उनका उद्देश्य वर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था के समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को उजागर करना और विकास के लिये अधिक अनुकूल माहौल तैयार करना है।

वर्तमान में, स्वैच्छिक–सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन कार्य करना है। उसे या तो एक ऐसी कामचलाऊ व्यवस्था कायम करनी होगी जिसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार, स्वयं को ढालते रहने का दवाब होगा, या फिर सुविचारित रणनीति के तहत ऐसे

सुव्यवस्थित बदलाव लाने होंगें, जिससे सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां देश के करोड़ों लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकें। स्वैच्छिक–सामाजिक क्षेत्र को बड़ी सूझ–बूझ से अपने आदर्श निर्धारित करने होंगे और व्यावहारिकता का पूरा ध्यान रखना होगा, तभी जटिल सामाजिक–आर्थिक यथार्थ से कारगर तरीके से निबटा जा सकेगा और वंचितों, अकिंचनों, आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति, समूह और समुदाय के कल्याण के लिए मिल कर कार्य किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ

- *जगदानंद, स्वैच्छिक कार्य : वर्तमान परिदृश्य और संभावनाएं, दिनांक 22–28 दिसंबर 2001, सा0 रोजगार समाचार, नई दिल्ली,*
- *सेतिया, सुभाष, राष्ट्रीय विकास में स्वयंसेवी क्षेत्र की भूमिका, योजना दिसम्बर 2002, प्रकाशन विभाग, योजना भवन, नई दिल्ली*
- *सिंह, सुरेन्द्र, वर्मा, आर. वी. एस. एवं सिंह, ए. एन. (2005) समाजकार्य, इतिहास दर्शन एवं प्रणालियाँ, रॉयल बुक डिपो, लखनऊ*
- *वार्षिक प्रतिवेदन 2004–2005 सहभागी शिक्षण केन्द्र लखनऊ*
- *गैर सरकारी संगठन, योजना नवम्बर 2011*
- *चतुर्थ भारतीय समाज कार्य कांफ्रेंस प्रतिवेदन, 2015*
- *पंचम भारतीय समाज कार्य कांफ्रेंस प्रतिवेदन, 2016*
- *गैर सरकारी संगठन, अच्छी नीति एवं व्यवहार के लिये मार्गदर्शिका, प्रिया, नई दिल्ली*
- *संगठनों का रुप विधान, प्रिया, नई दिल्ली*
- *स्वैच्छिक संगठनों का नेटवर्क एवं नेटवर्किंग प्रक्रिया, सहभागी शिक्षण केन्द्र लखनऊ*
- *डोगरा, भारत, सच्चे स्वैच्छिक कार्य की पहचान, नई दिल्ली।*

वर्तमान परिवेश में गाँधी और अम्बेडकर का सम–विधान

डा0 संजय अग्रवाल*

आज 2017 में गाँधीजी को जन्म लिए 148 वर्ष व डा. अम्बेडकर को 126 वर्ष हो चुके हैं तथा गाँधीजी की मृत्यु को 69 वर्ष व अम्बेडकर की मृत्यु को 61 वर्ष हो रहे हैं। इतने वर्षों बाद भी हमें उनके स्मरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उन्हें हम एक ऐतिहासिक पुरूष के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? समाज सुधारक के कर्णधार के रूप में यद्यपि गाँधी और अम्बेडकर के विचार अपने आप में अविस्मरणीय है किन्तु गाँधी और अम्बेडकर के विचार वर्तमान युग में किस सीमा तक प्रासंगिक हैं और कल के भविष्य को क्या आकार दे सकते हैं? यह जानने के लिए उनके विचारों को आज के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना होगा।

महात्मा गाँधी और डा. अम्बेडकर भारतीय इतिहास में ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिन्होंने साधारणतम जीवन जीकर अपने विचारों से सम्पूर्ण भारतीय समाज को अच्छादित किया है और आज जिसके प्रति राष्ट्र की जनता कृतज्ञता ज्ञापन करती है, उनके विचारों का अनुसरण करने का प्रयास करती है, गाँधीजी और डा. अम्बेडकर ने भारतीय समाज में सदैव सकारात्मक परिवर्तन किये हैं, परन्तु प्रश्न उठता है, कि इन महापुरूषों ने जिन व्यवस्थाओं एवं कमियों के खिलाफ लड़ाईया लड़ी, जिन विकृतियों और विसंगतियों पर उन्होंने चोट की, क्या वे विसंगतियाँ और विकृतियाँ नष्ट हो सकीं? आज भी गाँधी और अम्बेडकर पर अनेक विचार गोष्ठियाँ आयोजित होती हैं, सभा सम्मेलन होते हैं और बहुत बार तो ये गर्मागरम बहसें काफी लम्बे–लम्बे समयों तक चलती रहती हैं, पर क्या हम समझते हैं कि गाँधी और अम्बेडकर का वास्तविक उद्देश्य क्या था? बात चाहे राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं की हो या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की, गाँधीजी और डा. अम्बेडकर के विचार हर परिस्थिति में और हम मोड़ पर प्रासंगिक नजर आते हैं।

* *एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बाराबंकी।*

भारत जैसे विकासशील देशों की पृष्ठभूमि में कौन सी समस्यायें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जहाँ घनी जनसंख्या, बढ़ती हुई बेरोजगारी, पूँजी की अपर्याप्तता, निर्धनता की व्यापकता आदि ने गम्भीर रूप धारण कर रखा है, ऐसी स्थिति में गाँधी द्वारा विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था पर जोर देना अवश्य ही विकासशील देशों की कुछ बुराइयों को दूर करने में सहायक हो सकता है।

टेक्नोलॉजी,विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विस्तार, खेती में यन्त्रीकरण का निषेध आदि गाँधी की विचारधारा के ऐसे तत्व हैं जो विकासशील देशों के लिए अधिक प्रासंगिक है।

गाँधीजी ने राज्य–विहीन लोकतन्त्र की बात कही थी वह राज्य को हिंसावादी समझते थे, जो अहिंसक समाज की अवधारणा के विरूद्ध था। आधुनिक समाज में भी राज्य के हाथ में शक्ति के अधिक केन्द्रीकरण को रोकने की जरूरत है। उसके अस्तित्व को ही स्वीकार न करना या उसे झुठलाना गलत है और इस तरह गाँधी का राज्य विहीन समाज का सपना कोरा अव्यवहारिक आदर्श लोक जैसा है, लेकिन यह मानना होगा कि गाँधी ने ऐसी संस्थायें बनायी और ऐसी प्रक्रियायें शुरू की जिनके माध्यम से राज्य के ऊपर जनता की निर्भरता कम हुई है। रचनात्मक और स्वैच्छिक कार्यों के लिए गाँधी द्वारा बनायी गयी सभी संस्थाओं का भी उद्देश्य यही था कि वे शक्तिशाली राज्य की ताकत कम करें। इस अर्थ में गाँधी के विचार और कार्यों की प्रासंगिकता अधिक है क्योंकि उनकी कार्य पद्धति में, यदि राज्य विहीन लोकतन्त्र नहीं, तो कम से कम अल्प राज्य–शक्ति के लोकतन्त्र के समीप आने की अधिक सम्भावना है।

डा. अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए जो कुछ कर बतलाया है उससे आने वाले हजारों वर्षों के लिए करोड़ों जनता को वे अवलोकित कर गये है। केवल उनके प्रयत्न के कारण ही राजनीति से लेकर शिक्षा तक, शासन से प्रशासन तक, देश से विदेश तक, विज्ञान से धर्म तक इस वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए वे सुधारक ही नहीं उद्धारक भी थे। सवर्णों के जीवन में जो स्थान ईश्वर का है वही स्थान दलितों के जीवन में बाबा साहब पा चुके हैं। भारतीय राजनीति पर डा. अम्बेडकर जी का

प्रभाव आज भी स्पष्ट है यह प्रभाव घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। इस अर्थ में कि शिक्षा के प्रचार–प्रसार और सुविधाओं के कारण दलितों की आशा–आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। उन्हें मूर्त रूप देने हेतु वे दबाव की राजनीति का उपयोग कर रहे हैं, उनका गुट नाराज न हो इसलिए उनके साथ समझौते किये जा रहे हैं।

दलितों के इस दबाव की राजनीति के कारण उनके मतों के आकर्षण के कारण प्रत्येक पार्टी उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं देने की घोषणा कर रही है अथवा उनके आरक्षण और संरक्षण को बनाये रखने का आश्वासन दे रही है। बाबा साहब अम्बेडकर समाज की वर्ण व्यवस्था को बदलना चाहते थे, उसे मिटाना चाहते थे, समाज में सभी मनुष्यों को एक रूप में देखा जाय ऐसा उनका स्वप्न था। उनकी धारणा थी कि ऐसा करने से भारत का सामाजिक परिवेश इतना बदल जायेगा कि मनुष्य को विशुद्ध मनुष्य के रूप में देखा जायेगा और तब सभी सम्मान के साथ जी सकेंगे उनका यह स्वप्न आज के सन्दर्भ में भी प्रासंगिक है।

गाँधीजी का विचार था कि लक्ष्यों और उसकी प्राप्ति के साधनों में संगति होना चाहिए। गाँधीजी की पद्धति प्रेम पर आधारित थी न कि घृणा पर, अन्याय के विरूद्ध संघर्ष के दौर में भी प्रेम के मार्ग को त्यागना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी पद्धति मूलतः लोकतांत्रिक तरीके से समझा–बुझा कर मत परिवर्तन की थी। हमारे समाज में भी इन विचारों की प्रासंगिकता दिखती है जैसे–अन्धकार के उन दिनों में जब पंजाब और बंगाल साम्प्रदायिकता की आग में जल रहे थे और जब सेना के सशस्त्र सिपाही शान्ति स्थापना में असफल रहे तब गाँधी के अपने वीर साथियों के साथ की गयी शान्ति यात्रा जिसमें प्रेम ही उनका अस्त्र था, साम्प्रदायिक विद्वेष की आग बुझाने में सफल हुई।

गाँधी का आत्म–निर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर और अल्पतम आवश्यकताओं का जो सिद्धान्त है वह समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं के सन्दर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है।

गाँधीजी ने भौतिक प्रगति के बीच मानवीय आवश्यकताओं पर

नियन्त्रण रखने तथा मानवीय और नैतिक मूल्यों का आदर करते हुए समृद्ध समाजों की विकृतियों को कुछ हद तक दूर करने का भी मार्ग दिखाया है।

गाँधी ने अपरिग्रह और अनासक्ति का जो सिद्धान्त दिया है वह हमारे समाज के लिए उनकी एक अनूठी देन है।

आतंकवाद के इस युग में अहिंसा को प्राथमिकता देना, विश्व प्रतियोगिता के इस दौर में नैतिकता के साथ विकास करना, सभी का समान ढंग से विकास करने के बावजूद आरक्षण देना आदि बातें यह सिद्ध करती हैं कि समय गुजरने के साथ–साथ गाँधी और अम्बेडकर का महत्व बढ़ता गया है, उनकी प्रासंगिकता बढ़ती गयी है।

सत्य और अहिंसा के शाश्वत गाँधीवादी सिद्धान्त समकालीन विश्व व्यवस्था में भी सागर की गहराइयों से निकले ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें प्राप्त करके ये मानवता बार–बार धन्य हुई है।

गाँधी और अम्बेडकर के युग में राष्ट्र की जनसंख्या 45 करोड़ के लगभग थी, आज हमारी आबादी लगभग 130 करोड़ से भी अधिक है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति हुई है, और आज हम परमाणु शक्ति से सम्पन्न राष्ट्र बन चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है। हमारे सॉटवेयर इंजीनियरों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, कई मामलों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, और भूमण्डलीकरण के इस युग में हमारी सौदेबाजी की ताकत मजबूत हुई है, सड़कों एवं रेलमार्गों का विस्तार हुआ है, यातायात और संचार के साधन विकसित हुए हैं, कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीकों और बीजों का प्रयोग बढ़ा है।

परन्तु आज राष्ट्र ने जहाँ इतनी उन्नति की है, देश उदारीकरण के मार्ग पर आँखे मूँदकर सरपट दौड़ रहा है और सेंसेक्स नित नवीन ऊँचाईयाँ छूकर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर एक और दुनिया है। जहाँ आज भी 25 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जिसे लिखना–पढ़ना नहीं आता, 22 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिसे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं। आज भी ढ़ेरों बच्चे प्राथमिक

शिक्षा से वंचित हैं ओर तकरीबन एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक कमरा और एक अध्यापक है। गाँधीजी ने गाँवों के विकास पर विशेष जोर दिया था लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों का ही विकास उपेक्षित है।

विकास की ऊष्मा गाँवों तक पहुँचते–पहुँचते ठण्ड़ी पड़ जाती हैं आय की असमानता भी कम नहीं है। विकास भी उन्हीं क्षेत्रों का हो रहा है, जिनका विकास काफी हद तक हो चुका है, बेरोजगारी का ग्राफ भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। क्या इसी प्रकार के भारत की कल्पना गाँधीजी ने की थी? जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप आज दिखाई दे रहा है क्या ऐसा ही डा. अम्बेडकर ने सोचा था? दलितों के हक के लिए डा. अम्बेडकर ने जो संघर्ष किये क्या आज दलितों को उनका वाजिब हक मिल पाया है?

गाँधीजी का प्रथम उद्देश्य राजनीतिक संवैधानिक स्वायत्तता हासिल करके जनतन्त्र की स्थापना करना था। ऐसा जनतन्त्र जिसमें गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी यह समझे कि यह देश, यह लोकतन्त्र, यह गणतन्त्रीय व्यवस्था उसकी अपनी है। गाँधीजी ने आज के बच्चों को कल के राष्ट्र का पिता कहा था और उसकी महत्ता को भी रेखांकित किया था, लेकिन वर्तमान में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, बंग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे एशियाई देश ही नहीं, मोरक्को और कई अन्य अफ्रीकी राष्ट्रों सहित पूरी की पूरी तीसरी दुनिया के बच्चे अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन–रात अथक परिश्रम करते हैं। वे नाबालिग बच्चे अमानवीय परिस्थितियों में जीने के लिए विवश हैं–कहीं चमड़ा उद्योग में, भवन निर्माण में तो कहीं कालीनों के निर्माण में, आश्चर्य होता है कि यह सब पूज्यनीय कही जाने वाली लोकतान्त्रिक व्यवस्था में उस समय हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बालकों के स्वस्थ विकास पर पर्याप्त ध्यान दे रही है।

गाँधीजी की प्रासंगिकता किसी विषय विशेष पर सोचने को विवश नहीं करती बल्कि विभिन्न विषयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ऐसे विषय जो सार्वजनिक रूचि और महत्व के हैं, ऐसे विषय जो गम्भीर

हैं और जिन पर वास्तव में गहराई से विचार करने की आवश्यकता है जैसे– भूमि सुधार और भू–स्वामित्व जैसी बुनियादी समस्यायें, रोजगार, आय–वितरण, बेसिक शिक्षा आदि। गाँधीजी के अनुसार भारत गाँवों में ही बसता है आज भी 65 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है, जिसके जीविकोपार्जन का साधन मुख्य रूप से कृषि ही है परन्तु भूमि हदबन्दी कानून की तमाम सदाशयताओं के बावजूद अनेकों आवंटितों को आज तक भूमि का हक नहीं मिल पाया है।

गाँधी और अम्बेडकर की युगीन क्रान्तिकारी चिन्तनधारा ने समन्वय के स्थान पर नये वर्गों का निर्माण कर दिया है। वस्तुतः दोनों ध्रुव शोषण और असमानता के विरूद्ध केन्द्रित हैं, किन्तु दोनों की शैली में थोड़ा अन्तर है, लेकिन इनकी प्रासंगिकता सदैव रही है और रहेगी इनमें कही अर्न्तविरोध नहीं है। मानवता के साथ जुड़े हुए ये आदर्श मानव के अस्तित्व तक रहेंगे। शोषण विहीन, वर्ग विहीन, समतापूर्ण समाज की रचना भी ऐसा ही आदर्श है। आंधी के साथ आयी हुई क्रान्तियाँ जिस तेजी से आती है उसी तेजी से चली जाती हैं। अहिंसा से पुष्ट परिवर्तन की सरिता स्नेह और समता के स्थायी पड़ाव निर्मित करती है। गाँधी और अम्बेडकर ने सत्य, अहिंसा और समता के शाश्वत मूल्यों से समाज की रचना का स्रोत खोजा है जो आज भी प्रासंगिक है। गाँधी और अम्बेडकर दोनों अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का अपने सम्पूर्ण दर्शन से मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर विश्व मानवता की सेवा की।

महात्मा गाँधी और डा. अम्बेडकर के आर्थिक चिन्तन का पक्ष उनके समग्र सामाजिक चिन्तन का सार है जो कुछ भी वे सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न करना चाहते थे, वह सार के रूप में आर्थिक परिवर्तन ही था। वर्तमान भारत में जो अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण हो रहा है, हम समाजवाद को छोड़कर उदारीकरण और मुक्त पूँजीवाद का विकास कर रहे हैं इस प्रसंग में गाँधीजी और डा. अम्बेडकर के विचार एक शताब्दी आगे थे। उनके चिन्तन की प्रौढ़ता, वर्तमान आर्थिक, सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप है। जिस खुलेपन की चर्चा आज विश्व अर्थशास्त्री कर रहे हैं और 21वीं सदी के विश्व के सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर रहे हैं उस भावी

विश्व का स्वरूप डा. अम्बेडकर और गाँधीजी ने अपने आर्थिक चिन्तन में 20वीं शताब्दी में ही प्रस्तुत कर दिया था। गुलामी की कुंठित सामाजिकता ने और सोवियत रूस के अक्रामक समाजवाद ने इन लोगों के खुलेपन को विकसित नहीं होने दिया।

वर्तमान आर्थिक परिवेश से स्पष्ट होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में पूँजी ने श्रम पर निर्णायक विजय प्राप्त कर ली है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि या तो श्रम को पूंजी का पूर्णतः अधीनस्थ बना दिया गया है अथवा उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को नितान्त निरर्थक बना दिया गया हैं पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में विजेता बन गयी है अतः विपुल पूंजी का स्वामित्व जिन व्यक्तियों, समूहों अथवा राष्ट्रों के पास है वे समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था का अपने हित में शोषण करने की स्थिति में आ गये हैं। इस सन्दर्भ में गाँधी की विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था का सर्वोदयी विकल्प गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

आज विश्व हथियारों की होड़ के फलस्वरूप महाविनाश के कगार पर बैठा हुआ है और यदि संयम और बुद्धिमतापूर्वक काम न लिया गया तो मानवता का सर्वनाश निश्चित है।

विश्व शान्ति की समस्या आज अत्यन्त गंभीर हो गयी है। वर्तमान परिवेश में इसका समाधान अत्यन्त कठिन हो गया है। विनोबा भावे ने स्पष्ट किया है कि ''विश्व योजनाओं और विधानों के बल पर इस समस्या का हल नहीं हो सकता है, क्योंकि विश्व शान्ति की समस्या तत्वतः नैतिक है जब तक हम अपने प्रश्नों को नैतिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से देखने के आदी नहीं हो जाते अर्थात् जब तक राष्ट्रों के बीच परस्पर सद्भावना और संवेदना का प्रदुर्भाव नहीं होता तब तक अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का अन्त नहीं होगा। परन्तु उपर्युक्त समस्या का समाधान हमें गाँधी के विचारों में मिलता है।

आज पर्यावरण असन्तुलन की समस्या गम्भीर रूप धारण किये हुए है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन मिलना असम्भव हो रहा है, धनाढ़्यों का उपभोग स्तर घोर आर्थिक असमानतायें, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जिन्हें परिस्थितियाँ दीर्घकाल तक न चला सकें, राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय

प्रबन्धन के लिए संगठित प्रयासों की कमी, निम्न स्तर की तकनीक, जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव और गरीबी तथा प्रदूषण की समस्याओं के प्रति राजनीति व सामाजिक उपेक्षा भाव इत्यादि सब बातों ने मानव जाति के सुखद भविष्य को खतरे में डाल रखा है। इन सभी समस्याओं के मूल में मनुष्य की हिंसा की प्रवृत्ति है, जो कई रूपों में सामने आयी है जैसे– आयुध उद्योगों में विशाल वृद्धि, जातीय और धार्मिक असिहष्णुता, सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष, मानव अधिकारों का दुरूपयोग आदि।

इस समस्या का गाँधी और अम्बेडकर के चिन्तन को व्यवहार में उतार कर समाधान निकाला जा सकता है। गाँधी की दृष्टि में– ''जनता की अधिकांश गरीबी का कारण यह है कि आर्थिक और औद्योगिक जीवन में हमने स्वदेशी के नियम को भंग किया है अगर भारत में व्यापार की कोई वस्तु विदेशों से नहीं लायी गयी होती तो हमारे देश में दूध और शहद की नदियाँ बहती। भारत अपने जीवन का उत्तम निर्वाह तभी कर सकता है जब वह अपनी आवश्यकताओं की सारी वस्तुओं को स्वयं उत्पन्न करे। उसे नाशकारी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो आपसी लड़ाई–झगड़ों, ईर्ष्या और अन्य अनेक बुराइयों को जन्म देता है।

भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या काफी अर्से से व्याप्त है। वर्तमान में राम मन्दिर को लेकर हिन्दू–मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के मध्य हो रहा टकराव जीता जागता उदाहरण है। साम्प्रदायिकता की समस्या को लेकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी तनाव उत्पन्न हुए हैं। इस तनाव के मूल में मुख्य कारण यही है कि धर्म के मर्म को विस्मृत कर दिया गया है। धर्म की मूल धारणा के सम्बन्ध में गाँधी और अम्बेडकर की प्रस्थापनायें, साम्प्रदायिकता की समस्या के समाधान के लिए दिशा प्रदान कर सकती है।

आज जीवन में नैतिक मूल्यों का सर्वथा अभाव हो गया है। मूलतः यह भौतिकवादी दर्शन का परिणाम है। जीवन में अर्थ को सर्वोपरि प्रधानता दी जा रही है। मूल्यहीनता अति–औद्योगिकीकरण के कारण भी होती है, जिसमें मनुष्य निरन्तर तनावपूर्ण, असम्बद्ध और अलगाव का जीवन व्यतीत

करता है। उसका न तो परिवार से सम्बन्ध रह जाता है और न ही पास पड़ोस से, वह यन्त्रवत काम करता है। गाँधीजी और डा. अम्बेडकर शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों को विकसित कर जीवन को सरल बनाकर, अर्थ को सर्वोपरि न मानकर, सत्य और अहिंसा को अपनाकर अपना और राष्ट्र दोनों का विकास कर सकता है।

उपर्युक्त विवेचन गाँधी और अम्बेडकर के विचार की प्रासंगिकता को स्थापित करता है, साथ ही उस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सन्दर्भों में गाँधी और अम्बेडकर ने अपने जो विचार दिये है वह केवल उस युग में ही सार्थक नहीं था बल्कि आज की परिस्थिति में भी अत्याधिक महत्वपूर्ण है लेकिन वर्तमान परिवेश में हम उनके विचारों को व्यवहार में पूरी तरह परिणित नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसीलिए आज हमारी यह स्थिति होती जा रही है, अतः यदि उनके विचारों को जीवन में पूर्णरूप से या आंशिक रूप से उतार लिया जाए तो विश्वव्यापीकरण के इस दौर में भी सन्तुलित ढंग से विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ

- *डा. अम्बेडकर और दलित आन्दोलन : धर्मवीर, शेष साहित्य प्रकाशन, विश्वासनगर, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1990, पृ. 24*
- *डा. अम्बेडकर और दलित साहित्य–धर्मवीर, शेष साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990, पृ. 26*
- *डा. अम्बेडकर जीवन और दर्शन–डा. राजेन्द्र मोहन भटनागर, किताब घर दरियागंज, नई दिल्ली, 1990, पृ. 165*
- *डा. भीमराव अम्बेडकर : सामाजिक न्याय के पुरस्कर्ता–डा. ब्रजलाल वर्मा, भावना प्रकाशन, कानपुर 1992, पृ. 169*
- *डा. भीमराव अम्बेडकर : सामाजिक न्याय के पुरस्कर्ता–डा. ब्रजलाल वर्मा, भावना प्रकाशन, कानपुर 1992, पृ. 169*
- *डा. अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन–डा. ज्ञानचन्द्र खिमेसरा, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 1995, पृ. 75*
- *डा. अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन– डॉ. ज्ञानचन्द्र खिमेसरा, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1995, पृ. 76*

- *डा. अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन–डा. ज्ञानचन्द्र खिमसेरा, मध्य प्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1995, पृ. 80*
- *महात्मा गांधी और भारत–डा. अमर ज्योति सिंह, रामकटोरा, वाराणसी, 1995 पृ. 137*
- *डा. अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन–डा. ज्ञानचन्द्र खिमसेरा, मध्य प्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1995, पृ. 66*

मानव कल्याण में अथर्ववेद का योगदान

डॉ0 अम्बरीष कुमार शास्त्री*

शोध सारांश

हिन्दू धर्म और उसकी संस्कृति का मूलाधार ग्रन्थ वेद माना गया है। वेद को विश्व का सर्वप्रथम वाङ्मय कहा जाता है। सृष्टि के पूर्व परब्रह्म परमेश्वर ने मानव के कल्याणार्थ वेद का ही आविष्कार किया इसलिए वेद को अनादि तथा अपौरूषेय कहा गया है। धर्मआदि चार पुरूषार्थों की प्राप्ति के उपाय जिस शास्त्र के द्वारा बतलाये गये है उसे वेद कहते है।

''वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरूषार्थ चतुष्योपायाः येन स वेदः''

अतएव ऐतरेय भाष्य की भूमिका में भी सायणाचार्य ने कहा है कि–

''इष्ट प्राप्त्यनिष्ठ परिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः''

अभीष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहारार्थ अलौकिक उपाय को बताने वाले ग्रन्थ को वेद कहा गया है।

अंगिराज वंशज अथर्वा ऋषि के द्वारा दृष्ट होने के कारण इस वेद का नाम अथर्ववेद हुआ किन्तु इस वेद की अन्य संज्ञाएं भी मिलती है जिनमें ब्रह्मवेद, अंगिरावेद, अथर्वांगिरसवेद, भृग्वंगिरसवेद, भैषज्य वेद है अथर्व शब्द यर्व–कौटिल्ये हिंसायाम् धातु से निष्पन्न हुआ है। इसलिए अथर्व शब्द का अर्थ है, अकुटिलता एवं अहिंसा वृत्ति से मन को स्थिर बनाने वाला व्यक्ति। ''अंगिरेभ्यः स्वाहा'' शब्द का उल्लेख तैतरीय संहिता में प्राप्त होता है अतएव अंगिरस वेद अर्थवेद की ही संज्ञा है इस शब्द की व्युत्पत्ति बृहदारण्यकोपनिषद में इस प्रकार है ''शरीरस्थ रहने वाला जो सप्त धातुमयरस, तद् विषयक चिकित्सा जिसमें है ही वही आंगिरस वेद है।''

इस असार संसार में दीर्घकाल तक जीवित रहना प्राणी मात्र की अपनी इच्छा होती है इसलिए वह मृत्यु से बचने के लिए अनेक उपाय खोजता रहता है। इसी के परिणाम स्वरूप अथर्ववेद प्रवृत्त हुआ है। दीर्घ

* *एसो0प्रो0 एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, जवाहरलाल नेहरू पी0जी0 कालेज, बाराबंकी।*

आयु तथा आरोग्य के लिए अनेक मन्त्र इस वेद में मिलते है जैसे हम सौ वर्षों तक देखे, सौ वर्षों तक जीवित रहकर ज्ञान प्राप्त करें, सौ वर्षों तक बढ़े तथा वर्षों तक हम पुष्ट रहें सौ वर्षों तक हमारा अस्तित्व रहे, सौ वर्षों से भी अधिक वर्षों तक हम जीवित रहें।

पश्मेय शरदः शतम्। जीवेम शरदः शतम्।
बुध्येम शरदः शतम्। रोहेम शरदः शतम्।
पूषेम शरदः शतम्। भवेम शरदः शतम्।
भूयेम शरदः शतम् भूयसीः शरदः शतम्।15

इस प्रकार वेद मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार की मंगलमय कामना करते हुए विभिन्न प्रकार के उपायों का मंगल दर्शन विस्तृत रूप से किया जिनका लाभ मानव तभी पा सकता है जब पूर्ण रूप से वेद विहित मार्ग का अनुसरण करते हुए साधना के पथ पर अग्रसर रहे अथर्ववेद मानव जीवन के लिए ही नहीं अपितु समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपयोगी है।

यस्य निःश्वासितं वेदा यो वेदोभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्।।

हिन्दू धर्म और उसकी संस्कृति का मूलाधार ग्रन्थ वेद माना गया है। वेद को विश्व का सर्वप्रथम वाङ्मय कहा जाता है। सृष्टि के पूर्व परब्रह्म परमेश्वर ने मानव के कल्याणार्थ वेद का ही आविष्कार किया इसलिए वेद को अनादि तथा अपौरूषेय कहा गया है। धर्म आदि चार पुरूषार्थों की प्राप्ति के उपाय जिस शास्त्र के द्वारा बतलाये गये है उसे वेद कहते है।

"वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरूषार्थ चतुष्योपायाः येन स वेदः"
अतएव ऐतरेय भाष्य की भूमिका में भी सायणाचार्य ने कहा है कि–
"इष्ट प्राप्त्यनिष्ठ परिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः"

अभीष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहारार्थ अलौकिक उपाय को बताने वाले ग्रन्थ को वेद कहा गया है।

अंगिराज वंशज अथर्वा ऋषि के द्वारा दृष्ट होने के कारण इस वेद

का नाम अथर्वेद हुआ किन्तु इस वेद की अन्य संज्ञाएं भी मिलती है जिनमें ब्रह्मवेद, अंगिरावेद, अथर्वांगिरसवेद, भृग्वंगिरसवेद, भैषज्य वेद है अथर्व शब्द यर्व–कौटिल्ये हिंसायाम् धातु से निष्पन्न हुआ है। इसलिए अथर्व शब्द का अर्थ है, अकुटिलता एवं अहिंसा वृत्ति से मन को स्थिर बनाने वाला व्यक्ति। ''अंगिरेभ्यः स्वाहा'' शब्द का उल्लेख तैतरीय संहिता में प्राप्त होता है अतएव अंगिरस वेद अथर्ववेद की ही संज्ञा है इस शब्द की व्युत्पत्ति बृहदारण्यकोपनिषद में इस प्रकार है ''शरीरस्थ रहने वाला जो सप्त धातुमयरस, तद् विषयक चिकित्सा जिसमें है ही वही आंगिरस वेद है।''

''अंगेषु गात्रेषु यो रसः सप्त धातुमयस्तमधिकृत्य या चिकित्सा सागिरसानां चिकित्सा''1

कुछ विद्वान इस वेद का नामकरण ब्रह्मवेद किया है ब्रह्मा नामक ऋत्विक से सम्बद्ध होने का उल्लेख करते है तथा ''होता'' का ऋग्वेद से, अध्वर्यु का यजुर्वेद से उदगाता का सामवेद से सम्बन्ध है। उसी तरह ब्रह्मात्मक ऋत्विक का सम्बन्ध अथर्ववेद से है। इस कारण अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है।

''चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदःसामवेदो ब्रह्मवेद''2

ब्रह्मवेद के अभिधान में ब्रह्या का सम्बन्ध निमित्त नहीं है, अपितु ब्रह्मतत्त्व का ज्ञान कराना है।

''ब्रह्म सर्वविद्यः सर्व वेदितुमर्हति''3

ब्रह्म को देवताओं ने सर्वप्रथम देवता की उपाधि प्रदान की गयी है। कहा गया है कि–

ब्रह्म देवानां प्रथमः सम्बभूवः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स बेविद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह।।4

गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद का नाम अथर्वांगिरस के नाम से उल्लिखित किया गया है।5

अथर्ववेद संहिता में भी अथर्वांगिरस प्राप्त होता है।।6

किन्तु ऋग्वेद के पुरूषसूक्त में अथर्ववेद की छन्दोवेद संज्ञा होनें का

उल्लेख मिलता है। कि जिस यज्ञ में सभी कुछ अर्थात सबका आत्मरूप पुरूष आहुत कर दिया जाता है उस यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उससे गायत्री आदि छन्द अथर्ववेद उत्पन्न हुए, उससे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ।

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानिजज्ञिरे।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद यजुस्तस्मादजायत।।7

अथर्ववेद अत्यन्त उपकारक वेद है इसका उपयोग यज्ञ कर्म में अधिक नहीं किया गया है किन्तु लोकोपकारक अवश्य है इसलिए इसका महत्व अन्यवेदों की तुलना में कम नहीं होता 20 काण्डों में समाहित मन्त्रों का अध्ययन समष्टि रूप से अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है किन्तु यदि मंत्रो का अध्ययन व्यष्टिरूप से किया जाय तो समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है।

अयं यो विश्वान् हरितान् कृणोष्युच्छोयन्नग्निरिवाभिदुन्वन्।

अधाहि तक्मन्नं रसो हिभूया अधान्यंगिधराङ्वापरेहि।।

यत् त्वं शीतोथो रूरः सह कासा वेपयः।

भीमास्ते तक्मन हेतयस्ताभिः स्मपरिवृङ्घिः नः।।8

अथर्ववेद में भैषज्य सूक्तों का वर्णन प्राप्त होता है जिसमें रोग निवारक मन्त्रों का संग्रह है भैषज्य सूक्तों में कहीं रोग निवारक औषधियों का आवाहन एवं रोगों का उपशमन बताया है तो अन्यत्र जल में विशिष्ट रोगनिवारक शक्ति है उसकी स्तुति कि गयी है रोगों के कारणभूत राक्षसों को भगानें में दक्ष अग्नि की स्तुति की गयी है कौशिक सूत्र में अथर्ववेदीय सूक्त में प्रयुक्त मन्त्रों में आयुर्वेदीय रोगों की लक्षणमीमांसा अत्यन्त विशद रूप से की गयी है।

अथर्ववेद में ज्वर की विस्तृत मीमांशा है ज्वर अत्यन्त पीड़ा कारक होता है वेद के अनुसार ज्वर की उत्पत्ति ''तक्मन'' नामक राक्षस से बतायी गयी है इसके लक्षण एवं शमन का उपाय अथर्ववेद के पाचवे काण्ड के 22 वे सूक्त में उल्लेख मिलता है जो इस सूक्त में उद्धृत किसे गये है।

1. एक समय ज्वर समाप्त होाता है दूसरे समय अत्यन्त तीव्र हो जाता है तथा खांसी के साथ व्यक्ति को हिला देता है।
2. यह अत्यन्त ताप से अग्निवत ज्वलन शील होता है।
3. ज्वर सभी लोगो को पीला बना देता।

अथर्ववेद के 6 ठे काण्ड में खांसी को दूर करने वाले मंत्रो का वर्णन किया गया है। जिन मंत्रों के प्रयोग से खांसी रोग का–उपशमन हो जाता है यथा मन, बुद्धिगम्य दूरस्थ विषयों के पास वेग से जाता है उसी प्रकार हे कास तू मनोवेग से जा। जिस प्रकार सूर्य की किरणें वेग से जाती है। उसी प्रकार तू समुद्र के प्रवाह के साथ जा।

यथा मनो मनस्केतैः परापतत्याशुमत्।
एवा त्वं प्रपत मनसोनु प्रवाम्यम्।
यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्।
एवा त्वं कासे प्रपत समुद्रस्यानु विक्षरम्।।9

रक्तस्त्राव स्तम्भक मंत्र अथर्ववेद के प्रथम काण्ड में उल्लिखित है। रक्तश्राव अधिक बढ़ जाने पर स्राव का स्तम्भन में इन मंत्रों के प्रयोग होता है।

अमर्या यन्ति योषितो हिरा लोहि–तवाससः।
अभ्रतार श्व जामयस्तिस्ठन्तु हतवर्चसः।।
परि वः सिकतावती धनूर्वृहत्यक्रमीत्।
तिष्ठतेनयता सु कम।।10

रक्तवस्त्र पहनकर जाने वाली स्त्री रूप रक्त वाहनियां भ्रातृहीन बहनवत हतबल होकर अपने अपने स्थान पर स्तब्ध रहें। सिकतावती एवं धनुष के समान विशिष्ट नाड़ी तुम्हे आक्रान्त किया है तुम स्थिर हो तथा रोगग्रस्त को सुख दो।

गण्डमाला जैसे रोग का निवारण करने वाले मंत्र भी इसी छठे काण्ड में ही वर्णित किये गये हैं पांच और पचास और पचास गण्डमालाएं जो मन्या धमनीं पर जमीं है वे सभी अपचित कीड़े के समान नष्ट हो। जो 7

और 70 गण्डमाला ग्रेव्यानाड़ी पर एक साथ जमी हुयी है वे सभी अपचित कीड़े के समान नष्ट हो।

पंचचयाः पंचाशच्च संयतिमन्या अभि।

इतस्ताः सर्वानश्यन्तु बाका अपचितामिव।।

सप्त च याःसप्ततिश्च संयन्ति ग्रैव्या अभि।

इतस्ताः सर्वानश्यन्तु बाका अपचितागिव।।11

कुछ रोग कृमिजन्य होते है जिनका ज्ञान शोध से हुआ है परन्तु अथर्ववेद में पूर्व से ही वह सुरक्षित है यह कृमि अनेक प्रकार के होते है इन कृमियों के नष्ट होने के कारण रोग का निवारण बताया गया है जैसे जो कृमि आंतो से, सिर में, पार्ष्णी में अवस्कवकृमि अर्थात अन्दर प्रवेश करने वाले जन्तु तथा शरीर के अनेक भागों में प्रवेश करने वाले जन्तुओं को मंत्र योग के द्वारा मैं नष्ट करता हूँ।

अन्वान्यं शीर्षण्य मथो पार्ष्टेयं क्रिमीन्।

अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन वचसा जभयामसि।।12

जो कृमि पर्वत, वनों, वनस्पतियों जल तथा शरीर में प्रवेश कर गये हैं उन सभी कृमि समूहों को नष्ट करता हूँ।

ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वसन्तः।

ये अस्माकं तन्वडमाविविपिशुः सर्वं तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्।।13

कृमि अनेक रंगों के होते है जैसे काले रंग के कृमि, पीले रंग के कृमि कत्थई रंग के कृमि आदि।

सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ।

वभ्रुश्च बभ्रकर्णश्च गृधः कोकश्च ते हताः।।14

इस असार संसार में दीर्घकाल तक जीवित रहना प्राणी मात्र की अपनी इच्छा होती है इसलिए वह मृत्यु से बचने के लिए अनेक उपाय खोजता रहता है। इसी के परिणाम स्वरूप अथर्ववेद प्रवृत्त हुआ है। दीर्घ आयु तथा अनरोग्य के लिए अनेक मन्त्र इस वेद में मिलते है जैसे हम सौ वर्षों तक देखे, सौ वर्षों तक जीवित रहकर ज्ञान प्राप्त करें, सौ वर्षों तक बढ़े

तथा वर्षों तक हम पुष्ट रहें सौ वर्षों तक हमारा अस्तित्व रहे, सौ वर्षों से भी अधिक वर्षों तक हम जीवित रहें।

पश्मेय शरदः शतम्। जीवेम शरदः शतम्।
बुध्येम शरदः शतम्। रोहेम शरदः शतम्।
पूषेम शरदः शतम्। भवेम शरदः शतम्।
भूयेम शरदः शतम् भूयसीः शरदः शतम्।15

इस प्रकार वेद मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार की मंगलमय कामना करते हुए विभिन्न प्रकार के उपायों का मंगल दर्शन विस्तृत रूप से किया जिनका लाभ मानव तभी पा सकता है जब पूर्ण रूप से वेद विहित मार्ग का अनुसरण करते हुए साधना के पथ पर अग्रसर रहे अथर्ववेद मानव जीवन के लिए ही नहीं अपितु समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपयोगी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- *बृहदारण्यकोपनिषद 1–3–8*
- *गोपथ ब्राह्मण 2–16*
- *निरूक्त 1–8*
- *मुण्डकोपनिषद 1–11*
- *गोपथब्राहमण 3–2*
- *अथर्ववेद संहिता 10–7–20*
- *ऋग्वेद पुरूष सूक्त 8*
- *अथर्ववेद 5–22*
- *अथर्ववेद 6–105*
- *अथर्ववेद 1–17*
- *अथर्ववेद 6–25*
- *अथर्ववेद 2–31*
- *अथर्ववेद 2–31*
- *अथर्ववेद 5–23*
- *अथर्ववेद 9–67*

महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव

डा0 कृष्णकान्त चन्द्रा*

हिन्दी साहित्य पर गांधी और बुद्ध का प्रभाव को परखने के लिए हमें उनके दर्शन को समझने की जरूरत है, क्योंकि इनके दर्शन ने विश्व शान्ति का संदेश दिया, जिसमें अहिंसा की बात है, करूणा की बात है, दया, तप, ममता, चिन्तन–मनन, ध्यान आदि ऐसी खूबियाँ हैं जिसको अपनाकर विश्व शान्ति के पथ पर चल सकता है। इस दर्शन ने हिन्दी साहित्य को भी बहुत प्रभावित किया। यदि आप मनुष्य हैं तो आपके अन्दर ये सारे गुण होने चाहिए नहीं तो पशु की श्रेणी में आ जाएंगे।

महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध ने ही दुनिया को यह संदेश दिया कि मनुष्य का जीवन सार्थक तभी है जब आपके अन्दर करूणा की भावना व्याप्त हो। यही करूणा हमें हिंसा से दूर करती है, जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी की बुनियादी शिक्षा दर्शन आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विपरीत है, वे मातृभाषा के साथ–साथ प्रान्तीय भाषा का भी समावेश करते हैं। यह शिक्षा अमीर–गरीब, स्त्री–पुरूष, लड़के–लड़कियों को समान रूप से प्रदान की जाती है। गांधी ने ऐसे आश्रमों, विद्यापीठों, गुरूकुलों व शिक्षण संस्थानों को आरम्भ किया जिसके आधार पर मनुष्य अपने आपको सम्पूर्ण जीवन के लिए तैयार कर लेता था।

दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में अहिंसा मान्य है। हिंसा का कोई स्थान नहीं है। गांधी ने भी अहिंसा को अपना हथियार बनाया। गांधी का जो सत्य, अहिंसा का व्रत है वह बौद्ध के पंचशील में है, गांधी के जो एकादर्श है उनमें बहुत समानता है। बुद्ध की करूणा को गांधी बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने एक व्रत लिया है कि मैं एक ही वस्त्र धारण करूँगा। इसके पीछे एक कहानी है गांधी जी दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, एक जगह उन्होंने

* *एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, जवाहरलाल नेहरू पीजी कालेज, बाराबंकी, ई–मेल : dr.kkchandra@gmail.com*

देखा कि एक गरीब महिला अपनी साड़ी के आधे हिस्से को पहले धुला और निचोड़ा फिर पहनकर दूसरे हिस्से को भी साफकर उसे निचोड़ने के बाद पहन लिया। इस घटना से उनका मन करूणा से भर गया और उन्होंने एक व्रत लिया कि मैं अब केवल एक ही वस्त्र धारण करूँगा। इसीलिए उन्होंने सूत कातने के बाद उससे बने वस्त्र धारण किए। यह कार्य उनका जन दुःख को दूर करने की भावना से प्रेरित है। यह भावना बुद्ध में पहले से मौजूद है। बुद्ध में वैराग्य की भावना इसीलिए आयी कि हम दुःखी जनों के दुःख को कैसे दूर करें।

गांधी और बुद्ध की दृष्टि दुःख को दूर करने की भावना सिर्फ भारत के दुःख से ही नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया के दुःख से थी। इसीलिए अफ्रीका में गांधी ने मानवता के लिए लड़ाई लड़ी।

गांधी बुद्ध के दर्शन ने हिन्दी साहित्य पर बहुत प्रभाव डाला। इसलिए साहित्य की जितनी भी विधाए हैं उन सभी पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है जिनमें कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार जिसमें गिरिराजकिशोर, प्रेमचन्द, रेणु, जैनेन्द्र, उपेन्द्रनाथ अश्क, स्वरूप कुमारी बक्शी, विष्णु प्रभाकर, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानीप्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, सोहन लाल द्विवेदी आदि पर गांधी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण कृतियों में मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती' जो गांधी के आदर्शों को स्थापित करती है, 'बापू' कविवर सियारामशरण गुप्त का काव्य गांधी को वर्णनात्मक सीमाओं से आगे ले जाकर संवेदन स्वर व्यक्त करता है, 'बापू के प्रति' सुमित्रानंदन पंत का काव्य गांधी को समर्पित है। मुंशी प्रेमचन्द्र का उपन्यास रंगभूमि का सूरदास गांधी का दूसरा रूप है। वहीं प्रेमचन्द गांधीवाद से प्रभावित होकर अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। 'मैला आंचल' फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास जिसमें ग्रामीण स्वराज्य की बात की गई है। बावनदास गांधीवादी मूल्यों को मानता है, नेताओं के पतन से दुःखी है। 'पहला गिरिमिटीया' गिरिराज किशोर का महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक मोहनदास अर्थात् गांधी का आरम्भिक रूप

है। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास 'परख' के कथानक में गांधी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। भगवती प्रसाद बाजपेई का उपन्यास 'पतवार' में गांधी दर्शन के आदर्श को स्वीकारते हुए कहा है कि स्थायी विश्व शान्ति और मनुष्य मात्र का कल्याण, सत्य, अहिंसा के द्वारा ही संभव है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास 'बिस्रामपुर का संत' विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन जो गांधीवादी मूल्यों पर आधारित है का चित्रण किया गया है।

वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध के प्रभाव को आधुनिक हिन्दी साहित्य में मैथिलीशरण गुप्त रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, चतुरसेना शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, यशपाल, रांगेय राघव, मोहन राकेश की कुछ रचनाएँ बौद्ध दर्शन के प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखती है। इनमें से कुछ का उल्लेख करना उचित होगा। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड द्वारा रचित 'द लाइट आफ एशिया' का अनुवाद 'बुद्ध चरित' नाम से किया। जो बुद्ध के जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मैथिलीशरण गुप्त का काव्य 'यशोधरा' बुद्ध की पत्नी यशोधरा के नारी मन की करूण गाथा है। सुमित्रानन्दन पन्त ने एक छोटी सी कविता लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। महादेवी वर्मा का काव्य बौद्ध धर्म के दुःखवाद और करूणा के सिद्धान्त का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अज्ञेय ने बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धान्तों को गहराई से समझा है। असाध्यवीणा और आंगन के पार द्वार की रचनाओं पर बौद्ध दर्शन का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। 'साम्राज्ञी का नैवेद्यदान' कविता में जापान की साम्राज्ञी कोमियो प्राचीन राजधानी नारा के बुद्ध मंदिर में जाते समय असमंजस में पड़ गई थी कि चढ़ाने को क्या ले जाए और फिर रीते हाथ चली गई थीं, यदि वे फूल तोड़ती तो फूल में भी जीवन है अर्थात् हिंसा हो जाती जो बौद्ध दर्शन के खिलाफ है, केदारनाथ सिंह का काव्य संकलन 'तोलसतोय व साइकिल की कविता' बुद्ध से सम्बन्धित है। नई कविता वाले जगदीश गुप्त का खण्ड काव्य प्रकाशित हुआ है। 'गोपा गौतम' और दूसरा 'बोधिवृक्ष' के नाम से हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'वाणभट्ट की आत्मकथा' और चारूचन्द्रलेख की कथावस्तु बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप से सम्बन्धित है। राहुल सांकृत्यायन ने अपने दो

उपन्यास 'सिंह सेनापति' तथा 'जय यौधेय' की कथा वस्तु में बौद्ध मतों का साम्यवादी विचारधारा के साथ समन्वय किया है। इसमें नायक सिंह सेनापति बुद्ध और संघ की शरण में चला जाता है। 'जययौधेय' में अनित्यवाद और अनात्मवाद आदि बौद्ध मतों की पुष्टि की गई है। चतुरसेन शास्त्री ने 'बोधिवृत्त की छाया' में बौद्ध धर्म के तीन शलाका पुरूष बुद्ध, अशोक हर्षवर्धन के जीवनवृत्त को प्रस्तुत किया है। 'वैशाली की नगर वधु' बुद्ध की समकालीन राज नर्तकी आम्रपाली पर आधारित है। तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा 'मुर्दहिया' में चले बुद्ध की राह नामक अध्याय की रचना की है, वे कहते हैं कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का था सम्भवतः वही मेरे लिए नटिनिया का है।

हिन्दी साहित्य में नाटकों को देखा जाए तो हम देखते हैं कि मोहन राकेश का 'लहरों का राजहंस' का कथानक बुद्ध के जीवन काल से सम्बन्धित है। जयशंकर प्रसाद के लगभग सभी नाटकों में बौद्ध काल का वर्णन है। स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, विशाखा आदि। अज्ञेय के 'उत्तर प्रियदर्शी' नामक एक काव्य नाटक की रचना जो अशोक के कलिंग विजय के बाद के घटनाक्रमों पर आधारित है। जैनेन्द्र का उपन्यास सुनीता, दिव्या त्यागपत्र, अमिता आदि सभी पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। दिव्या में पतनोन्मुख बौद्धकालीन समाज का चित्रण, अमिता अशोक के कलिंग विजय पर आधारित है, रांगेयराघव ने 'यशोधरा जीत गई' बुद्ध और अशोक को माध्यम बनाते हुए नारी जीवन का चित्रण 'चीवर' में सम्राट हर्षवर्धन और उसकी बहन राज्यश्री की कथा के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रभाव को दिखाया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी और बुद्ध का स्पष्ट प्रभाव हिन्दी साहित्य पर पड़ा है।

संदर्भ ग्रन्थ

- *दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 2 फरवरी 2003*
- *गांधी नवजीवन, नई दिल्ली, अक्टूबर 2004*
- *इण्डिया टूडे, नई दिल्ली, अक्टूबर 2004*
- *हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 15 मार्च 2004*

- गोदान, मुंशी प्रेमचन्द
- रंगभूमि, मुंशी प्रेमचन्द
- मुर्दहिया, तुलसीराम
- वाणभट्ट की आत्मकथा, हजारीप्रसाद द्विवेदी

21वीं सदी के भारत में लोकतंत्र और सामाजिक–आर्थिक गैर बराबरी

डॉ0 बृजेन्द्र सिंह बौद्ध*

विभिन्नता में एकता भारत भूमि की विशिष्टता है। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम दौर में आधुनिक राष्ट्रीय जागरूकता के उदय के साथ, स्वाधीनता संघर्ष का लक्ष्य न केवल विदेशी शासन को हटाना था, बल्कि इसमें ऐसे आधुनिक राष्ट्र का पुनर्निर्माण का वृहद् कार्यक्रम भी सम्मिलित था, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास सांप्रदायिकता और जातिवाद की संकीर्णकताओं से सर्वोपरि हो। इक्कीसवीं सदी में भी इज्जत के नाम पर जघन्यतम अत्याचारों का सिलसिला जारी है। ''मध्य प्रदेश के धार जिले में खोकरिया गांव है। यहां 35 वर्षीय आदिवासी विवाहिता, जिसके पांच बच्चे है, 30 वर्षीय विवाहित पुरूष से प्रेम करने लगती है, जिसके अपने भी तीन बच्चे है। औरत के ससुराल वाले पंचायत से शिकायत करते है और पंचायत मध्ययुगीन बर्बरता के साथ दोनों को तीन गांवों में निर्वस्त्र कर घुमाती है''[1]।

इक्कीसवीं सदी में भी लावारिस छोड़ दी जाती है बेटियां। अनाथालयों में लड़कों के मुकाबले ज्यादा है लड़कियाँ। बालिकायें जन्म के बाद ही नहीं, बल्कि जन्म से पहले भी भेदभाव का शिकार है। जिला झाँसी उ0प्र0, ''वर्ष 2001 में एक हजार पुरूषों पर 886 महिलाएं थीं, तो वही अब यह संख्या घटकर 866 रह गई है। सबसे खराब स्थिति तो ब्लाक बड़ागांव जिला झाँसी की है, यहां लिंगानुपात 774 है''[2]। समाज में बेटियों को अब भी भेदभाव और बोझ की नजर से देखा जाता है। इसी का नतीजा है कि अनाथालयों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कहीं अधिक है। समाज में लोकतांत्रिक मूल्य कितने मजबूत हुए हैं और महिलाओं को कितनी आजादी है, इसका इंदाजा आप स्वयं लगा सकते है। किसी भी देश

* *वरिष्ठ प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी*
ई–मेल : dr.bsboudha1999@gmail.com

के लोकतंत्र के विकास के लिए यह अपेक्षित है कि उसके सभी अंगों जैसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक मूल्यों में परस्पर समन्वय, न्याय, समानता के भाव का होना अति आवश्यक है, तभी 21 वीं सदी में लोकतंत्र फलीभूत हो सकता है। राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों का भी कर्तव्य बनता है कि वह समता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय के आध ाार पर कार्य करें। सरकारों के समन्वय से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है, नहीं तो समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण शूद्र, अस्पृश्यता की कुप्रथाओं का शिकार होते रहेंगे। ऊँच–नीच की इस भावना ने हमारे लोकतंत्र को जर्जर एवं निर्बल बना दिया है। हमारे कुओं पर पशु आकर पानी पी सकते है, अन्य धर्म वाले आ सकते है, किंतु हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई नहीं आ सकते है। महान संत, महात्मा और सच्चे धर्मात्मा इस जातिवाद एवं छुआछूत के बारे में अपने–अपने विचार रखते है। इसी क्रम में संत कबीर साहब ने कहा–

''जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।

मेल करो तलवार का, पड़ा लीजिए ज्ञान।''

अर्थात–बड़ा व्यक्ति अपने वंश या जाति से बड़ा नहीं बनता, पर अपने गुणों या ज्ञान से ही महान बनता है। 21 वीं सदी में देखें तो पाते है कि ''दलित चाहे चपरासी हो या जिलाधिकारी, मंत्री या संत्री या फिर देश का राष्ट्रपति ही क्यूं न हो, भारत जैसे हिन्दू राष्ट्र में वह ताउम्र जाति आधारित विषमता तथा शोषण झेलने को अभिशप्त ही होता है। जाति जीवन का कटु सत्य है। दलित हो या ब्राह्मण जाति छाया की तरह उसके साथ चलती है। जहां वे जाएगें छाया उनके साथ, छाया तो अंधेरे में अदृश्य हो जाती है। लेकिन जातीय पहचान अंधेरे में भी कायम रहती है।[3] इसी जातीय पहचान के कारण 21 वीं सदी में भी अन्याय, अत्याचार, शोषण सतत् रूप से मनुवादियों द्वारा किया जा रहा है, ऐसा ही बुंदेलखण्ड कालेज झाँसी के बी0एड0 विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर का अनुसूचित जाति के होने कारण, मनुवादी विचारधारा के समर्थक कार्यवाहक प्राचार्य एवं प्रबंधमंत्री द्वारा सतत् शोषण, उत्पीड़न किया जा रहा है। इनका इतना

आतंक है कि कोई व्यक्ति अपनी बात बोलने की हिम्मत भी जुटा नहीं सकता है। महाविद्यालय का आलम यह है कि जब से मनुवादी प्राचार्य एवं प्रबंधमंत्री ने कार्यभार ग्रहण किया ही था, कि अनुसूचित जाति के प्रोफेसर पर अन्याय, अत्याचार, शोषण की बौछार कर दी। आपको बताते है कि पहले इनका एक दिन का वेतन काटा गया, फिर निलम्बित कर दिया गया। फिर मनुवादियों ने सेवा से बर्खास्त का फरमान सुना दिया गया। उक्त फरमानों की जांच माननीय कुलपति बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा की गई। जांच में प्रोफेसर निर्दोष पाये गये। माननीय कुलपति के आदेशों का मनुवादियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बहाली होने के बावजूद दर–दर को भटक रहे हैं। मनुवादी प्राचार्य एवं प्रबंधतंत्र द्वारा इनका वेतन का भी भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। यह अनुसूचित जाति होने का अभिशाप है? इसी क्रम में बाबा साहब डॉ0बी0आर0 अम्बेडकर ने कहा कि – ''राजनीतिक लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं रह सकता, जब तक वह सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? यह जीवन की ऐसी राह है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन–सिद्धान्त के रूप में मान्यता प्राप्त होती है[4]।'' देखा जाये तो 21 वीं सदी में डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर का यह भी कथन प्रांसगिक है कि – ''लोकतंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है। यह अनिवार्यता अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना है।'' अर्थात बाबा साहब के कथन से स्पष्ट होता है कि ''लोकतंत्रात्मक शासन के लिए लोकतंत्रात्मक समाज का होना बहुत आवश्यक होता है। प्रजातंत्र के औपचारिक ढांचे का कोई महत्व नहीं है और यदि सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह वास्तव में अनुपयुक्त होगा। राजनीतिक लोगों ने यह कभी महसूस नहीं किया कि लोकतंत्र शासनतंत्र नहीं है, यह वास्तव में समाजतंत्र है। लोकतांत्रिक समाज के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें एकता, सामुदायिक उद्‌देश्य, लोकहित के प्रतिनिष्ठा तथा पारस्परिक सहयोग जैसी विशेषताएं हो, परंतु उसके लिए दो बातें तो सुस्पष्ट रूप से आवश्यक होती है पहली है मनोवृत्ति, अपने साथियों के प्रति समानता तथा आदर का भाव। दूसरी है– एक सामाजिक संगठन जो कठोर सामाजिक

बंधनों से मुक्त हो। लोकतंत्र की अलगाव–थलगाव तथा एकांकिता के साथ संगति नहीं होती उनके फलस्वरूप सुविधा प्राप्त एवं सुविधा विहीन लोगों के बीच दरार पैदा होती है''[5]। विश्व के विभिन्न राजनीतिज्ञों और लेखकों ने लोकतंत्र पर अपने–अपने मत दिये है जैसे–

वालटर वेजहाटः– लोकतंत्र की परिभाषा है– ''विचार विमर्श न कि धक्का–मुक्की द्वारा चलने वाली सरकार''।[6]

अब्राह्म लिंकन :– ''लोकतंत्र ऐसी सरकार है, जो जनता की हो, जनता द्वारा और जनता के लिए हो''।[7]

प्रो0 जे0 आर0 सीलेः– ''लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें हर एक की हिस्सेदारी होती है''।[8]

लार्ड बराइस :– ''लोकतंत्र सरकार की वह पद्धति है जिसमें राज्य की राजशक्ति कानून किसी विशेष वर्ग या वर्गों के पास नही होती बल्कि समुदाय के समस्त सदस्यों के पास हुआ करती है''।[9]

इक्कीसवी सदी के पूर्व में देखें तो प्राचीन बौद्ध संस्कृति में भी लोकतांत्रिक मूल्यों का वर्णन मिलता है जैसे कि बौद्ध दर्शन के दृष्टान्त से स्पष्ट होता है कि – ''एक बार भगवान बुद्ध की माँ महाप्रजापति गौतमी ने, जो भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई थी, सुना कि बुद्ध को सर्दी लग गई है। उन्होंने उनके लिये एक गुलूबन्द तैयार करना तुंरन्त शुरू कर दिया। इसे पूरा करने के बाद वह उसे बुद्ध के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। परन्तु उन्होने यह कहकर इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि यदि यह एक उपहार है, तो उपहार समूचे संघ के लिए होना चाहिए, संघ के एक सदस्य के लिए नहीं। उन्होंने बहुत अनुनन्य–विनय की परन्तु उन्होंने (बुद्ध ने) उसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया, वह बिल्कुल नहीं माने''।[10] अर्थात कहा जा सकता है कि भिक्षु संघ संविधान सबसे अधिक लोकतंत्रात्मक संविधान था। वह इन भिक्षुओं में से केवल भिक्षु थे। अगर यही विचारधारा से हमारी सरकारें कार्य करें तो सम्भव है कि समाज में लोकतंत्र का लाभ सभी वर्गों को मिल सकता है। बुद्ध को वर्ण–

व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म एवं जाति भेद कभी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इन सामाजिक संस्थाओं की कटु आलोचना की थी। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक समान होते है उनको वर्गों, वर्णों एवं जातियों में विभाजित करके देखा नहीं जा सकता। इसी क्रम में संत रविदास ने कहा कि –

''एकै चाम एक मल भूतर एक खून एक गूदा।

एक बूंद से अब उत्पन्ना को बांभन को सूदा''।।

अर्थात– सभी वर्णों– ब्राह्मणों और शूद्रों की एक सी चमड़ी होती है। उनका मल–मूत्र एक जैसा होता है। एक सा खून है। एक सा गुदा (मॉस) है। एक ही रजवीर्य बूँद से सब पैदा होते है। तब यहॉ न कोई ब्राह्मण है और न कोई शूद्र। सभी मनुष्य है।[11]

अब मैं आर्थिक बराबरी की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिसमें कार्लमार्क्स के सिद्धांत को बताना उपयुक्त समझता हूँ। कार्लमार्क्स का साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? यह कहां से शुरू होता है? साम्यवाद का सिद्धान्त इस विचार पर आधारित है कि दुनिया में शोषण है, अमीर गरीबों का शोषण कर लेते है और वे जन सामान्य को गुलाम बना लेते है। यह गुलामी, कष्ट, दुख और गरीबी का कारण बनती है। कार्लमार्क्स यही से अपना सिद्धांत शुरू करते है। उन्होंने ''शोषण'' शब्द का इस्तेमाल किया है। कार्ल मार्क्स इसका इलाज बताते है? कार्लमार्क्स ने इसका इलाज यह बताया है कि गरीबी और कष्ट को दूर करने के लिए आवश्यक है कि निजी संपत्ति समाप्त कर दी जाए। किसी के पास भी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निजी संपत्ति का मालिक ही श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की ''सरप्लस वैल्यू'' (लाभ) को हड़प लेता है, श्रमिक को अपने उत्पादन का लाभ नहीं मिलता। कार्लमार्क्स पूछते है कि श्रमिकों के श्रम से हुए उत्पादन की ''सरप्लस वैल्यू'' को मालिक क्यों हड़प लेता है? उनका जवाब है कि एकमात्र मालिक ''राज्य'' हो, ताकि कोई निजी मालिक बीच में आकर मजदूरों के लाभ को हड़प न लें।[12] इक्कीसवीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में कार्ल मार्क्स प्रासंगिक प्रतीत होते है। उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि हाल ही में क्रेडिट सुईसे नामक एजेंसी ने

वैश्विक धन बटवारे पर जो अपनी छठवी रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह काबिले गौर हैं। सामाजिक–आर्थिक न्याय के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद भारत में आर्थिक गैर बराबरी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से वर्ष 2015 के बीच जो कुल राष्ट्रीय धन पैदा हुए उसका 81 प्रतिशत टॉप की दस प्रतिशत जनता के पास गया। जाहिर है कि शेष 90 प्रतिशत जनता के हिस्से में 19 प्रतिशत धन आया। 19 प्रतिशत धन की 90 प्रतिशत आबादी में भी नीचे की 50 प्रतिशत आबादी के पास 4.1 प्रतिशत धन नही आया। अक्टूबर 2015 में प्रकाशित क्रेडिट सुइसे की रिपोर्ट सरकारों को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार इक्कीसवीं सदी के भारत की तस्वीर आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, साक्षरता, आवास पर एक नजर में देखें–वर्ष 2007–08 में साक्षरता दर, अनुसूचित जाति वर्ग में 60.5 प्रतिशत, जनजाति में 58.8 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 66.7 प्रतिशत, अन्य में 76.9 प्रतिशत है। इसी प्रकार बेरोजगारी की स्थिति को देखें– वर्ष 2009–10 में शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग 7.0 प्रतिशत, जनजाति 7.8 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 6.2 प्रतिशत, अन्य में 4.6 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग 9.4 प्रतिशत, जनजाति 6.3 प्रतिशत, ओ0बी0सी0 6.5 प्रतिशत, अन्य में 5.3 प्रतिशत है। आवासों की स्थिति वर्ष 2002–03 में शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग 14.6 परिवार है, गृहस्वामी 6.4 प्रतिशत है। जनजाति में 2.6 प्रतिशत परिवार है, गृहस्वामी 1.7 प्रतिशत है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 34.7 प्रतिशत परिवार है, गृह स्वामी 27.8 प्रतिशत है। अन्य में 47.7 परिवार है ग्रहस्वामी 64.1 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5.2 परिवार है। अन्य वर्ग में 26.7 प्रतिशत परिवार है गृहस्वामी 43 प्रतिशत परिवार है। इक्कीसवी सदी में गरीबी पर बात करते है तो स्थिति यह पाते है। कि वर्ष 2007–08 में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग 20.6 प्रतिशत, जनजाति 25.3 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 12 प्रतिशत, अन्य में 6.3 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित वर्ग 22.8 प्रतिशत, जनजाति 20.6 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 19 प्रतिशत, अन्य 7.3 प्रतिशत है। उपर्युक्त गरीबी, आवासों, साक्षरता दर, बेरोजगारी, के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक एवं आर्थिक गैर

बराबरी का भारी अन्तर व्याप्त है। सामाजिक और आर्थिक विषमता पर अवश्य ही गंभीर चर्चा होनी चाहिए। गैर बराबरी समाज में उथल–पुथल की स्थिति पैदा करती है।

इक्कीसवी सदी में आर्थिक विकास की रणनीति में सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लाभ समाज के कुछ हाथों में केन्द्रित न रहकर समाज के सभी छोटे–छोटे वर्ग के लोगों तक विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए, ताकि इस वितरणात्मक न्याय के परिणामस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी, निम्न जीवन एवं उपभोग स्तर जैसी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके। इस सन्दर्भ में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब–उल–हक जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में विशेष सलाहकार भी रहे है उनका कथन है कि ''विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मों पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी, भुखमरी, बीमारी, शिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के प्रमुख लक्ष्यों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे गरीबी का निवारण होगा। हमें यह सिखाया गया था कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम इस सम्बन्ध का उलट दें। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम मुख्यता गरीबी पर ध्यान केन्द्रित करे। इस माध्यम से कुल राष्ट्रीय उत्पादन को अपने आप उचित महत्व मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में अब कुल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर पर कम और उसकी संरचना पर अधिक ध्यान देना जरूर है।''[13]

निष्कर्ष :– इक्कीसवी सदी में हमें केवल राजनैतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अपने राजनैतिक लोकतंत्र जीवन के उस मार्ग को बताता है जहां पर स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में अभिजात करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धातों को मिलकर संयुक्त रूप बनता है। इन्हें अलग–अलग करने से लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल करना है। स्वतंत्रता को समता से पृथक नहीं किया जा सकता है, समता को स्वतंत्रता से पृथक नहीं किया जा सकता और न स्वतंत्रता या समता को ही बंधुत्व से पृथक किया जा

सकता है, समताविहीन स्वतंत्रता से कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता का प्रादुर्भाव होगा। स्वतंत्रता विहीन समानता से व्यक्तिगत उपक्रम का ह्रास करेगा। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। उनको प्रदत्त करने के लिए सिपाही की आवश्यकता है। यह तथ्य स्वीकार करते हुए हमें कार्य आरंम्भ करना चाहिए। ताकि इक्कीसवी सदी के भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गैर–बराबरी दूर हो सके। इससे प्रत्येक क्षेत्र में लोकतंत्र की उपस्थिति सम्भव हों।

संदर्भ ग्रन्थ

- *'सीले जे0 आर इंट्रोडक्शन टू पोलिटिकल साइंस, लंदन 1923, पृष्ठ 324*
- *'डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर राईटिंग्स ऐंड स्पीचेज, खंड–01 बबंई 1979, पृष्ठ 222*
- *'दस स्पोक अंबेडकर, खंड–01 पृष्ठ – 60*
- *'बयान' मासिक पत्रिका ISSN-2321-9300 नवम्बर 2013 पृष्ठ– 48*
- *'कलैण्डर–2014, प्रकाशन–डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *'अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र झांसी, 31 दिसम्बर 2015 पृष्ठ–02*
- *'Ambedkar and Social Justice, Volume-II , Published by the director Publication division ministry of information and broadcasting Government of India, Patiala house, New Delhi, Page 251.*
- *'दस स्पोक अंबेडकर, खंड –01 – पृष्ठ 61*
- *'ब्राइस मार्डन डेमोक्रेसीज खण्ड–01 कलकत्ता, पृष्ठ 23*
- *'बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर संपूर्ण बौद्धमय खण्ड–07, प्रकाशन डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ–357*
- *'श्रमण परम्परा और गुरू रैदास – डॉ0 महेश प्रसाद अहिरवार, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 32–33*
- *'बुद्व और कार्लमार्क्स – बाबा साहेब डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर, अनुवादक'–शीलप्रिय बौद्ध, सम्यक प्रकाशन, पृष्ठ– 42–43*
- *'महिला और मानवाधिकार एम0ए0 अंसारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर पृष्ठ–13*

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन

डॉ0 रश्मि सिंह*, उमेश सिंह**

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले झाँसी, जालौन एवं ललितपुर जनपद के शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का उनकी विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना था। शोधार्थी ने प्रतिदर्श के रूप में 100 छात्र–छात्राओं का चयन किया है। अध्ययन हेतु जालौन जिले के उरई शहर तथा आस–पास के ग्रामीण विद्यालयों का चयन किया गया है। शोधार्थी द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। प्रस्तुत शोध में अभिवृत्ति मापन हेतु डॉ0 डी0 गोपाल राव द्वारा निर्मित मापनी (SAI) एवं शैक्षिक उपलब्धि मापन हेतु कक्षा 10 पास छात्र–छात्राओं के प्राप्तांकों का प्रयोग किया गया है। विश्लेषण में यह पाया गया कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

शब्द कुंजी–विद्यालयी अभिवृत्ति, शैक्षिक उपलब्धि, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी।

प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर अपना विकास करता है। मानव के विकास में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। शिक्षा देने से पहले आवश्यक यह हो जाता है कि हमें जान लेना चाहिये

* *असि0 प्रोफेसर, शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी*
ई–मेल : rashmidr78@gmail.com
** *शोधार्थी, (शिक्षाशास्त्र), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी*

कि जिसे हम शिक्षा ग्रहण कराने जा रहे हैं। उसकी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति अर्थात् विद्यालय रूपी शिक्षा में उसका भाव कैसा है अर्थात् किसी व्यक्ति की शिक्षा के प्रति उसकी अभिवृत्ति कैसी है? अभिवृत्ति साधारणतया व्यक्ति के मनोभावों की एक दशा होती है जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचार एवं मनोभाव को प्रकट करता है। अभिवृत्ति के आधार पर ही किसी छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का आंकलन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उपलब्धि पर शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों की लिए सबसे अधिक रूचि व जिज्ञासा का विषय रहा है।

विद्यालयी अभिवृत्ति के क्षेत्र में विभिन्न मनोवैज्ञानिक चरों पर शोध कार्य हुए हैं जो शिक्षण अधिगम के सम्बन्धों को प्रभावित किया। जैसे–विद्यालयी अभिवृत्ति का शैक्षिक उपलब्धि पर सम्बन्ध अरूणा एवं सूमी (2010), बंग और बेकर (2013), ताहिर महमूद (2012), राजेन्द्र (2014), रंजना गौतम (2014), अनन्या सिंह (2017) आदि द्वारा शोध अध्ययन किये गये हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति का शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध से सम्बन्धित विषय को शोध हेतु चयन किया गया है।

समस्या कथन

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।

माध्यमिक स्तर

प्रारम्भिक शिक्षा के उपरान्त और उच्च शिक्षा के पहले दी जाने वाली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कहलाती है।

अभिवृत्ति

अभिवृत्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है जिसके कारण यह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थानों, परिस्थितियों आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है।

शैक्षिक उपलब्धि

सी0वी0 गुड (1952) के अनुसार–शैक्षिक उपलब्धि स्कूल के विषयों से उत्पन्न ज्ञान की क्षमता परीक्षांक अथवा अध्यापक द्वारा प्रदत्त अंक अथवा दोनों प्रकार के प्रदत्त अंकों से निरूपित की जाती है।

शोध अध्ययन के उद्‌देश्य

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत ग्रामीण छात्रों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शहरी छात्राओं की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत ग्रामीण छात्रों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शहरी छात्राओं की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन की परिसीमाएं

प्रस्तुत शोध में यू0पी0 बोर्ड इलाहाबाद से सम्बद्ध शासकीय एवं अर्द्ध –शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को ही लिया गया है।

प्रस्तुत शोध में झाँसी क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद जालौन के शहर उरई तथा उसके आस–पास के ग्रामीण विद्यालयों को ही लिया गया है।

प्रस्तुत शोध में विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के चरों को ही लिया गया है।

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में 100 छात्र–छात्राओं को लिया गया है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

सिंह, एन0 (1985) ने शिक्षकों की तुलना में परम्परागत और सम्पूर्ण विधियों से शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण में कौशल और व्यवहार प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित थे, का अध्ययन किया जिसका निष्कर्ष निकाला कि दोनों प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षकों में शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं था।

गौतम (2002) ने वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं विज्ञान में अभिरूचि के साथ सम्बन्ध विषय पर शोध कार्य किया। अध्ययन के निष्कर्ष रूप में पाया कि बालिकाओं की वैज्ञानिक अभिवृत्ति बालकों की तुलना में उच्च है। बालिकाओं की विज्ञान में रूचि बालकों की तुलना में उच्च है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं विज्ञान में रूचि के बीच धनात्मक एवं सार्थक सह–सम्बन्ध उच्च है।

गौतम, रंजना (2014) ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण शैक्षिक उपलब्धि एवं आत्मप्रत्यय के संदर्भ में अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में जालौन जिले के उरई नगर के 5 उच्च माध्यमिक विद्यालयों से 50–50 छात्र–छात्राओं का चयन सम्भावित प्रतिचयन की यादृच्छिक विधि से किया और परिणाम में पाया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर है तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सिंह, अनन्या (2017) ने "Effect of Co-curricular Activities on Academic Achievement of Students" नामक अपने अध्ययन में पाया कि छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर होता है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से विभिन्न विषयों की शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से छात्रों की तुलना में यह प्रभाव छात्राओं में अधिक पड़ता है।

शोध विधि

शोधार्थी द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श –

शोधार्थी द्वारा प्रतिदर्श चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का चयन कर 100 विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया है।

उपकरण

विद्यालयी अभिवृत्ति के मापन हेतु डॉ0 डी0 गोपाल राव द्वारा निर्मित मापनी (SAI) का प्रयोग किया गया है एवं शैक्षिक उपलब्धि मापन हेतु जालौन जिले के उरई शहर तथा उसके आस–पास के विद्यालयों में कक्षा 10 पास छात्र–छात्राओं के प्राप्तांकों को लिया गया है।

सांख्यिकीय विधि

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी ने प्रतिदर्श के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि, तथा क्रान्तिक अनुपात का प्रयोग करते हुए परिकल्पनाओं की जांच की है।

आंकड़ों का विश्लेषण

परिकल्पना 1 – माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत ग्रामीण छात्रों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

सारणी–1

चर	संख्या	सहसम्बन्ध गुणांक
ग्रामीण छात्रों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति	25	दोनों चरों के मध्य
ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि	25	सहसम्बन्ध गुणांक 0.003 होगा

उपरोक्त तालिका संख्या–1 के आधार पर ग्रामीण छात्रों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक 0.03 प्राप्त हुआ। परिणामतः दोनों चरों के मध्य अति निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध है।

परिकल्पना 2 – माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शहरी छात्राओं की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

सारणी–2

चर	संख्या	सहसम्बन्ध गुणांक
शहरी छात्राओं की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति	25	दोनों चरों के मध्य
शहरी छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि	25	सहसम्बन्ध गुणांक 0.033 होगा

उपरोक्त तालिका संख्या–02 के आधार पर शहरी छात्राओं की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक 0.33 प्राप्त हुआ। परिणामतः दोनों चरों के मध्य अति निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध है।

परिकल्पना 3 – माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई अन्तर नहीं है।

सारणी–3

चर	संख्या	सहसम्बन्ध गुणांक
विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति	100	दोनों चरों के बीच सहसम्बन्ध गुणांक 0.012 होगा
शैक्षिक उपलब्धि	100	

उपरोक्त तालिका संख्या 03 के आधार पर विद्यार्थियों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक 0.012 प्राप्त हुआ। परिणामतः दोनों चरों के बीच अति निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध है।

शैक्षिक निहितार्थ

आज हमारे समाज में शिक्षा का दिनों–दिन महत्व बढ़ता जा रहा है। शहरी जागरूकता के साथ–साथ ग्रामीण स्तर के लोग भी विकास के

पथ पर अग्रसर हैं और इन सभी की प्रगति का मुख्य मार्ग विद्यालय से ही होकर जाता है, क्योंकि विद्यालयी शिक्षण का प्रमुख कार्य विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति उनको उन्मुख करना भी होता है। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के प्रति छात्र का दृष्टिकोण किस रूप में परिलक्षित होता है वह देखना था, क्योंकि बालक जिस रूप में विद्यालय को देखता है उसी के अनुसार उसके अन्य विषयों से सम्बन्ध घटते–बढ़ते चले जाते हैं और यह सम्बन्ध विभिन्न विमाओं के आधार पर बनते और बिगड़ते रहते हैं। अपने अध्ययन में शोधार्थी ने दो चरों के मध्य सम्बन्ध को देखा जहाँ उसने पाया कि विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति और शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध तो है किन्तु वह अति निम्न स्तर का है। अतः कहा जा सकता है कि विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक उपलब्धि दोनों अलग–अलग रूप में शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

- *सिंह, एन. (1985), शिक्षक प्रशिक्षण की शैक्षिक उपलब्धि, दुश्चिन्ता का विद्यालयी अभिवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग एन.सी. आर.टी., अक्टूबर 2001, अंक 5*
- *कपिल, एच0के0 (2004), ''अनुसंधान विधियाँ'' आगराः हर प्रसाद पुस्तक भवन, पेज नं0 478.*
- *डॉ0 कपिल, एच.के. (2006), अनुसंधान विधियाँ आगरा, एच.पी. भार्गव बुक्स हाउस।*
- *लाल, रमन बिहारी (2007–08), शिक्षा मनोविज्ञान, मेरठ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, पेज नं0 68.*
- *गुप्ता, एस.पी. (2008), आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, इलाहाबाद–शारदा पुस्तक भवन।*
- *सिंह, अरूण कुमार (2009), उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास, पेज नं0 575–580.*
- *सिंह, अरूण कुमार (2009), शिक्षा मनोविज्ञान, पटना : भारतीय पब्लिशर्स एण्ड हिस्ट्री हयूटर्स, पेज नं0 485.*
- *पाठक, पी0डी0 (2009), शिक्षा मनोविज्ञान, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, पेज नं0 48.*
- *शर्मा, आर.ए. (2009), शिक्षा अनुसंधान, मेरठ आर.एल. बुक डिपो, पेज नं0 214–220.*
- *दुबे, मनीष एवं विभा दुबे (2011), ''शिक्षा तकनीकी प्रबन्ध'' इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन, पेज नं0 132–140.*
- *कुलश्रेष्ठ, एस0पी0 एवं अनुपमा सिंघल (2011), शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन, पेज नं0 72–80.*

- *सारस्वत, मालती एवं मधुरिमा सिंह (2012), शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, लखनऊ, आलोक प्रकाशन, पेज नं0 132–135.*
- *सिंह, अरूण कुमार (2013), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के शोध विधियाँ, पटना जनरल बुक एजेन्सी, पेज नं0 525.*
- *गुप्ता, एस0पी0 (2015), अनुसंधान संदर्शिका, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन, पेज नं0 178.*
- *गुप्ता, एस.पी. (2017), अनुसंधान संदर्शिका सम्प्रत्य कार्य विधि एवं प्रविधि, इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन।*
- *सिंह, अनन्या. (2017), Effect of Co-curricular Activities on Academic Achievement of students, श्रृंखला एक शोध परख वैचारिक पत्रिका, Vol-4, Issues 4, Feb. 2018, Pp-70-71*